खण्ड-228, अंक-6
सोमवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1884
(2 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२६९–२७३
पंचायत राज रुल्स में प्रख्यापित संशोधन.. (मेज पर रखे गये) ..	२७३
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२७३
प्रदेश के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि तथा तूफान से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२७४–२७७
भावी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	२७७–२७८
राज्य स्वास्थ्य परिषद् के लिये पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२७८
उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (वापस ले लिया गया)	२७८–२८२
उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचार जारी)	२८२–३३३

प्रति हेतु नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, राजा श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम भुल्लन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान , श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द्र, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तासिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वर प्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयालु, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंह नारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह,)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बूसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री

रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरनशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मिणीसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकतहमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन , श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मैं, आपकी आज्ञा से, पंचायत राज रूल्स में, पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६६४-प३३—२८-६१, दिनांक १२ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आई है । जो सूचना आई है, उससे विदित है कि सूचनान्तर्गत विषय हाई कोर्ट में लड़ा जा चुका है और वहां अस्वीकृत हुआ है । अब उसके लिये नियम ५२ की नोटिस में अनियमित समझता हूं । अतः वह अस्वीकृत किया गया ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—इस संबंध में मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है । वैसे आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । उत्तर प्रदेश की तीन जूट मिलों में ७ हजार मजदूर काम करते हैं । उनका सरकारी गजट हो चुका है कि उनको अन्तरिम रिलीफ दी जाय, लेकिन उनको अभी तक अन्तरिम रिलीफ नहीं दी गयी । हाई कोर्ट में मिल मालिकों ने रिट दाखिल किया जो कि खारिज हो गया । लेकिन श्रम विभाग और मिल मालिक वैसे ही बैठे हुये हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री नरसिंह नारायण—यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का सवाल है । एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अभी परसों कानपुर में....

श्री अध्यक्ष—अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । मैंने आपसे कह दिया कि वह नियम के अन्तर्गत नहीं आता है । विषय अस्वीकृत हो चुका है, अब उस पर बहस की गुंजायश नहीं है और न यह आपके लिये उचित है कि आप उसके ऊपर कोई वक्तव्य इस समय दें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप सरकार से कह कर इस संबंध में कोई वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं । हम और आप इस संबंध में बातचीत कर लेंगे ।

---

*छापे नहीं गये ।

प्रदेश के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि तथा तूफान से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस साल फिर हमारे प्रदेश में ओलावृष्टि हुई जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ। उनके साथ हमारी सहानुभूति है। मुजफ्फरनगर, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, रायबरेली, हरदोई, में जनवरी के महीने में २४, २५, २६ व २७ तारीख को हेलस्टार्म आया। फिर अलीगढ़, देहरादून, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, बदायूं, मुरादाबाद, पीलीभीत, इटावा, कानपुर, फतेहगढ़, इलाहाबाद, हमीरपुर, देवरिया, हरदोई तथा उन्नाव में फरवरी मास की तारीख १,७,८,१०, १९,२४ व २५ को हेलस्टार्म आया। फिर मार्च, ६२ में देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा एटा, मुरादाबाद, बिजनौर, इटावा, कानपुर, जालौन, गोरखपुर, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा और सुल्तानपुर में हेलस्टार्म आया। जनवरी में जो ओले गिरे वे सूक्ष्म थे और उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में ओलाबारी से नुकसान हुआ है। २४ जिले ऐसे हैं जहां या तो ओलाबारी नहीं हुई या कोई नुकसान नहीं हुआ। देहरादून, गाजीपुर, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, देवरिया, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा और मैनपुरी, इन १२ जिलों में विशेष नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, जालौन, गोरखपुर, बस्ती, रायबरेली, हरदोई और सुल्तानपुर, इन १९ जिलों में नुकसान कमोबेश होता रहा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा बदायूं मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, जालौन, गोरखपुर, बस्ती, रायबरेली और सुल्तानपुर में ५० नये पैसे से ज्यादा नुकसान हुआ है। हरदोई में पान की फसल को ५० से ७५ नये पैसे तक नुकसान हुआ, लेकिन चना, जौ, मटर, और अरहर वगैरह को कम नुकसान पहुंचा है। कुछ गांवों में ५० नये पैसे से कम नुकसान हुआ है और कुछ में ज्यादा हुआ है। बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, देवरिया, उन्नाव, सीतापुर व गोंडा में नुकसान १ आने से ८ आने तक हुआ है। मथुरा में एक मनुष्य और ६९ मवेशियों का नुकसान हुआ। एटा में ७ मवेशियों का नुकसान हुआ। कानपुर में २ मनुष्य और १ मवेशी का नुकसान हुआ और बस्ती में १ मनुष्य का नुकसान हुआ। इस तरह से ४ मनुष्य और ७७ मवेसियों का नुकसान हुआ।

अभी तक जो ग्रेटुटस रिलीफ दी गयी है वह २,७७,८७० रुपये है और तकावी ४,८७,००० रुपये है। गवर्नमेंट ड्यूज, जहां ओलाबारी हुई है वहां उनका रियलाइजेशन पोस्पोन कर दिया गया है। रकबा जो ओले से मुतास्सिर हुआ है १३, ६९,८८२ एकड़ है और गांवों की तादाद है ५,२३५। सब से ज्यादा नुकसान तहसील, बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ है जहां ११,७२१ एकड़ जमीन को ज्ञात क्षति पहुंची है, ४ मार्च और १९ मार्च के बीच में। मेरठ में ५४३ गांवों में १२० गांव तहसील, मवाना में और हापुड़ और गाजियाबाद में क्षति पहुंची है। ५० नये पैसे से १०० नये पैसे तक के दरमियान में नुकसान हुआ है। तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में २२५ गांव और अतरौली में १७५ गांवों में, २४ फरवरी को ओलाबारी हुई और ५० नये पैसे के ऊपर नुकसान हुआ। १३५ गांव तहसील, सिकन्दराराऊ और १७२ गांव तहसील, इगलास और ३४५ गांव कासगंज तहसील में क्षतिग्रस्त हुये हैं और ५० से १०० नये पैसे तक फसल का नुकसान हुआ। ११६ गांवों में तहसील सदर और अलीगंज में क्षति पहुंची है और ५० से ८७ नये पैसे तक नुकसान हुआ और ७ मवेशी मरे। मथुरा जिले में छाता तहसील में बुरी तरह क्षति हुई। २१ मार्च को वहां ओलाबारी हुई। इसके अलावा माट और सदर तहसीलों में भी नुकसान हुआ। एक आदमी मरा और ६९ मवेशियों का नुकसान हुआ।

डिस्ट्रिक्ट कानपुर की तहसील बिल्हौर में १० गांव मुतास्सिर हुये हैं और ५५ से १०० नये पैसे तक नुकसान पहुंचा है। यहां पर तीन मर्तबा ओला गिरा है। ८ जनवरी, २४ फरवरी और २७ मार्च को। २७ मार्च को जो ओला गिरा है उसमें ३०,०७१ एकड़ जमीन को नुकसान

हुआ है । भोगनीपुर तहसील के ४३ गांवों को नुकसान पहुंचा है और ७५ से १०० नये पैसे तक नुकसान हुआ है । तहसील डेरापुर के ११ गांवों में ३,३८८ एकड़ को नुकसान हुआ है और १२ नये पैसे से १०० नये पैसे तक नुकसान हुआ है । १२२ गांव तहसील सदर और कोंच, जिला जालौन के ओला वर्षा से ग्रसित हैं । ४ तथा ५ मार्च को यह वाकया हुआ है । नुकसान ३७ से ८५ नये पैसे तक हुआ है । गोरखपुर में २७० गांवों में क्षति हुई है । तहसील फरेंदा और महराजपुर में ओला ५ मार्च को गिरा है । ६०,००० एकड़ जमीन को नुकसान हुआ है । यहां पर ज्यादातर १६ आने नुकसान हुआ है । नौगढ़ तहसील जिला बस्ती में १७० गांवों में नुकसान हुआ है और २५ से ७५ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । एक आदमी दरख्त गिरने से मरा है । रायबरेली जिले की तहसील सदर और डलमऊ में ओला बारी हुई है और तीन मर्तबा २४ जनवरी, ५ मार्च, और १८ मार्च को ओला गिरा है और गेंहूं, जौ, चना तथा सरसों को नुकसान हुआ है । फसल को १२ से ८७ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । अमेंठी तहसील, जिला सुल्तानपुर के १० गांवों में से ५ गांवों को नुकसान हुआ है और ५० से ७५ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । बदायूं ९६ गांवों को क्षति पहुंची है और नुकसान ५० नये पैसे से ज्यादा है ।

मुजफ्फरनगर में २१२ गांवों में नुकसान हुआ और ७०,५२७ एकड़ जमीन मुतास्सिर हुई । मेरठ में ५४३ गांव और ५७,३४२ एकड़ जमीन, बुलन्दशहर में २६० गांव और ४२,७२५ एकड़ जमीन, अलीगढ़ में ८३६ गांव और २,८७,००० एकड़ जमीन, मथुरा में २०५ गांव और १,१७,३६७ एकड़ जमीन, एटा में ४९५ गांव और १,२२,३८७ एकड़ जमीन, बदायूं में ४४६ गांव और १,३१,७११ एकड़ जमीन, मुरादाबाद में २३० गांव और २३,१६१ एकड़ जमीन, जालौन में १२२ गांव और २५,३२२ एकड़ जमीन, फर्रुखाबाद में ४५५ गांव और ६२,२४४ एकड़ जमीन, कानपुर में २१९ गांव और ५१,९४६ एकड़ जमीन, गोरखपुर में २७० गांव और १,६३,६०० एकड़ जमीन, बस्ती में २५७ गांव और ५८,९०० एकड़ जमीन और रायबरेली में ६२ गांव और १७१,१४४ एकड़ जमीन मुतास्सिर हुई है । इनमें से बहुत से गांव ऐसे हैं जो गुजिश्ता फ्लड से मुतास्सिर हुये थे । खरीफ की वसूलयाबी सस्पेंड कर दी गई है और रबी के जब एक्जेक्ट फिगर्स आ जायेंगे तो कायदे के मुताबिक छूट जो देनी होगी, देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---सिंचाई कर भी स्थगित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिससे मेरा ताल्लुक है उसी पर मैं बयान दे सकता हूं । राजस्व मंत्री का ताल्लुक है तकावी से और मालगुजारी से ।

लैंड रेवेन्यू की रिकवरी में जो ऐंटिसिपेटेड रिलीफ देंगे, उसका अन्दाजा होने वाला है । जैसा अन्दाजा आयेगा उसी के अनुसार रिकवरी हम सस्पेंड करेंगे । उसके लिये हमने आर्डर कर दिये हैं । लैंड रेवेन्यू के, रेंट के सस्पेंड और पोस्पोन होने के साथ साथ तकावी भी उसी औसत से सस्पेंड हो जाती है ।

कलेक्टरों को हिदायत कर दी गयी है कि डिटेल्स, रिलीफ मेजर्स के लिये, जितनी जहां जहां जरूरत हो, जल्दी मांग भेजें ताकि जरूरत को देख कर गवर्नमेंट ग्रेटुटस रिलीफ या रिलीफ मेजर्स अडाप्ट करने के लिये सैंक्शन करे ।

श्री अध्यक्ष---जो यहां वक्तव्य माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया है इससे प्रतीत होता है कि बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में ओला वृष्टि हुई है जिससे क्षति पहुंची है । बजाय इसके कि इस समय सदन के माननीय सदस्य प्रश्न पूछें मैं चाहूंगा कि यह जो स्टेटमेंट आज दिया गया है यह हमारे माननीय सदस्यों में बांट दिया जाय ताकि वह अपने अपने जिलों के संबंध में या जिनसे भी उनका संबंध हो प्रश्न पूछ कर या स्थानीय रूप से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या जो अन्य अधिकारी वर्ग है, उनसे जांच करके, प्रश्न कर सकें । तो यह अधिक उचित होगा, बजाय इसके कि बहुत से ऐसे प्रश्न हों जिनको आप भी न जान सकें कि कहां तक आपके लिये उपयोगी हैं और बहुत सा समय

[श्री अध्यक्ष]

हमारे सदन का लगे। इसलिये मेरा ऐसा विचार है कि बजाय इसके कि प्रश्न हों माननीय मंत्री जी उस स्टेटमेंट को छपवा कर सदन के सारे सदस्यों को बटवा दें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूं। आपने जो सुझाव दिया वह बहुत अच्छा दिया। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन में इस पर एक दिन बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं। आप का प्रत्येक सुझाव, जो नियमों के अनुसार आयेगा, उस पर मैं विचार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन आप खड़े हो कर कह दें कि यह हो जाय और मैं कह दूं कि हो जायगा, ऐसा नियम नहीं है। मैं आपकी बात बहुत सहानुभूति पूर्वक सुनने के लिये तैयार हूं, लेकिन जो नियम है उसका अनुकरण किया जाय।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो वक्तव्य दिया है इसमें ऊख का कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—आप को स्टेटमेंट मिल जाय तो आप सवाल कर लें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका उत्तर आप को इस सदन में दिलवा दिया जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग उचित ही है। मैं केवल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कह रहा हूं कि इस वक्तव्य में जो क्षति बतायी गयी है उसमें मकानों की क्षति का कोई विवरण नहीं है। तो कृपया जो वक्तव्य वह दें उसमें वह भी विवरण आ जाय तो अच्छा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह वक्तव्य जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया, वह जहां तक मुझे याद है नियम ५२ का प्रश्न आपके सामने रखा गया था, उस सिलसिले में यह बयान उन्होंने दिया। तो मैं समझता हूं कि नियम ५२ की परिपाटी यह रही है कि कोई वक्तव्य माननीय मंत्री की तरफ से होने के बाद....

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं कि जो मेरा नोट है वह यह है कि यद्यपि मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय राजस्व मंत्री इस सदन के समक्ष अपना वक्तव्य रखें। उस समय माननीय चन्द्रजीत ने यह प्रश्न भी किया था कि क्या उस पर हम प्रश्न कर सकेंगे या नहीं, तो मैंने कहा था कि यथास्थिति इसके सम्बन्ध में निर्णय दिया जायगा। यह नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं है। एक बयान मैंने उनसे दिलवाया है और इसी वजह से कह रहा हूं कि आपको बयान दे दिया जायगा, उस पर आप प्रश्न कर लीजिएगा और मैं यथाशक्ति आपको समय दूंगा।

श्री गेंदासिंह—एक दिक्कत हमारे सामने पड़ेगी। वह बयान हम लोगों के सामने आयेगा, यह तो बहुत अच्छा निर्णय आपने दे दिया, इससे सबको उस पर विचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस पर प्रश्न हम करेंगे मैं यह समझा, अगर ऐसी बात हो तो उसको आप स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी जनहित के लिए आप लोग कहेंगे उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जैसा कि अभी माननीय उग्रसेन जी ने कहा, वैसे ही आप भी जो कुछ कहेंगे उस पर हम सब लोग समझ लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने अपना वक्तव्य पढ़ा। हम लोग भी अपने क्षेत्रों में घूमे हुए हैं और हम भी उसके बारे में अपनी जानकारी रखते हैं। तो हम लोग आपसे समय चाहते हैं कि प्रश्न उसके ऊपर हम लोग कब कर सकेंगे? क्योंकि वहां समस्या बड़ी गम्भीर है, न उनके पास खाने को कुछ है न चारा है, बड़ी गम्भीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष---एक ही बात आप बार बार उठा रहे हैं। मैंने कह दिया कि इसके ऊपर जितना विचार उचित होगा वह किया जायगा और आवश्यकता पड़ने पर सदन में भी इस पर विचार कर लेंगे। मैंने स्वयं कहा कि यह गम्भीर विषय है। व्यापक क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है और एक विस्तृत क्षेत्र में यह क्षति हुई है।....

श्री नेकराम शर्मा---मेरी प्रार्थना यह है कि दिन निश्चित कर दें आप।

श्री अध्यक्ष---पहले स्टेटमेंट आ जाय तब उस पर विचार किया जायगा।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्य क्रम इस प्रकार है---

१---उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२।

२---उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२।

३---उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२।

४---उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२।

५---एपीडेमिक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२।

६---उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार तथा निपातन विधेयक, १९६२।
जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित होगा।

७---उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था सम्पत्ति विधेयक, १९६२, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी कार्य क्रम रखा गया है क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी इच्छा से, अपने मन से, यह निर्धारित किया है या कार्य संचालन के लिए जो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी होती थी, उसके द्वारा यह तय होकर आया है।

श्री अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल यह जानते हैं कि अभी कमेटी नहीं बन पायी है और मैं स्वयं इस बात के लिए सचेष्ट हूं कि जितनी भी समितियां इस सदन के कार्यों के सम्यक संचालन के लिए आवश्यक हैं वे शीघ्रातिशीघ्र बन जायं। आपसे जैसा मैंने निवेदन किया था कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं और अगर बातों को समझने में और ठीक तरह से व्यवस्थित करने में कुछ विलम्ब हो तो आप उसका खयाल न करें। आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि नियम २५ के उपनियम (२) में यह दिया हुआ है कि---"प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन नेता अथवा मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देगा।" इसके अन्तर्गत भी यह

[श्री अध्यक्ष]

प्रकट हो जाता है कि इस तरह से सूचना देनी चाहिये। अब उन्होंने सूचना इस नियम के अन्तर्गत दी है। इसके बाद जब समिति का निर्माण हो जायगा तो फिर हम लोग उसी तरह से कार्य करेंगे जिस तरह से जरूरत होगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मुझे पुनः आपसे यह निवेदन करना है कि काफी दिन सदन को चलते हो गया। यह बिल एक माइनर किस्म का है, परन्तु आगे मेजर किस्म के आइटम आयेंगे। उसमें कैसे समय का विभाजन हो, इस दृष्टि से इसको देखें तो अच्छा यह होगा कि कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्मण हो जाय जिससे सदन में किसी को आपत्ति न हो। इस विषय पर समय कम या अधिक लिया गया इसके लिये किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्माण जल्दी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। मैं इसको देखूंगा।

राज्य स्वास्थ्य परिषद् के लिये पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---प्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य स्वास्थ्य बोर्ड (State Health Board) में, जिसका कार्यकाल ३० अप्रैल, १९६२ के पश्चात् समाप्त हो जायगा, और जिसको पुनस्संगठित करने का प्रस्ताव है, कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, राज्य स्वास्थ्य बोर्ड (State Health Board) में, जिस का कार्यकाल ३० अप्रैल, १९६२ के पश्चात् समाप्त हो जायगा, और जिसको पुनस्संगठित करने का प्रस्ताव है, कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२†

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का संशोधन विधेयक, १९६२ [The U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and allowances) (amendment) Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, अभी जो विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसके साथ ज्ञापन प्रस्तुत न होने से वह नियमावली के नियम १२१ और १२२ के अनुरूप नहीं है। इसलिये सरकार इस विधेयक को वापस ले। उसमें यह दिया है कि "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(२) विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायंगे। इसके साथ ज्ञापन होना चाहिये। तभी

---

†२७ मार्च, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

यह उपयुक्त हो सकता है। अब इसमें यह पता नहीं चलता है कि कितना व्यय होगा। इस लिये इसके साथ उसकी सूचना देना भी आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कुछ इस विषय में ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अगर इसी कारण से इसमें आपत्ति है, तो मैं इसको वापस लेने को उद्यत हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन कारणों पर प्रकाश नहीं डाला कि किन कारणों से उन्होंने इसको सदन में प्रस्तुत किया और किन कारणों से इसे वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं आप से निवेदन कर दों कि जब कोई वैधानिक प्रश्न इस सदन के समक्ष आता है तो चाहे कोई पक्ष आक्षेप का उत्तर दे या न दे, निर्णय करना मेरा कर्त्तव्य होता है। मैं इस आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियमों का पालन मैं स्वयं करना चाहता हूं और किसी प्रकार से उनका उल्लंघन नहीं होने देना चाहता।

जो वित्तीय ज्ञापन इस विधेयक से संलग्न है वह यों है : "यदि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) (संशोधन) विधेयक, १९६२, विधि के रूप में पारित हो जाता तो इसमें राज्य की संचित निधि से व्यय होता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उपमंत्री कार खरीदने के लिये, प्रतिदेय ऋण (refundable loan) के रूप में, उस सीमा तक अग्रिम धन पाने का अधिकारी होगा जो इस प्रयोजन के लिये बनाई गई नियमावली में नियत की जाय।" और नियम १२१ में यह प्राविहित है कि "जो व्यय हो उसके सम्बन्ध में इस वित्तीय ज्ञापन में कुछ दिया जायगा।" जो संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है वह संशोधन यह है कि "प्रत्येक उपमंत्री को कार क्रय करने के लिये प्रतिदेय ऋण के रूप उस सीमा तक और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर लौटाया जाने वाला अग्रिम धन पाने का अधिकारी होगा, जो नियत किये जायं"। तो इस संशोधन में किस सीमा तक रुपया दिया जायगा और किन शर्तों पर दिया जायगा यह इस विधेयक को अगर सदन ने स्वीकार किया तो केवल नियमों द्वारा ही, जो सरकार बनायेगी, निर्धारित होगा। तो यदि सीमा निर्धारित करने का अधिकार इस विधेयक द्वारा, पास होने पर, सरकार को प्राप्त होगा तो जो आपत्ति अभी माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी ने उठायी है वह हमारे सामने आती नहीं। आपकी आपत्ति केवल एक मात्र यह है कि इसमें उस सीमा का उल्लेख नहीं है जो नियम १२१ के अंतर्गत होनी चाहिये। उस सीमा का निर्धारण तो कानून द्वारा होगा और आप अधिकार देंगे सरकार को, कि वह सीमा निर्धारण करे। तो जब आप इस कानून को पास कर देंगे और सरकार उस सीमा का निर्धारण करेगी तब यह निश्चय होगा कि किस सीमा तक व्यय हो। इस संबंध में जब मैं यह विधेयक देख रहा था, तो खंडों के संशोधनों में भी इस बात को ध्यान में रख कर एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। तो मेरा ऐसा खयाल था, जब मैंने इसको देखा, कि नियम की दृष्टि से जो वित्तीय ज्ञापन है वह पर्याप्त है और ऐसी दशा में श्री टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी की आपत्ति स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं हूं। वह बात दूसरी है कि सदन इस बात की आज्ञा दें कि यह विधेयक वापस हो और उसके लिये कोई प्रस्ताव हो। लेकिन ऐसे प्रस्ताव की अनुपस्थिति में, इस समय जो आक्षेप उठाया गया है, उसको मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। प्रश्न यह है कि जब माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का आपने ध्यान आकर्षित किया और उस पर उन्होंने यह कहा कि वे उसको वापस लेते हैं। उसके बाद तो आपके सामने यह रह जाता है कि आप उसको सदन

[श्री नेकराम शर्मा]

के सामने रख दें और सदन की राय प्राप्त कर लें। आप उनसे अगर न पूछते तो आप अपनी यह राय दे सकते थे और नियम १२१ में साफ लिखा है कि...

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, उसके लिये अब बहस न कीजिये। मैंने आपसे आज इस सदन में निवेदन किया और नम्रतापूर्वक एक दृष्टिकोण रखा है। जहां तक वैधानिक प्रश्न पर रूलिंग का प्रश्न है, वह केवल इस कारण से कि आपत्ति की वैधानिकता को एक पक्ष स्वीकार करता है, और मेरी समझ में वह आपत्ति अनुपयुक्त है, तो वह वैध नहीं कही जा सकती और मैं अपने को उसका पाबन्द नहीं समझता। मैं तो रूलिंग दूंगा जो मैं समझता हूं। मैं जो अर्थ लगा रहा हूं वह मैंने रखा और उसको मैंने निवेदन किया। अब अगर माननीय मुख्य मंत्री किसी कारण से यह प्रस्ताव रखना चाहें कि वे इस विधेयक को वापस लेना चाहते हैं तो वे इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन में दें। अभी उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है। उन्होंने केवल यह कहा कि अगर यह आपत्ति है और वह ठीक है तो मैं वापस लेता हूं। मेरी दृष्टि में वह आपत्ति ठीक नहीं है। तो वह मुख्य मंत्री का एक कंडीशनल आफर था। अगर कोई उसको वापस लेने का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री उग्रसेन---आप कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ तो लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, जो आपने दृष्टिकोण रखा उसके विषय में मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं देखता हूं कि सदस्यों को इस विधेयक के विषय में आपत्ति है और वे कुछ जानकारी और करना चाहते हैं इस विधेयक के द्वारा जो इसमें नहीं है। तो इस कारण मैं इस समय इस विधेयक को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आप इस विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, नियम १७८ को आप देखने की कृपा करें। उसके अनुसार किसी विधेयक को वापस लेने के लिये उसके कारणों पर भी प्रकाश डालना चाहिये। जब श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी की आपत्ति पर आपने सरकार के पक्ष में अपनी रूलिंग दे दी और आपने यह कहा कि यह विधेयक रखा जाना उचित है, फिर उसके बाद भी सरकार इसको वापस ले रही है, तो ऐसी स्थिति में, मैं चाहता हूं कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह क्यों उसको वापस ले रही है और अब उसका क्या इरादा है। क्या अब कार खरीदने के लिये वह रुपया देना नहीं चाहते, वैसे हम तो नहीं चाहते कि उनको कर्जा दिया जाय। मैं उसकी मेरिट पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष---आपने जो कहा वह मैंने सुन लिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी वह शिरोधार्य है, मान्य है, परन्तु मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा और वह प्रश्न मैं किसी और दृष्टि से आपके सामने नहीं रख रहा हूं, केवल अपने संतोष की दृष्टि से रख रहा हूं। जो एक प्रश्न उठा, और जहां तक मैं सुन पाया और समझ पाया, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं वापिस लेता हूं, उस पर आपत्ति है तो वापस लेता हूं। तो उसके बाद फिर रूलिंग की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आई।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि मैं चाहूंगा कि जैसा नियम १७८ में है, यदि माननीय मुख्य मन्त्री वापस ले रहे हैं तो, संक्षेप में ही क्यों न हो, वह कारणों पर प्रकाश डालें कि जब यह विधेयक वापिस हो जायगा तो कोई नया विधेयक आयेगा या कोई दूसरी व्यवस्था होगी या कोई निर्धारित धनराशि मंत्रियों के लिये रखी जायगी या क्या होगा। माननीय गेंदासिंह

जी ने जो बात कही उसमें भी एक सार है और उस दृष्टि से भी मुख्य मंत्री जी को सदन के सम्मुख यह स्पष्ट करना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---मान्यवर, नियम १७८ (क) में लिखा हुआ है:---

"विधेयक का भार-साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापिस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि---

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जाती है....."

तो माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि विधेयक की जो मूल मंशा है वह समाप्त कर दी जायगी, कार खरीदने का कर्जा नहीं दिया जायगा तब तो सदन उनक प्रस्ताव की वापसी की आज्ञा दे सकता है ।

श्री नेकराम शर्मा---अध्यक्ष महोदय, १७८ नियम के मुताबिक मुख्य मंत्री जी को वापिस लेने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपत्तियां सुनीं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि इस विधेयक में जो बात हमने दी है उसके सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों में विभिन्न विचार हैं और विभिन्न विचारों का आदर करते हुये, उनके ऊपर विचार करने के लिये, पुनरीक्षण की आवश्यकता है, अतः वह चाहते हैं कि यह सदन उन्हें यह अनुज्ञा दे कि यह विधेयक जिस रूप में है उस रूप में उसे वापिस लेने की अनुज्ञा दी जाय । मैं समझता हूं कि १७८ नियम की मंशा यह है कि जिस रूप में एक विधेयक रखा जाय यदि उसी रूप में उसको पास कराने का मंतव्य न हो, तो उसे वापिस ले सकते हैं इसीलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री को संकेत किया था कि ऐसा करना उनके अधिकार में है । अब मैं प्रस्ताव को रखता हूं ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष---मैंने व्यवस्था दे दी, अब आप बैठें ।

श्री उग्रसेन---आप निवेदन तो सुन लीजिये ....

श्री अध्यक्ष---मैं इस समय खड़ा हूं, आप नहीं बोल सकते ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1962] को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---श्रीमन्, नियम, १७८ के अन्त में लिखा हुआ है कि विधेयक की वापिसी भार-साधक सदस्य ही कर सकता है । लेकिन इसके भार-साधक सदस्य शर्मा जी थे न कि माननीय मुख्य मंत्री जी । लेकिन उन्होंने आज्ञा मांगी और आपने दे दी ।

श्री अध्यक्ष---आप देखेंगे कि यह विधेयक माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से पेश हुआ था । दूसरी बात यह है कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रखा, उस समय ही आपको आपत्ति उठानी चाहिये थी जो आपने नहीं की । इसके अलावा एक बात और है । नियमों में जो भारसाधक मिनिस्टर की व्याख्या दी गयी है उसमें सरकारी बिलों के सम्बन्ध में इतना आता है कि 'मुख्य मंत्री' या अन्य कोई 'मंत्री' । अतः इन कारणों से आपकी आपत्ति नहीं उठती ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--मेरा निवेदन यह है कि जब उस दिन मैंने आपत्ति उठाई थी तो आपने कहा था कि पिछले अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी थी कि १५ मिनट से अधिक का समय भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमन्, बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसी तरह से आज आपने रूलिंग दे दी कि भार साधक सदस्य कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। यहां पचासों मिनिस्टर हैं।

श्री अध्यक्ष--एक साधारण सी बात मैं आदरणीय सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं। जब कोई ऐसी बात हो रही हो तो उसी समय वधानिक आपत्ति प्रस्तुत की जानी चाहिये, न कि जब मैं उस पर निर्णय दे दूं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाड़ी छूट गयी, वह छूट गयी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--जब आप खड़े हुये थे उसी समय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था लेकिन आपने कहा कि बैठ जाओ। मैं आपकी आज्ञा मान कर बैठ गया था।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२†

सूचना राज्य मंत्री(श्री बनारसीदास)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विधेयक है जिस पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इसके उद्देश्यों के अन्दर कहा गया है इसके सम्बन्ध में हमारा एक बोर्ड है जिसमें अधिनियम के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के प्रतिनिधि हैं। अब तक उसकी संख्या २४ हुआ करती थी, लेकिन अब एक एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से बिहार ने १० के बजाय अपने सदस्य ११ भेजे इसलिये प्रस्ताव है कि २४ के बजाय २५ संख्या कर दी जाय। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि कम हो जाते हैं। इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के नामजद सदस्यों की संख्या २० के बजाय २१ कर दी जाय। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जहां कि बहुत सी शुगर फैक्टरीज हैं वहां जिला नियोजन अधिकारी विकास परिषद् के सदस्य हुआ करते हैं, तो बहुत सी परिषदों के होने की वजह से कठिनाई होती है, लिहाजा इस विधेयक के द्वारा इसमें यह संशोधन किया गया है कि या तो जिला प्लानिंग आफिसर या उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नामजद कर दिया जाय। केवल यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

श्री अध्यक्ष--आज प्रातः काल जब इन संशोधनों के सम्बन्ध में मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो मेरे सामने यह प्रश्न आया कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये कौन से सिद्धांत बरते जायं जिन सिद्धांतों के ऊपर प्रवर समिति को हमारे विधेयक सुपुर्द किये जायं। मैं इतना आदरणीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं इसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस सदन के जितने दल हैं, चाहे जिन्हें मैंने मान्यता दी है या नहीं दी है सभी के माननीय नेतागण से मैं इस सम्बन्ध में, अपनी नीति और सिद्धांत के सम्बन्ध में परामर्श कर लूं इस वास्ते, कि मेरी समझ में, जहां बहुत ही साधारण विधेयक का संशोधन, किसी अधिनियम का संशोधन, विधेयक द्वारा कराया जाय और वह ऐसा जटिल न हो, जिसके सम्बन्ध में विचार विनिमय इस सदन में न हो सके और जिसके सम्बन्ध में विवाद के समय बहुत स्पष्ट रूप से जो संशोधन किया गया है उसके ऊपर पूर्णतः विचार न हो सकता हो तो उस हालत में प्रवर समिति के लिये संशोधन नहीं आना चाहिये।

---

†२७ मार्च, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

तो जैसा कि मैंने कहा—इस समय तो मैं किसी को रोकना नहीं चाहता, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद तो जरूर बोलेंगे, लेकिन जो आज का तरीका हम बरत रहे हैं, इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन के नेतागण से बातचीत करके अन्तिम सिद्धांत बाद में तय कर लेंगे । अब माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी अपना भाषण दें ।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञासे यह संशोधन पेश करता हूं कि "उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में इस सदन को प्रस्तुत करे ।"

अध्यक्ष महोदय, सरकार के अभी तत्काल व्यवहार से इतनी बात को बिलकुल साफ हो गयी होगी कि यहां इस कुर्सी पर बैठ जाने के बाद माननीय मंत्री के दिमाग में कोई बात साफ नहीं रहती और वह इस हद तक कि जब कार्यसूची पढ़ी जा रही थी कि साप्ताहिक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र है कि यह विधेयक आ रहा है और उसके ऊपर माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भी करते हैं कि यह विधेयक आ रहा है और आप यह कह चुके हैं कि ये सभी इन—आर्डर हैं, सभी सही हैं, उसके बाद भी विधेयक वापस चला जाता है । तो मैं समझता हूं कि इस सरकार के दिमाग में कोई बात साफ नहीं रहती, एक कनफ्यूजन सा रहता हैं । वे समझते हैं कि चूंकि यहां जबरदस्ती बैठा दिये गये हैं इसलिये कुछ न कुछ कहना चाहिये और इसलिये कहते चले जाते हैं । ऐसी स्थिति में जब यह बिल लाते हैं और उसको हम प्रवर समिति में न मंगवावें तो हमारे सामने समस्या होती है कि आखिर उसमें जो अच्छे सुझाव हैं उनको रखा जाय तो कैसे । यहां पर विरोधी पक्ष की तरफ से किसी भी बिल के ऊपर कोई संशोधन का प्रस्ताव आ जाता है तो सरकार उसे अपनी इज्जत का प्रश्न बना लेती है वह तत्काल उसकी इस बात में सन्तोष करते हैं कि जो उन्होंने रखा है वही ठीक है । चाहे, जो वह चाहते हों वही क्यों न इधर से रख दिया जाय, लेकिन उनके दिमाग में सफाई नहीं होती ।

दूसरे यह गन्ना बोर्ड जो है वह आज से नहीं है, बल्कि बहुत दिनों से बना हुआ है । हमारा यह भी कर्तव्य है कि यह बोर्ड किस प्रकार अधिक से अधिक प्रभावी बने और किस प्रकार उसमें वह प्रजातांत्रिक पद्धतियां लाई जायं जिससे कि उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व ठीक से हो । इसलिये हम को यह कहना पड़ता है कि कौन सी बातें उसमें लाई जायं जिससे हम उस पर ठीक से विचार कर सकें । इस बोर्ड के द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद भी गन्ना किसानों की इस बात की मांग कि गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आना मन किया जाय .....

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३२ की ओर आकर्षित करूंगा कि जिस में यह है कि बिल के जो उद्देश्य दिये हुये हैं केवल उसी के सिद्धांतों के विषय में सामान्य चर्चा हो सकती है, लेकिन माननीय सदस्य उसके बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या गन्ने की प्राइस हो, इसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी बोलें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैंने श्री टम्बेश्वरी प्रसाद को बुला लिया है, उनको बोलने दीजिये ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आप ने बुलाया वह नहीं खड़े हुये, मैं अब व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---कहिये ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आप व्यवस्था दें, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वह केवल उसके उद्देश्य और कारणों के अन्दर ही बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारा संशोधन है कि विधेयक की परिधि बढ़ाई जाय तो हम उसके अन्दर और बाहर की सब बातें कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---श्री टम्ब्रश्वरी प्रसाद जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसक उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ही उसे अमान्य कर दिया है और यह उपयुव ही था ।

इस बोर्ड के द्वारा जो विचार-विनिमय होता है और उसके बाद भी जो विचार-विनिमय होता है, यहां पर अब तक भी मंत्री जी उन मांगों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । यह सब जानते हैं कि इस सरकार ने दो-तीन वर्ष पहले गन्ना किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया कि वे अधिक से अधिक गन्ना बोयें और उन्होंने इस प्रदेश की पूंजी को बढ़ाया । ३१ नया पैसा प्रति रुपया सरकार ने मिल मालिकों को छूट दी ताकि वह समय से गन्ना पेरें । लेकिन जब गन्ना किसानों ने मिल मालिकों की मांग पूरी कर दी तो आज कृषक के सामने, बोर्ड की मांग के समर्थन की बात तो जाने दीजिये कि जिस से गन्ना काश्तकार को सही कीमत मिलती, आज यह बात उल्टी रखी गई है कि हम उस गन्ने को नहीं पेर सकते । ऐसी दशा में ऐसे बिल को सरकार ने लाकर या सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कोई गन्ना किसान का हित नहीं किया है । वह नामांकन सरकार को करना है, लेकिन जब भी हमने सरकार के सामने यह समस्या रखी कि गन्ना किसान का जितना उत्पादन व्यय है वह आप सारे का सारा हानि में परिवर्तित कर देते हैं । फर्ज कीजिये कि किसी ने १०० मन गन्ना पैदा किया और आपने उसमें से ५० मन ले लिया और ५० मन छोड़ दिया और ४ आना मन आपने उसको मुनाफा दिया और बाकी १२ आना मन बिकने के लिये छोड़ दिया । इस तरह से उस को तो नफे के बजाय और हानि हो गई । इस तरह से इस बोर्ड की उपादेयता तभी हो सकती है जब कि सरकार बोर्ड के द्वारा किसान के गन्ने की पूरी जिम्मेदारी ले । इस के बिना गन्ना काश्तकार का हित सम्भव नहीं है । इस के बिना उसकी सारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ।

इस प्रदेश में जहां तक काश्तकारों की खेती का सवाल है वहां तक सिर्फ दो ही प्रकार की खेतियां सम्भव हैं । एक तो वह जिसमें कि कृषक गल्ले की खेती करता है स्वयमेव खाने के लिये, और दूसरी वह खेती होती है जिसे कैश क्राप कहते हैं---नकदी दाम प्राप्त करने के लिये । इस प्रदेश की एकमात्र फसल अगर कोई है जो काश्तकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, तो वह है गन्ना की और उस गन्ने के साथ सारे प्रदेश में यह सरकार इस तरह से खिलवाड़ कर रही है कि उसकी एक प्रकार से हद हो चुकी है । मेरा खयाल है कि गन्ने का प्रश्न जितनी बार इस सदन में उठा होगा उतनी बार शायद ही कोई प्रश्न आया हो । जब यह प्रश्न किसान के हित में आता है तो उसका कोई स्थान नहीं रहता, लेकिन जब मिल मालिकों के हित के लिये कोई बात आती है तो यह सरकार उस बात को तत्काल ही मानने के लिये तैयार रहती है । जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था कि दो-तीन वर्ष पूर्व ३१ नये पैसे प्रतिमन जिस मिल मालिक को छूट मिली थी आज उसी के द्वारा यह मांग रखी जा रही है । सरकार राय देती है कि आप गुड़ बनाइये और उसको बेचिये । क्या अन्तर है काश्तकार के उपयोग में कि वह गुड़ बना ले या शक्कर बना ले । मैं मानता हूं कि शकर की फैक्टरी पर भार होता है और पेर नहीं सकते तो उसके बाद काश्तकार को गुड़ बनाकर खाना पड़ता है, लेकिन आज की सरकार हमें अपनी उपज का लाभ उठाने नहीं देती है और साथ ही साथ दूसरी तरफ से हमारा अहित भी करती है ।

इसी सरकार द्वारा खांडसारी और राब के उद्योग को तीन वर्ष में इतना लाभ पहुंचाया गया है कि जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप जरा अपने संशोधन को पढ़ लीजिये। आपके संशोधन में यह नहीं है कि विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय, जिसकी परिधि बढ़ायी जाय ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मैंने जो संशोधन, अध्यक्ष महोदय, दिया है उसके अतिरिक्त खंड १ में भी एक संशोधन दिया है। आप उसको पढ़ें तो उसमें भी यही बात हैं जो मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने जो संशोधन दिया है वहां पर उसको भी मैंने देखा है। इसलिये मैं जरा मौन था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त खंडों के ऊपर बहस नहीं हो सकती, इसलिये आप विस्तार में न जाइये ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा केवल यह कहना है कि प्रवर समिति में इसलिये इसे ले जाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उसके पहले ही अपनी बात को मनवा लूं, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड को किस प्रकार इतना प्रभावी बनाया जा सकता है। गन्ना बोर्ड का जहां तक सवाल है वहां तक तो कृषकों के हित में एक संशोधन हो सकता है और वह हितवाली व्यवस्था को बोर्ड किस तरह से देख सकता है इसी हेतु मैं यह सारी बातें माननीय मंत्री जी के सामने निवेदन कर रहा था कि इस बोर्ड को प्रभावी बनाने के लिये इसके सदस्य ही इसकी कार्य-प्रणाली पर विचार कर सकते हैं। उनके सदस्यों को कैसे चुना जायगा इसी पर इसका सारा दारोमदार है कि बोर्ड क्या करेगा। बोर्ड २१ का नहीं १२१ का भी बन जायगा अगर काश्तकारों के हित की कोई बात उसमें से नहीं निकली तो चाहे २१, नहीं १२१ और नहीं १,०२१ का बोर्ड हो, वह सब बेकार है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि काश्तकारों का अब तक इतना अहित हो चुका है कि बोर्ड इन सूबे के कृषकों के हित के लिये ही देखे, इसके लिये आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय। प्रवर समिति के सामने भेजने की बात इससे ही सिद्ध होती है कि यह मांग कैसे मनवायी जायगी कि गन्ना काश्तकारों की सहायता किस प्रकार की जाय। १ रुपया १२ आंना मूल्य किस प्रकार किया जाय और यह मांग किस प्रकार मनवाई जाय। उत्पादन में जो व्यय होने वाला है काश्तकारों का वह किस प्रकार ठीक हो। वह तब हो सकता है जब बोर्ड ठीक किया जाय और इसके लिये मेरा निवेदन है कि बिल को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो इस पर विचार करे।

***श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी के प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:---

"उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन संशोधन विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे और इसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।"

श्री अध्यक्ष---जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का संशोधन है उसमें आप सिर्फ इतना ही जोड़ रहे हैं "और उसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो"।

श्री कल्पनार्थसिंह---जी हां। मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने के किसानों पर आये दिन जो मुसीबतें आया करती हैं उनसे सदन के सम्मानित सदस्य भलीभांति परिचित हैं। इतना ही नहीं, आज विकास परिषदें बनी हुई हैं, गन्ना समितियां बनी हुई हैं, परन्तु इन समितियों का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है, सरकारी मशीनरी तथा अन्य लोग किस तरह उनका दुरुपयोग करते हैं यह सब भलीभांति लोगों को ज्ञात है। आज भी खेतों में किसानों का गन्ना खड़ा सूख रहा है। गन्ना विकास परिषदें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथसिंह]

या समितियां या दूसरे लोग जो गन्ना किसानों के हित-रक्षक बना करते हैं उनकी कोई भी बात नहीं चल रही है। गन्ने के किसान रो रहे हैं। आखिर सरकारी जिम्मेदारी इसमें होती है या नहीं होती है और आये दिन यह सवाल आता है कि गन्ना किसानों के हित के लिये सरकार क्या कर रही है।

सरकार एक तरफ यह कहती है कि गन्ने का एकरेज बढ़ जाने से ये दिक्कतें पैदा हो गयीं हैं। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव इस सिलसिले में पेश किया कि उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाय ताकि उसमें यह बात निहित हो। हो सकता है कि आज माननीय मंत्री को २१ सदस्यों की आवश्यकता पड़ जाय। कल २२ की और परसों २३ की आवश्यकता पड़ जाय या फिर किसी दिन १९ की ही आवश्यकता रह जाय, इसीलिए यह विधेयक यदि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और उस समिति का अधिकार बढ़ा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा।

अभी बिहार के सदस्यों की चर्चा इस सिलसिले में की गयी। साथ ही किसानों के हित की बात भी की गयी और प्लानिंग आफिसर को उसका पदेन सदस्य बनाने की बात कही गयी। फिर आप देखेंगे कि किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को भी इसका सदस्य बनाने की बात सोची जायगी। आखिर सरकार के रोजमर्रा दिमाग में एक बात आती है और उसको एक मिनट के बाद परिवर्तन के साथ रखती है और फिर वापस लेती है। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता टमकेश्वरी प्रसाद जी ने कहा था और अभी सदन के और सदस्यों ने देखा कि एक विधेयक जो प्रस्तुत हुआ....।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। अगर आप इस बिल के उद्देश्य व कारण देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि सदस्यों की संख्या २४ से बढ़ा कर २५ कर दी जाय और विधेयक में संशोधन को देखा जाय तो लिखा है कि २० के स्थान पर संख्या २१ कर दी जाय। तो जब तक इस पर प्रकाश न डाला जाय तब तक इस पर कुछ कहना अनियमित होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उद्देश्य और कारण में जो है उसे स्पष्ट करें और संशोधन में जो है वह भी स्पष्ट हो जाय तब इस पर बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—आप के बोलने के पहले जो आप को बदगुमानी है उसे दूर कर दिया जायगा। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह उसे ठीक समझ रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नामजदगी का तरीका अख्तियार किया गया है इससे भी किसी न किसी के डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन होता है। अगर सदस्यों की संख्या बढ़ानी ही है तो चुनाव की कोई विधि रखी जाय या किसानों के प्रतिनिधि रखे जायं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नामजद सदस्य रखने या सरकारी सदस्य रखने के लिये आता है तो फिर बड़ा सन्देह उत्पन्न होने लगता है कि आखिर यह सरकार कितना विश्वास करती है जनतंत्र में। इस विधेयक में ऐसी बातें ही निहित मालूम पड़ती हैं, क्योंकि सरकार तो किसानों का अहित करने पर तुली है। उनका खड़ा गन्ना सूखने की स्थिति पर आ गया है, उसकी पेराई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी गोरखपुर, देवरिया तथा अन्य जिलों में, जहां शकर की मिलें हैं, गन्ने के काश्तकार त्राहि त्राहि कर रहे हैं। इतना ही नहीं मिल मालिक गन्ना बोते वक्त कुछ नहीं कहते हैं, विकास परिषदें कुछ नहीं कहती हैं और जब गन्ना खेत में खड़ा हो जाता है तो वे उसे टेस्ट करते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें शुगर कंटेंट निकलता है और ढाई गुना मिल मालिक को छूट देने की बात कही जाती है। तो इस तरह की धांधली है गन्ना काश्तकारों के साथ जो सरकार और मिल मालिक दोनों मिल कर उसके साथ कर रहे हैं।

मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात से उस पक्ष के लोगों को इन्कार नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को इस बात पर सहमत होना चाहिये। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, आपने देखा कि अनेक माननीय सदस्यों की इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय है और अधिकार क्षेत्र

यदि उसका बढ़ गया तो एक हफ्ते के अन्दर पूर्णतया इस विधेयक पर विचार करने का मौक़ा मिल सकेगा। उसमें अगर खामियां होंगी तो उनको भी दूर करने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर मूल विधेयक में यह त्रुटि न होती तो यह संशोधन उपस्थित करने की आवश्यकता ही न होती। इस तरह से अगर यह अधिकार क्षेत्र बढ़ जाय तो हो सकता है कि प्रवर समिति के सदस्यों के विचार में कुछ और बातें आयें जिनका लाभ यह सदन, सरकार गन्ना काश्तकार, मिलमालिक, सभी लोग उठा सकें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी और सदन के माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो प्रस्ताव आप रखने जा रहे हैं वह तो ऊपर आ गया है। क्या आप १५ दिन पर इन्सिस्ट करते हैं ?

श्री हिम्मतसिंह—ठीक है, मैं १५ दिन पर इंसिस्ट नहीं करता। मैं अब अपना संशोधन न पेश कर के केवल बोलूंगा ही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिधि बढ़ाने से हम कुछ और तथ्यों पर विचार कर सकेंगे। सितारा जेल का कितना ही गन्ना सरकार ने जलवा दिया था। अगर बोर्ड सक्रिय होता तो गन्ना न जलवाया जाता। जैसा कि माननीय टम्बेश्वरी जी ने बताया, पिछले दिनों हमने १ रु० १२ आने मन गन्ने का मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन बोर्ड वह भी नहीं दिलवा सका। अगर बोर्ड के गठन को हम देखें तो पता चलेगा कि उसमें सारे के सारे सरकारी लोग ही होते हैं। इस प्रजातंत्र के युग में गन्ना किसान का, जिसका सब से अधिक उस बोर्ड से सम्बन्ध है, कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं होता है। बोर्ड में काश्तकार का आदमी होना चाहिये ताकि वह किसानों की कठिनाइयों को बता सके। आज आये दिन हमारे सामने यही प्रश्न आता है कि जो फसल खड़ी हुई है उसका सरकार क्या करेगी और फसलें तो कभी ओला, कभी अतिवृष्टि आदि से नष्ट हो जाया करती हैं केवल गन्ना ही एक ऐसी कैश क्राप है जो ओले आदि से नष्ट नहीं होती और किसान उससे अपना खर्चा चला लेता है। अगर उस फसल का भी हम उसे उचित मूल्य नहीं दिलवाते इस बोर्ड के द्वारा तो यह उसके साथ अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में संशोधन बिल को प्रवर समिति में ही जाना चाहिये जिससे वहां इन तमाम बातों पर विचार हो सके कि काश्तकार को उचित मूल्य कैसे दिलाया जाय, बोर्ड में काश्तकार के प्रतिनिधि हों या न हों और जो गन्ना पेरने से रह जाता है उसका क्या इन्तजाम हो। परिधि बढ़ाने से इन सारी बातों पर विचार विनिमय हो सकेगा। मेरा तो आप के द्वारा यह निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जहां मौलिक रूप से सारी बातों पर विचार हो जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इसको भेज कर इसके दोषों को दूर किया जा सकता है। सारे दोषों को दूर करना तो सम्भव नहीं है, लेकिन कुछ दोष दूर किये जा सकते हैं। इसके उद्देश्य में दो बातें लिखी गई हैं। एक तो यह कि इकाइयों की जो छोटी छोटी विकास परिषदें बनी हुई हैं, वे शायद ७०/८० हैं यानी सारे प्रदेश में १०० से नीचे हैं। इन विकास परिषदों का काम है गन्ने का उत्पादन बढ़ाना और उसकी क्वालिटी अच्छी करना। ये किसानों को खाद सप्लाई करती हैं, अच्छा बीज देती हैं और सड़कें आदि का प्रबंध करती हैं। इन विकास परिषदों में एक सदस्य और बढ़ाया जायगा ऐसा हमारी सरकार का इरादा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

दूसरी बात यह है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त बोर्ड बना हुआ है, उसमें एक सदस्य और बढ़ाया जायगा। हमें भी भ्रम मालूम होता है जैसा माननीय नेकराम जी शर्मा ने प्रश्न रखा था कि ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड में कभी २४ सदस्य होंगे और कभी २१ सदस्य होंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिला दूं कि वे मूल अधिनियम और विधेयक दोनों को पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि २४ सदस्यों का बोर्ड है और २० सदस्यों की समिति है। समिति में एक सदस्य और बढ़ा रहे हैं इस तरह से २५ सदस्यों का बोर्ड हो जायगा मूल अधिनियम और विधेयक दोनों को साथ पढ़ने में कोई भ्रम नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, आप ने देखा होगा। हमको तो भ्रम मालूम होता है। वह यदि ग़लती है तो दुरुस्त कर ली जायगी। मैं इस बात पर सरकार का ध्यान दिलाता हूं और सरकार से पूछना भी चाहता हूं कि संयुक्त बोर्ड की सरकार क्या आवश्यकता समझती है और यदि समझती है तो मैं समझता हूं कि उसके लिये कुछ नियम बने हुये हैं कि बोर्ड की मीटिंग कब होगी, बोर्ड के कुछ फंक्शन्स हैं, बोर्ड की कुछ ड्यूटीज़ हैं। इन पर सरकार का ध्यान बहुत कम रहता है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड की मीटिंग सदैव सीज़न शुरू होने से ३/४ महीने पहले हो जाया करती थी और उसमें यह तय हो जाता था कि किस तरह से सप्लाई की व्यवस्था होगी, किस तरह से पिराई की व्यवस्था होगी, किस कारखाने को कितना सप्लाई किया जायगा और क्या क़ीमत होगी, इन सब चीज़ों पर गन्ना बोर्ड की राय ली जाया करती थी। यह गन्ना किसानों के लिये और फैक्टरी वालों के लिये भी सब से मुश्किल वर्ष है, इसलिये मंत्री जी स्वतः पता लगाने की कृपा करें कि इस वर्ष बोर्ड की मीटिंग हुई या नहीं। मैं भी इस बोर्ड का एक सदस्य हूं इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड की मीटिंग एक मर्तबा अक्टूबर में बुलायी जाने की बात तय हुई थी, लेकिन वह मीटिंग मुल्तवी हुई, इसके बाद नवम्बर की तिथि निश्चित हुई। इस बोर्ड में ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं। नवम्बर में जब तिथि निश्चित हुई तो मुझे भी निमंत्रण मिला और हम लोग पटना जाने के लिये तैयार हुए। सरकारी अधिकारियों को एक दिन पहले जाना होता है। सारे सरकारी लोग पटना पहुंच गये। जिस दिन हम लोग चलने वाले थे, उस दिन टेलीफोन आया कि रोको, गन्ना बोर्ड की मीटिंग इस वक्त नहीं हो पायेगी। चूंकि दोनों चीफ मिनिस्टर मेम्बर होते हैं, शायद उनमें किसी को काम होगा या मेरा ऐसा खयाल हुआ कि जो गन्ना की दुर्दशा होने वाली है, गन्ना की कीमत के सिलसिले में यह बात अरुचिकर होगी, पटना में हम लोग अगर अपने विचार रखेंगे तो उससे सरकार की भी क्षति होगी और मिल मालिकों की भी क्षति होगी। उससे घबड़ाहट जरूर थी और इस वजह से कि यह वर्ष कुछ असाधारण वर्ष था। ऐसी बातें जितनी कम हो सकें उतना उत्तम हो, इसलिए वह बोर्ड की मीटिंग मुल्तवी कर दी गयी। बोर्ड की जिन्दगी रहते हुए जो गन्ने के किसानों की दुर्दशा इस प्रान्त में और बिहार में हो रही है, बिहार से ज्यादा दुर्दशा हमारी हो रही है, इसकी माननीय उद्योग मंत्री जी को, जो मुख्य मंत्री भी हैं, थोड़ी जानकारी है।

मुझे क्षमा करेंगे, मैं नहीं जानता कि यह बड़ा उद्योग माननीय बनारसीदास जी के जिम्मे है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस बिल के भारवाहक मंत्री कौन हैं। लेकिन ठीक है। मैं तो उस तरफ का चाहे छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो सभी को शिव जी मानता हूं। इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिए मैं इस लिए कह रहा हूं कि इसमें बैठ कर कुछ विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता और इस बोर्ड की कार्य विधियों पर हम लोग चर्चा करते। एक सदस्य को बढ़ाने के लिये जो यहां पर विधेयक आया है इसमें भी कुछ हजार रुपये खर्च हो जायेंगे। इस तरह के व्यर्थ कामों में पब्लिक मनी लगायी जाय और शक्ति बरबाद की जाय।

गन्ना बोर्ड के कारनामों को अगर हम देखें तो ज्ञात होगा कि इसने कभी कभी अच्छे काम भी किये हैं। लेकिन इस बोर्ड के फैसले को स्वतः सरकार नहीं मानती है। यही नहीं, भारत सरकार भी उसकी सिफारिशों पर, उसके निर्णयों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देती है। वह ध्यान दे या न दे, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज था। जब यह बड़ा मुश्किल वर्ष है। एक आर्डिनेंस गवर्नमेंट आफ इंडिया ने निकाला कि इस वर्ष पिछले वर्ष से १० प्रतिशत कम चीनी बनायी जायगी, यह जानते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह आर्डिनेन्स निकाला जब कि सरकार जानती थी कि उत्तर प्रदेश में दस फीसदी रकबा भी गन्ने का बढ़ा हुआ है। खुद सरकार ने पिछले वर्ष अन्तिम सेशन में कबूल किया है कि हमारे सूबे में कुछ सरप्लस गन्ना है। इस सूबे में कुछ करोड़ मन गन्ना सरप्लस हो जाने का अन्दाज़ा था। सरकार का अन्दाज़ा था कि ८ करोड़ मन गन्ना सरप्लस रह जायगा। तो श्रीमन्, ८ करोड़ मन गन्ना सरप्लस रहे और उसकी कोई व्यवस्था करने के लिये गन्ना बोर्ड, जो ज्वाइंट है यू० पी० और बिहार का, उसकी बैठक भी न बुलायी जाय, किस तरह से सप्लाई होगा, किस तरह से किस फैक्ट्री को कितना कोटा दिया जायगा, यह काम अगर उस ऐक्ट को श्रीमन्, देखें तो मालूम होगा कि शुगर केन बोर्ड को यह तमाम पावर्स हैं। इसकी कीमत के मामले में तो रेकमंड करने का अधिकार है, लेकिन इन सब मामलों में तो उसके फैसले के मुताबिक ही कार्यवाही होनी है।

मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ना आयुक्त यहां के भी और बिहार के भी, दोनों ने अपनी-अपनी तबियत से जो जी में आया वह नियम लागू किया या नहीं कि कितना गन्ना लिया जायगा, तीन साला पट्टा होगा या पांच साला पट्टा होगा? इन सब मामलों में शुगर केन बोर्ड को कोई भी सलाह देने का मौका नहीं दिया गया और उसका नतीजा यही हुआ है जो आपके सामने है। मैं तो अभी कल गोरखपुर गया था। गन्ना आयुक्त ने सभी यूनियन वालों की मीटिंग बुलायी है। श्रीमन्, आज भी वहां अवस्था ऐसी है कि कुछ फैक्ट्रियां हैं जिनके क्षेत्र के गन्ने के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी, उसको शायद जलाना ही पड़ेगा। तो फिर इस गन्ना बोर्ड की जरूरत ही क्या रह जाती है? अगर उसकी सलाह पहले से ली गई होती तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होती। लेकिन उस गन्ना बोर्ड को कोई अवसर ही नहीं दिया गया, यह सोचा ही नहीं गया कि उससे सलाह मशविरा लेना चाहिए, उसकी राय की भी कुछ कीमत रखती है। जो कुछ भी सरकार ने चाहा अपने मन से किया।

भारत सरकार के लिये भी मैंने कहा था कि ऐसी प्रार्थना उससे कीजिए कि ऐसी व्यवस्था न की जाय। एक तरफ हम विकास परिषदें गठित कर रहे ह और दूसरी तरफ गन्ना बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो यह विकास काहे के लिये, यह विकास किस काम के लिए हो रहा है? विकास तो इसलिए होगा कि गन्ने की उपज बढ़े, उसकी तरक्की हो। तो एक तरफ हम विकास करेंगे गन्ने का, अच्छी खाद देंगे, अच्छा बीज देंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे कि तुम गन्ना पैदा करो और जब दूसरी तरफ वह गन्ना खड़ा कर लेगा, तो उससे यह कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा २० परसेंट गन्ना खेत में खड़ा रहेगा। उसके लिये कोई व्यवस्था करने के लिये सरकार तैयार नहीं है। मैं तो आप से कहता हूं कि इस मौके पर विकास परिषद् में एक आदमी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है और एक आदमी गन्ना बोर्ड में बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो दोनों पकड़े गए, और इस समय दोनों को समझने का एक मौका मिला है। मैं तो इस मौके का जरूर फायदा उठाना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि श्रीमन्, आप और माननीय सदन के सदस्य जरा इस बात के ऊपर ग़ौर करें, इसको समझें।

एक तरफ आज विकास परिषदों की यह हालत है कि इनके पास करोड़ों रुपया है। सरकार भी इनको ग्रान्ट देती है और जो गन्ना किसानों के गन्ने को सप्लाई करने से कुछ कीमत आती है उसमें से हर विकास परिषद् को कुछ पैसा मिल जाता है। तीन पैसा मन जो गन्ने की पर मिलता है उसमें से आधी रक़म गन्ना विकास परिषदों को चली जाती है। यह इस रुपये को खर्च करती हैं –पानी देने में, बीज देने में, खाद देने में और उनको एन्करेज करने में। उनसे यह कहती हैं कि बढ़िया बीज बोओ, अच्छी खाद दो, पानी अच्छा दो, मोटा गन्ना बोओ, यह सारी

[श्री गेंदासिंह]

चीजें विकास परिषद् वाले उनसे कहते हैं। अब काश्तकार तो इस धोखे में आता है कि चारों तरफ इतना रुपया खर्च कर के जब सरकार कहती है कि गन्ने की उपज अच्छी करो तो हमको गन्ना बोना चाहिये। लेकिन जब उसने गन्ना बोया तो यह हुक्म उसको दिया गया कि तुमने गन्ना जबर्दस्ती बोया और तुमने जबर्दस्ती गन्ने की खेती बढ़ायी, इसलिये उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है।

तो श्रीमन्, विकास परिषदों को समाप्त क्यों न कर दिया जाय, क्या जरूरत है इनकी ? मुझे स्वतः इसकी जानकारी है कि आज विकास परिषदों के सारे कर्मचारी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं और वह गांवों में जाने से इन्कार करते हैं। मैंने उनको समझाया भी कि विकास का काम आखिर रुक तो नहीं जायगा। एक ग़लती अगर हुई है तो वह आगे चलकर ठीक हो जायगी। लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वह जाकर किसान से यह कह सके तुम अच्छी खाद लोगे, अच्छा बीज लोगे। उनकी खबर आज काश्तकार ले सकते हैं। विकास परिषद् पर सरकारी तनख्वाह खर्च होती है, लेकिन गन्ने के विकास का काम हो रहा है या नहीं, यह देखने की बात है। काश्तकार कहता है कि हमारा खेत खड़ा है, उसका क्या हाल होगा। यह किस तरह से उनके खेतों से जायगा और उनके खेत किस तरह से खाली होंगे इस बात को इस मौके पर देखना चाहिये। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब सरकार ही उनको बरबाद करने पर उतारू है तो मैं क्या कर सकता हूं और यह सदन ही क्या करेगा। सरकार को यह बात सोचना चाहिये कि इस प्रदेश का यह सब से बड़ा उद्योग है। सब से बड़ी कैश क्राप इस प्रदेश की है और साथ ही सब से बड़ी संस्था केन कोआपरेटिव्स की हमारे प्रदेश की है।

मैं बनारसीदास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा वे मेरी बात को गौर से सुन लें। जिन्होंने कोआपरेटिव का समर्थन इस चुनाव में किया उनकी मिट्टी पलीत हो गई। बहुत से लोगों ने सहकारिता का विरोध किया और चुनाव में लोगों के सामने गन्ने की कोआपरेटिव का उदाहरण रखा कि देखो इस गन्ने की कोआपरेटिव्स का क्या हाल हो रहा है। हम से भी लोग सवाल करते थे और हम जवाब देते-देते परेशान हो जाते थे। हम से भी लोग कहते थे कि क्या भाई इस सहकारी समितियों को तोड़ेंगे। हम तो कहते थे कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम तोड़ दें। हमारे तो बस की ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमने कहा कि अगर कोआपरेटिव की चर्चा किसी ने कर दी तो हम अपना दम नहीं तोड़ेंगे। यह क्यों हुआ ? वह इसलिए हुआ कि इन विकास परिषदों में सहकारी समितियों के कुछ सदस्य हैं। यहीं से गन्ना कोआपरेटिव को बदनाम करने की बुनियाद शुरू होती है। यही मैं समझता हूं बरबादी की बात हुई। इस सम्बन्ध में जगदीश शरण जी अग्रवाल मेरी गवाही इस सदन में कुछ देंगे। इस सदन में काफी चर्चा इस बात पर हो चुकी है।

कोआपरेटिव से कोल्हू का भी बहुत सम्बन्ध है। कोल्हू एक ऐसा काम है जिसको एक आदमी नहीं कर सकता है। इन कोल्हुओं को बरबाद करने वाली यह शुगर फैक्टरियां हैं। इन शुकर फैक्टरियों ने कोल्हू को बरबाद किया है। उस वक्त शुगर केन बोर्ड में मैं ही एक ऐसा सदस्य था जो गन्ना काश्तकारों की तरफ से इस बात की दुहाई देता था कि इन कोल्हुओं को बरबाद करने की चेष्टा न करो। मिल मालिक पटना और रांची में बैठे कहते थे कि हरगिज कोल्हुओं की कोआपरेटिव नहीं बननी चाहिये, नहीं तो सफेद चीनी का उत्पादन कम हो जायगा। पांच आने की छूट और ३ आने की छूट सेस में देकर पिछले साल उत्पादन बढ़ाया गया। पिछले साल सरकार ने अपनी इक्साइज ड्यूटी में आधी ड्यूटी कर दी। यहां से केन सेस माफ किया गया इसलिये कि सफेद चीनी का उत्पादन बढ़े। सफेद चीनी का उत्पादन बढ़ा, मगर उसमें से एक छदाम भी काश्तकार को नहीं मिला। कितनी ही बार उसकी चर्चा की गई, लेकिन वह रोते ही रह गये। मैं आपसे कहता हूं कि जो करोड़ों पया उत्तर प्रदेश के किसानों की खून की कमाई जो मिलमालिकों को सबसिडी की शक्ल में दी गई, चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये, तो यह कौन सी न्याय की बात है। यह एक विचित्र स्थित है।

जब हमारे गाढ़े पसीने की कमाई मिलमालिकों को सबसिडी की शक्ल में दी गई और उससे उत्पादन बढ़ा तो हमने भी गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छी खाद डाली, अच्छा बीज डाला। हमने भी उसी तरह से किया जिस तरह से मिलमालिकों को सबसिडी दी गई चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये। गन्ना परिषद् से कहा जाता है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाओ। तो अगर गन्ना का उत्पादन बढ़ा तो उसका यह इनाम सरकार देती है कि लाखों काश्तकारों का थोड़ा-थोड़ा गन्ना हर खेत में खड़ा रह जाय .....

श्री अध्यक्ष—उसका प्रबन्ध हो रहा है।

श्री गेंदासिंह—इसलिये मैंने इसकी चर्चा की। मैं समझता हूं विकास परिषद् की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उसमें कुछ और सदस्य लेना चाहिये अगर आप यह समझते हैं कि विकास परिषद् और यह गन्ना बोर्ड काश्तकारों के लिये कुछ लाभदायक हो सकें तब। अगर इसके लिये वह तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा काम होने वाला नहीं है। मैं आज ही गोरखपुर से लौट कर आया हूं और मंत्री जी के दरवाजे पर जाने वाला था कि इस विधेयक के बारे में कुछ बात कर सकूं और आपके द्वारा सरकार से कुछ कह सकूं, इसीलिये इतनी जल्दी यहां उपस्थित हुआ हूं।

१९५२-५३ में जब से गन्ने की कीमत कम हुई थी तब से, मैं समझता हूं कि, इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं है कि जो गन्ने के किसानों के साथ न्याय न चाहता हो। मैं समझता हूं कि १ रुपये १२ आने का यहां का सर्वसम्मत प्रस्ताव था और २ रुपये का वहां का प्रस्ताव था, लेकिन वह तो ठुकरा दिया गया, जहन्नुम में गया। इसके अलावा गन्ना बोर्ड ने एक कमेटी बनायी थी जिसमें बिहार और यू० पी० के अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने एक फारमूला बनाया था और कहा था कि अगर ज्यादा कीमत पर चीनी बिकी है तो उसमें से कुछ शेयर किसानों को दिया जाय। उसका कई करोड़ रुपया है और पिछले वर्ष टैरिफ कमीशन के सामने यह बात चलायी गयी कि गन्ने की मिलों को रिहैबिलिटेट करने के लिये उस रकम को, जो किसानों की बकाया है, गन्ना मिलों को दे दिया जाय। श्रीमन्, वह रकम थोड़ी नहीं है। वह रकम दो अरब मन गन्ने पर जो किसानों का डेफर्ड पेमेंट का बकाया है, वह है। उस रकम को हजम करने के लिये, वह किसानों के हक में न जाय उसके लिये यह शुगर की मुसीबत पैदा कर दी गयी और वह मिलमालिकों ने पैदा की और यह मुसीबत पैदा कर के कहा जा रहा है कि पूरे का पूरा गन्ना नहीं पेरा जायगा, खेत में सूखेगा, जलाया जायगा, इसलिये कि तुमने कसूर किया है, ज्यादा गन्ना पैदा कर लिया है।

यह शुगर केन बोर्ड क्या करता है? क्यों इसने काश्तकारों को ज्यादा गन्ना बोने दिया? कोई मिल मालिक ऐसा नहीं है, चाहे वह गोला गोकरणनाथ का हो अथवा तमकुही का, जिसके फार्म का पूरे का पूरा गन्ना न पेर लिया गया हो। मैं जहां से आता हूं, यूनाइटेड प्रांविंसेज शुगर कम्पनी लिमिटेड के मासिक कनोडिया जी हैं, कांग्रेस के मेम्बर भी हैं, केन यूनियन के मेम्बर हैं, शाम तक केन कमिश्नर के यहां बैठे-बैठे रो रहे थे। उनके फार्म का साढ़े चार लाख मन गन्ना तो पेर लिया गया, लेकिन हम गरीब किसानों का सात लाख मन गन्ना, जिससे हजारों किसान संबंधित हैं यूं ही पड़ा रह जायगा। वह बरबाद होगा, सूखेगा, जला दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिये और इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है। कल्पनाथ जी का जो परिधि बढ़ाने का का प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि वह उचित है।

शुगरकेन बोर्ड और विकास परिषद् को अगर जिन्दा रहना है तो किसानों को बहबूदी के लिये रहना है और इसके लिये खाली मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। सरकार को और उधर के बैठने वालों को सोच लिचार कर सही कदम इसके लिये उठाने की जरूरत है। हम सरकार के काम में कोई रुकावट डालना नहीं चाहते, लेकिन जब इस शुगर केन बोर्ड और विकास परिषद की बात की जाय तो इसे प्रवर समिति में भेजने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस काम में रुकावट डालने के लिने यह प्रस्ताव नहीं है।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव माननीय विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उसका कारण यह है कि उनके विचार और भावनाओं का आदर करते हुये भी मैं अपना समर्थन उसको नहीं दे सकता, इसका मुझे खेद है, क्योंकि अगर उसमें कोई लब्दीली करने का प्रश्न है तो उसके लिये वे संशोधन ला सकते हैं । जब पैरावाइज इस पर डिस्कशन होगा, तब उन संशोधनों पर विचार किया जा सकता है । संशोधन लाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है, इस कारण इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्य अपना एमेंडमेंट लाकर उसमें जो कमी रह गयी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं ।

इसके अलावा जब माननीय सदस्य विधेयक की परिधि बढ़ाने की बात करते हैं तो उनको यह पढ़ लेना चाहिये कि इसके आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स क्या हैं । जब तक वे संतोष नहीं दिलाते कि जो चीजें वे इस विधेयक में लाना चाहते हैं वे इसके आब्जक्ट्स एन्ड रीजन्स से मेल खाती हुई हैं तब तक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया जिसके आधार पर इसको प्रवर समिति में भेजना जरूरी हो । जो अभी तकरीर माननीय गेंदा सिंह जी की हुई, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, उसका संबंध इस विधेयक से नहीं है । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आखिर इस सदन के समय की कीमत है । वह बातें जो इस विधेयक में नहीं हैं नहीं कहना चाहिये . . . .

श्री राजेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् समय की कीमत का ध्यान दोनों तरफ से सदस्य जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रसिंह---इस तरह की बातें करना जिसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है और जिसका इस विधेयक की धाराओं को परिवर्तन करने से भी कोई संबंध नहीं है, मैं एक लाइअर होने के नाते, इस बात को निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वे बातें जो मूल विधेयक की स्पिरिट को चेंज करने वाली हों नहीं करना चाहिये । वह बातें, जिनका इस विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मानी नहीं रखतीं, मुमकिन है उनको कहने से माननीय सदस्यों को संतोष होता हो क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को यहां प्रकट कर दिया । इससे उन्हें जरूर संतोष हो सकता है लेकिन जितने भी तर्क यहां दिये गये, उन सबको एक्जामिन करते हुये, मुझे इस बात का खेद है, मैं उनको ऐसा नहीं समझता जिसके आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत हो और इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इस लिये इस पर कोई विचार करना मैं समझता हूं सदन का समय जाया करना है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय,जो उत्तरप्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ इस सदन में पेश हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिससे कि माननीय सदन के सदस्य शांतिपूर्वक उस प्रवर समिति में बैठकर उस पर विचार कर सकें. . . .

श्री अध्यक्ष---क्रय-कर वाला संशोधन विधेयक अभी नहीं चल रहा है । अभी पूर्ति तथा खरीद विनियमन चल रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण---ठीक है, श्रीमन्, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने विस्तार के साथ जो इस विधेयक का उद्देश्य है और जो होना चाहिये उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनके विचारों से पूर्णतया सहमत हूं और मैं समझता हूं कि जो रोज इस तरह के संशोधन विधेयक यहां पर पेश किये जाते हैं उनसे इस माननीय सदन का समय नष्ट किया जाता है । इसके पेश करने की कोई जरूरत ही नहीं थी । आज जिस तरह से गन्ना किसानों की स्थिति है और विकास समितियां और शुगर कंट्रोल बोर्ड काम

कर रहा है उसको देखते हुये मेरा निश्चित मत है कि जो विधेयक पेश किया गया है वह हमें एक खास तरफ इशारा करता है और वह यह है कि इस तरह के विधेयक को पेश करने के बाद, माननीय सदन का समय तो जाया किया ही जाता है, साथ ही हमारा जो मकसद है या जो उद्देश्य है यह भी पूरा नहीं होता। आज जो स्थिति गन्ना किसानों की है और जिस प्रकार से विकास समितियां काम कर रही हैं उनके कार्यकलापों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चाहे उसमें एक सदस्य बढ़ा दें या अनेक सदस्य बढ़ा दें, परन्तु जब तक उनके सिद्धांतों और कार्य करने के तरीकों में आमूल परिवर्तन नहीं किये जाते तब तक कार्य नहीं चल सकता।

मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि आज विषम परिस्थिति गन्ना किसानों पर आ पड़ी है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और अभी मान्यवर, मैंने उस संबंध में कुछ सवाल भी किये हैं। मैं समझता हूं कि अकेले मेरे ही क्षेत्र में करीब दस लाख मन से ज्यादा गन्ना जला दिया जायगा यदि सही तरीके से उसकी पेराई का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं मान्यवर, आपके द्वारा माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि हमें शांतिपूर्वक इस पर विचार करना चाहिये कि एक तरफ तो गन्ना किसान से कहा जाता कि एकरेज बढ़ाओ और दूसरी तरफ यह कानून बनाया जाता है कि दस परसेंट चीनी कम पैदा करो। इन दोनों बातों में कितना भेद है? इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में महान् अन्तर है। आज स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। आज विकास समितियों की मार्फत जो किसान के कोटे बनाये जाते हैं वह भी ठीक नहीं होते। एक खेत में २०० मन गन्ना खड़ा है, लेकिन पड़ताल उसकी ५० मन की हुई है। अब बाकी १५० मन गन्ना कहां बेचा जायगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। न तो गन्ना सोसाइटीज की तरफ से, न सरकार की तरफ से और न मिल मालिकों की तरफ से उसका कोई प्रबन्ध किया गया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति आ गयी है वह बड़ी भयावह स्थिति है। गन्ना फूंके जाने की स्थिति में है। अगर गन्ना जलाया जाता है तो मैं साफ तरीके से कह देना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर ऐसी स्थिति आयी तो गन्ना किसान अगले चुनाव में इस सरकार को यहां नहीं रहने देगा। इसलिये इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप जितनी बातें कह रहे हैं कि सदन इन पर विचार करें, उसके बजाय यहां प्रश्न यह है कि एक मेम्बर बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय। उसी पर आप आ जायं तो अच्छा है।

श्री नरसिंहनारायण—यह बात सही है कि प्रस्ताव में यह बात है कि एक मेंबर बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय, लेकिन यहां केवल सदस्यों को बढ़ाने से हमारा कार्य पूरा नहीं होता जब तक समिति जो बनायी जा रही है उसके कार्य कलाप ठीक न हों। जो बोर्ड आज बना है वह गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिये है इसलिये उसको किसानों को राहत पहुंचाने की कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन यह कार्य केवल बोर्ड के सदस्यों को बढ़ा कर नहीं हो सकता। केवल एक सदस्य को बढ़ाना सदन का समय बरबाद करना है जब तक कि उसका प्रबन्ध ठीक न हो। अतः आज जो भयावह परिस्थिति हो गयी है उस पर हमें विचार करना चाहिये। इसलिये अगर इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दें तभी हम उस पर शांति से विचार कर सकते हैं।

माननीय गेंदासिंह जी ने इस संबंध में टैरिफ बोर्ड और डेफर्ड पेमेंट की भी बात कही। वर्तमान स्थिति में उनका कहना बिलकुल मुनासिब है। सदन को और माननीय मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिये कि हम डेफर्ड पेमेंट के बारे में क्या करें। एक ओर तो आप सेस में छूट देते चले जा रहे हैं, लेकिन किसान जो गन्ने की वृद्धि कर रहा है उसके बारे में आपकी क्या घोषणा है कि उसको किस प्रकार से डेफर्ड पेमेंट दिया जाय। इसलिये मैं विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस गन्ना बोर्ड में एक मेंबर बढ़ाने के लिये इस संशोधन विधेयक में प्राविधान किया गया है उसका मैं भी माननीय गेंदासिंह जी के साथ एक सदस्य हूं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे प्रदेश में जो शुगर केन की पूरी पालिसी की प्लानिंग है वह, कदाचित् सबसे अधिक अनप्लान्ड है और वास्तव में उसमें बहुत रीथिंकिंग की आवश्यकता है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि शुगर कंट्रोल बोर्ड की पिछली मीटिंग्स समय से न होने से जो असुविधायें हुई, वे नहीं होनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया उन्होंने उसके औचित्य को कैसे सिद्ध किया और उसकी आवश्यकता किस तरह से है। मान्यवर, पिछले सदन में कई बार कई माननीय सदस्यों ने बड़ी सफाई के साथ यह स्वीकार किया था कि प्रवर समिति का प्रस्ताव तो हम इसलिये भी प्रस्तुत कर देते हैं कि कम से कम बोलने का अवसर तो मिल सके। मैं समझता हूं कि नये सदन में नयी परम्परा पड़े तो अच्छा है।

इस विधेयक में जो दो संशोधन करने की बात प्रस्तुत की गयी है, वे तो इतने निर्दोष हैं और अविलम्बनीय महत्व के भी हैं कि उनको न करना कदाचित् प्रवर समिति का प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्यों की मंशा के ही विपरीत जाता है। इसमें केवल इतनी सी बात है—एक तो कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया और मुझे भी पहले भ्रम हुआ लेकिन मेरे भ्रम का कारण तो यही था कि आपके यहां जो व्यवस्था है। साहित्य के बांटने की उसके फलस्वरूप मुझे भी इस बिल की कापी नहीं प्राप्त हो पायी थी, इसलिये मैं उसे नहीं पढ़ सका था, लेकिन जिन माननीय सदस्यों जैसे माननीय नेकराम शर्मा व माननीय गेंदा सिंह जी के हाथों में इस विधेयक की कापी थी, उन्होंने तो अवश्य ही उसे पढ़ लिया होगा और फिर पढ़ने के बाद, उस शंका का समाधान अवश्य हो जाना चाहिये था। उसमें तो केवल इतनी सी बात है कि जो कुल संख्या है उसका एक हिस्सा २० है, और २० से २१ कर देने से वह कुल संख्या २५ हो जाती है। अगर वह शंका ठीक होती तो वह आपत्तिजनक हो सकता था, लेकिन इस तरह की चीज निराधार है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि यू०पी० और बिहार की सरकार द्वारा एक संख्या निर्धारित है और आपस में उनका अनुपात है, १४ और १० का है जिसको उन्होंने अब ११ कर लिया है। इसमें एक सदस्य बढ़ा देने से अनुपात ठीक हो जाता है। तो उसमें बिलम्ब करना किस तरह से उन हितों को प्रतिपादित करता है जिनका जिक्र इस सदन में किया गया, मैं नहीं समझ सका।

इसी तरह से दूसरा संशोधन केवल इतना है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स हैं, कभी-कभी उनके लिये असंभव हो जाता है कि वे क्षेत्रीय मीटिंग्स में सम्मिलित हो सकें। इसलिये ऐसा प्राविधान किया जा रहा है कि उनका नामिनी या कोई दूसरा व्यक्ति जो उनके स्थान पर नामिनेट हो सके और वह उसमें शरीक हो सके जिससे उस कार्य में कोई क्षति न हो। मैं समझता हूं कि इधर या उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की मंशा यही है कि इस काम में बिलम्ब न हो।

मान्यवर, कुछ ऐसी परम्परा सी होती जा रही है कि हम सभी एक दूसरे पर यह लांछन करने लगते हैं कि सदन का समय नष्ट करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की है। जब सदन का समय प्रवर समिति के इस तरह के प्रस्ताव से नष्ट नहीं होता, जब सदन का समय किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी बिल का समर्थन करने या जब एक दूसरे का समर्थन करते हैं, उससे नष्ट नहीं होता, तो कदाचित् यह लांछन सत्य नहीं होगा कि सरकार द्वारा जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है यह केवल सदन का समय नष्ट करने के लिये लाया गया है।

गन्ना व शुगर की जो इंडस्ट्री है उस पर जो महत्व का कदम उठाना चाहिये उसमें विलम्ब करना ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूं कि उसको अविलम्ब स्वीकार कर लेना ही उचित होगा और जो तर्क इस सदन में दिया गया है उसके आधार पर किसी तरह से भी उस विधेयक को प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है।

*श्री रामायण (जिला देवरिया)—मान्यवर, गोरखपुर के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के समर्थन में ही, मैं भी खड़ा हुआ हूं। उस पक्ष से उसके विरुद्ध २ सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। उनके विचारों को मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा। सब से पहले माननीय रावत जी का सिंहनाद सुना, उनका यह दावा है कि वह लायर या लाइयर हैं, कुछ ऐसा ही वह कह रहे थे और उस हैसियत से उनका यह विचार है कि इधर के बोलने वाले लोगों ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कोई ऐसा तर्क प्रस्तुत नहीं किया जिस के आधार पर यह सदन यह निश्चित करे कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। वह बार-बार अपने ओजस्वी भाषण में इस बात का जिक्र करते रहे कि माननीय गेंदासिंह जी ने जिन बातों की चर्चा की है उन बातों का समावेश खंडों में हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लम्बी चौड़ी बातों को यहां कहा जा रहा है उनका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। उनके पूर्व एक वक्ता ने जिन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वह इस बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारी तरफ से जितने भी तर्क उपस्थित किये गये उनके आधार पर गोरखपुर के माननीय सदस्य के प्रस्ताव के पक्ष में यह सदन फैसला नहीं कर सकता है। आज के इस प्रश्न के ऊपर मेरा अपना विचार नहीं था कि मैं इस सम्बन्ध में यहां कोई चर्चा करूं, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से इस संशोधन विधेयक को पढ़ा, उसके उद्देश्यों को देखा और उनको देखने के बाद मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं भी बताऊं कि इस को प्रवर समिति में भेजना क्यों जरूरी है और वे कौन से तर्क हैं।

मान्यवर, यह कहा गया है कि २४ की जगह पर एक सदस्य बढ़ा दिया जाय तो इससे प्रतिसंतुलन स्थापित होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे प्रतिसंतुलन स्थापित नहीं होगा, कोई काउन्टर बैलेन्स नहीं होगा, अंग्रेजी की प्रति जो दी गई है उसमें शब्द काउन्टर बैलेन्स इस्तेमाल किया गया। मेरा कहना है कि यदि हमने इसे कानून का रूप दे दिया तो इससे संतुलन और बिगड़ेगा। वह कैसे बिगड़ेगा? वह इस प्रकार बिगड़ेगा कि इस बोर्ड का एक लक्ष्य है, अगर उसकी पूर्ति में इस अभिवृद्धि से कोई लाभ होता है तब तो हम इस वृद्धि से सहमत हैं, लेकिन....

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर, अधिष्ठाता श्री जगदीशशरण अग्रवाल पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कुर्सी पर विराजने के पहले मुझे आप जैसे विशेषज्ञ के विचार सुनने का अवसर मिला था। आपने यह कहा था कि एक व्यक्ति के बढ़ा देने से हमारे काम में तत्परता आयेगी, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो उसके लिये आपने शब्द प्रयुक्त किये थे कि यह संशोधन निर्दोष होगा और यह संशोधन अविलम्बनीय है। लेकिन मैंने आपसे यह आशा की थी कि अविलम्बनीय क्यों है इस दिशा में आप अपने विचार एक विशेषज्ञ के नाते सदन को बतायेंगे। केवल अविलम्बनीय शब्द मैंने सुना और निर्दोष भी सुना। लेकिन मैं जब सोचता हूं तो लगता है इससे अधिक दुर्गुणपूर्ण कोई संशोधन नहीं हो सकता। आप स्वतः उस बोर्ड के सदस्य की हैसियत से उसके कामों से अवगत हैं। मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि इस बोर्ड ने पिछले वर्षों में अपने लक्ष्य के अनुकूल कुछ ऐसे कार्य किये, जिन कार्यों को सरकार पसन्द नहीं करती है इसलिये उस बोर्ड में अपने सदस्यों की कुछ संख्या बढ़ाना चाहती ह। बोर्ड का वर्तमान संगठन है, उसमें सरकार के इशारे पर नाचने वालों की संख्या कम है। गन्ना काश्तकारों के प्रतिनिधि, खांडसारी यूनिट्स के प्रतिनिधि यह सारे लोग गन्ना काश्तकारों के हितों में फैसला करते हैं और सरकार के हितों के साथ चलने वाले कम हैं, इसलिये सरकार चाहती है २४ की संख्या बढ़ कर २५ हो जाय।

इस परिषद् ने गन्ना के मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया, उसकी सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ सुझाव सरकार के सामने रखे। सरकार के सामने एक संकट पैदा हुआ जब परिषद् ने कहा गन्ना काश्तकारों को जो मूल्य मिल रहा है, वह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रस्ताव किया कि इतना मूल्य मिलना चाहिये, तो सरकार को सकट हुआ। इसलिये उस दोष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण]

का परिहार करने के लिये, सरकारी हितों की रक्षा, मिलमालिकों के हितों की रक्षा करने के लिये और अपने पक्ष को प्रबल बनाने के लिये एक सदस्य बढ़ाना चाहती है। इसमें दिया हुआ है कि वह सदस्य कौन होगा। वह नहीं होगा जो गन्ना किसानों का प्रतिनिधि होगा अथवा खांडसारी यूनिट्स की तरफ से आयेगा, बल्कि वह होगा जिसे टेक्नीकल नालेज होगी अथवा वह होगा जो गन्ना और उससे निर्मित वस्तुओं के विकास में अभिरुचि रखता हो। जाहिर है यह वही व्यक्ति होगा जिसे सरकार सर्टिफिकेट देगी कि आप विशेषज्ञ हैं। सरकार द्वारा माने हुये विशेषज्ञों से हम लोग अवगत हैं, किस प्रकार ज्यादा आलू पैदा करने वालों को पुरस्कार बटता है हम सब जानते हैं। इसलिये मैं समझता हूं सरकार इस बोर्ड को अपने हाथ की कठपुतली बनाने के लिये यह अधिकार लेना चाहती है।

हमारे पक्ष के लोगों ने जब इस बात की चर्चा की कि आज गन्ना काश्तकारों कि क्या परिस्थिति है तो कहा गया कि इससे इसका क्या सम्बन्ध है। मान्यवर, आप जानते हैं, बहुत लोगो को पता नहीं है और आपके पूर्व मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने जब यह कहा कि हमारी ओर से जो कुछ कहा गया सब अनापशनाप बातें थीं, आप स्वतः जानते हैं कि इस बोर्ड का एक ही लक्ष्य है कि यह बोर्ड गन्ने की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दे, कैसे वह मिलों को सप्लाई किया जाय और उसके उत्पादन से संबंधित जो समस्यायें हों, उन पर भी कुछ विचार प्रस्तुत करे।

आज सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ जटिल परिस्थिति इस प्रदेश में उत्पन्न है। आज जो परिस्थितियां इस सम्बन्ध में प्रदेश में उत्पन्न हैं इस पुनीत अवसर पर आपके द्वारा जब हम उन परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं तो मान्यवर, मुझे क्षोभ होता है कि अज्ञानता के कारण आज भी कुछ सदस्यों का अजीब सा विचार बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि हमारी ओर से जितने भी विचार प्रकट किये गये हैं वह सब 'अनाप शनाप' हैं। 'अनाप शनाप' शब्द कहां तक पार्लियामेंटरी है यह तो आप निर्णय दें लेकिन वह लाईयर अपने को कहते हैं। पता नहीं लाईयर की हैसियत से या लायर, जो भी उनकी हैसियत हो, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कम से कम उन्हें गन्ना किसानों के सम्बन्ध में क,ख, ग भी नहीं मालूम है। इस बोर्ड का क्या कम्पोजीशन है बिना इसके दोषों के बारे में पूर्ण जानकारी किये हुये उन्हें सदन का समय नहीं लेना चाहिये था। दुर्भाग्य है कि वे इस प्रकार सदन का समय नष्ट करते हैं। मुझे दुख है कि आज हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस प्रदेश के सबसे बड़े अंग के बारे मे जानकारी नहीं है। मान्यवर, यह दुख की बात है।

आज एक अजीब परिस्थिति में प्रदेश का किसान है। एक मन नहीं, करोड़ों मन गन्ना फूंक दिया जायगा। आज या कल सबेरे पेपर्स में यह समाचार पढ़ा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है। पिछले दिनों क्या व्यवस्था की गयी? पिछले दिनों आश्वासन दिया गया था कि हम कोल्हुओं के द्वारा जो अतिरिक्त गन्ना होगा उसको पेर लेंगे। हमारे मित्र ने जब परिधि बढ़ाने की बात कही तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनका मंशा यह था कि यह सदन काश्तकारों के हितों के लिये बना हुआ है और इस सदन का कार्य जिनका काश्तकारों के पैसे से चलता है सबसे पहले अगर कोई कानून बनता है तो वह कानून होना चाहिये उनके सबसे बड़े इंटरेस्ट में। आपने मान्यवर, स्वयं मासूम इसे कहा। अब मैं कैसे कहूं कि यह मासूम नहीं है लेकिन मासूम की शक्ल में यह संशोधन विधेयक एक ऐसा शैतान जरूर है कि जो गन्ना काश्तकारों का सत्यानाश कर डालेगा। यह तात्कालिक जरूर है लेकिन तात्कालिक एक अर्थ में है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र यह चाहती है कि इस परिषद् का प्रजातांत्रिक चरित्र समाप्त हो जाय।

मान्यवर, जो दूसरा संशोधन इसमें रखा गया है उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उस संशोधन में यह कहा गया है कि जिला प्लानिंग आफिसर को बहुत सी कमेटियों में हिस्सा लेना होता है। इसलिये उनके पास इतना समय नहीं है कि वे गन्ना विकास परिषदों में योगदान कर सकें। इसलिये कोई अन्य व्यक्ति भी उसमें नामजद किया जा सके। यह संशोधन

भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के आदमियों की संख्या बढ़ाने के लिये लाया गया है। मान्यवर, प्रारम्भ से मैंने जो कुछ निवदन किया उसे आपने ध्यानपूर्वक सुना है। पिछले ५ सालों में आपके द्वारा गन्ना काश्तकारों के हितों में बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव सुनने को हमें मिले है, यह मैं मानता हूं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि जब मैं बोल रहा हूं आप स्वयं इस समय चेयर पर विराजमान हैं मैं चाहूंगा कि आप उधर के बैठने वाले सदस्यों को यह समझा दे कि इधर से हमेशा जो कहा जाता है उससे उनको इंकार नहीं करना चाहिये। ५ साल हमने उनको समझाया तो भी समझ में नहीं आया और प्रतिफल उनके सामने है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह जनतंत्र की हत्या मत करो। एक तरफ समाजवादी समाज की रचना की बात वे करते हैं और दूसरी तरफ अधिनायकवाद की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इससे देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियां संगठित हो रही हैं और हम व आप, जो जनता के आशीर्वाद से यहां आये हुये हैं, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। अगर एक दूसरे का सहयोग रहेगा तो बड़ा भला होगा।

अन्त में मैं आपके द्वारा आग्रह करता हूं कि यह जो परिधि बढ़ाने की बात है उसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो हम चाहते हैं कि बोर्ड को अप्रजातांत्रिक होने से बचायें। हम साफ साफ यह कहें कि कैसे हम उसे गन्ना काश्तकारों का हितकारी संगठन बना सकते हैं और साथ ही साथ जो गन्ना काश्तकारों का विधेयक प्रस्तुत है उसमें परिहार की व्यवस्था इसमें कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं साथी कल्पना सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये विरोधी दल की ओर से आया है, उसका मैं विरोध करता हूं। यह एक बहुत मामूली सा बिल है जिसमें शुगर कंट्रोल बोर्ड में एक सदस्य के बढ़ाने की बात कही गयी है और वह भी इसलिये कि बिहार ने अपना एक प्रतिनिधि बढ़ा दिया और इसलिये आवश्यकता हुई कि यू० पी० का भी उसमें पूरा प्रतिनिधित्व रहे। दूसरा जो संशोधन दिया गया वह भी ठीक ही है क्योंकि यह बात सही है कि बहुत से जिलों में ४, ५ डेवलेपमेंट कौंसिल्स हैं और उनमें जो हमारे डी०पी० ओज० हैं, वे नहीं जा सकते हैं तो उनको सुविधा रहे और उस दिक्कत का समाधान करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत हुआ है। इसलिये प्रवर समिति का जहां तक संबंध है उसमें कोई सिद्धान्त की बात नहीं आती। कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं है। यह बहुत मामूली सा बिल है और इस पर बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं थी।

श्रीमन्, जो बाते गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों के संबंध में प्रवर समिति के संशोधन पर बोलते हुये श्री गेंदा सिंह जी ने कही उनसे बहुत कुछ अंश तक मैं अपने को सहमत पाता हूं। क्योंकि ज्यादा दिनों की बात नहीं है, अक्तूबर, नवम्बर, सन् ६० की बात मैं आपको याद दिलाता हूं। उस समय मिलों को प्रोत्साहित किया गया सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी एक्साइज ड्यूटी तथा सेस को कम करके कि वे ज्यादा से ज्यादा गन्ने को पेरें और ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा करें। दूसरी ओर काश्तकारों को भी प्रोत्साहित किया गया खाद दे कर, सिंचाई के साधन दे कर कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना वे पैदा करें और तीसरी ओर खांडसारी यूनिट्स को कम किया गया उनके सामने दिक्कतें पैदा करके ताकि वे खांडसारी कम पैदा करें। इस योजना से प्रोत्साहित होकर अक्तूबर और नवम्बर, १९६० में बहुत से काश्तकारों ने जो सरकार की योजना थी, आकांक्षा थी, उसको पूरा करने की कोशिश की और हमारे सूबे में १४ लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ।

इसी बात को समझ कर दिसम्बर या जनवरी, १९६१ में काश्तकार ने गन्ने के उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाया क्योंकि उसे आशा थी कि सरकार चाहती है कि चीनी का उत्पादन बढ़े। परन्तु ८, ९ महीने बाद ही हमारे सामने दूसरी नीति आयी कि सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे यहां चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक बढ़ चुका है इसलिये उसे कम करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

की जरूरत है । इसलिये एक ओर तो मिलों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना आरम्भ किया और दूसरी ओर खांडसारी बनाने वालों को भी कुछ सहूलियतें दी गयीं ताकि वे गन्ना पेर लें । मेरे कहने का आशय यह है कि एक ओर तो चीनी के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही जाती है और काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे अधिकाधिक मात्रा में गन्ने की पैदावार और उसके क्षेत्र को बढ़ायें और फिर ६ हीं ७ महीने के अन्दर हम अपनी नीति को बदल देते हैं । इसलिये कहीं न कहीं हमारी योजना में कमी है, हमारी योजना समुचित रूप से नहीं बनी है जिसकी वजह से हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं ।

जहां तक चीनी के उत्पादन का संबंध है, कितनी चीनी पैदा हुई ? लगभग १४ लाख टन । और साढ़े ७ करोड़ की हमारी सूबे की आबादी है ? अगर हम अपने सूबे ही के अन्दर इस चीनी को खपाना चाहें तो १ छटांक प्रतिदिन एक व्यक्ति के हिस्से में आती है । अब चीनी कोई लग्जरी की चीज नहीं रह गयी है । यह तो एक आवश्यक चीज हो गयी है । इसलिये मैं यह नहीं मानता कि हमें चीनी का उत्पादन कम करना चाहिये । चीनी का उत्पादन तो बढ़ना ही चाहिये, लेकिन आवश्यकता इस बात ही की है कि हम अपनी जनता को इतना समर्थ बनायें कि वह १ छटांक रोज के हिसाब से चीनी खा सके । इसलिये चीनी के उत्पादन को कम करने की जो योजना है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं । वास्तव में यह बात सही है कि आज काश्तकारों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं । पहले तो हमने अधिक गन्ना पैदा करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया और जब अधिक गन्ना पैदा हो गया तो यह करने लगे कि किसी तरह से गन्ना न पिर सके या चीनी ज्यादा न बन सके । तो यह बड़ी कठिनाई की बात है । इससे हमारे काश्तकार को बड़ा कष्ट है । इसलिये माननीय गेंदासिंहजी ने जो इसे प्रवर समिति के समक्ष रखने के लिये संशोधन उपस्थित किया और इसके ऊपर जो अपने विचार प्रकट किये उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे कि किस प्रकार हम बढ़ते हुये चीनी के उत्पादन को अपने सूबे और देश के अन्दर वितरित कर सकते हैं ।

अभी बहुत से लोगों ने अमरीका की बात कही । आज १४, १५ करोड़ की आबादी वाला देश अमरीका करीब १ करोड़ टन चीनी की खपत करता है और वह भी अपने आप इतनी मात्रा में पैदा नहीं करता बल्कि दूसरे देशों से मंगा कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। हमारे देश को इस बात की आये दिन फिक्र रहती है कि हमारी चीनी दूसरे देशों को जाय । मैं इस नीति से सहमत नहीं हूं । हम अपनी योजना इस तरह से क्यों न बनायें कि हमें अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी चीनी, कितना अनाज, कितने कलोरीज की आवश्यकता होनी चाहिये और जब तक वह आवश्यकता पूरी न हो जाय, तब तक दूसरे देशों को चीजें भेजने की बात करना मैं ज्यादा उपयुक्त नहीं समझता । मैं तो समझता हूं कि हमें चीनी के उत्पादन को भी बढ़ाना चाहिये और साथ ही साथ इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी जनता में वह सामर्थ्य पैदा हो कि वह चीनी को खा सके । इस प्रकार से अगर योजना बनेगी तो हमारा देश समृद्धि-शाली होगी और उसकी हालत सुधरेगी ।

अगर श्रीमन्, यही हालत रही और आये दिन हम अपनी योजनायें बदलते रहे, नीतियों को बदलते रहे, जिससे हमारे काश्तकार और जनता दुविधा में पड़ी रहे तो हमारे सूबे और देश की भलाई होने वाली नहीं है । मैं कहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बिहार और हमारे पूर्वी जिलों में जो गन्ना उत्पादक हैं उनके सामने बड़ी कठिनाइयां पेश आ रही हैं और यह आशंका है कि जितना गन्ना पैदा हुआ है उसके पेरने की सामर्थ हमारी मिलों में न हो । इसके पिरवाये जाने की हमारी जिम्मेदारी है । आयन्दा हमारा कर्तव्य है कि अपनी सुनिश्चित नीति बनायें। हमें गन्ना बोने से पहले अपनी नीति बनानी चाहिये । यदि कुछ नियमों के बनाने की आवश्यकता हो तो वे बनाये जायं कि इससे अधिक कोई काश्तकार गन्ना नहीं बोयेगा और न पैदा करेगा । अगर आप पहले नीति बना देंगे और फिर भी वे गन्ने ज्यादा पैदा करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह आपने अपनी जिम्मेदारी पर किया है । लेकिन जब आपकी नीति के सहारे पर गन्ना पैदा किया

गया है आपने उसको प्रोत्साहन दिया और उसके बाद एक दम दुश्वारियां पैदा कर दी जाय और उसका गन्ना मिलों में न जा सके और उसके गन्ने का दाम ठीक से न मिल सके, क्योंकि खांडसारी वाले गन्ने का दाम कम देते हैं और काश्तकार को करीब रुपये चौदह आने मन का गन्ने का दाम मिलता है जब कि मिलों में एक रुपये दस आने मन मिलता है। यदि वे कठिनाई में पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी शासन पर और हम लोगों पर आ जाती है। इसलिये मैं अधिक न कह कर, प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी नीति को स्पष्ट बनाये और उसकी योजनायें ऐसी हों जो ठीक हों और भविष्य को देखते हुये बनाये। यदि ऐसा होगा तो हम अपनी योजनाओं को सम्पन्न कर सकेंगे और वे पूरी हो सकेंगीं। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री किसुना (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता, महोदय, आज सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के जितने आदमियों की बात हमने सुनी है उनसे यह मालूम होता है कि मंत्री जी के गुट के कुछ आदमी या संबंधी छट गये हैं। इसलिये इस प्रस्ताव के पढ़ने से मालूम होता है कि इसमें और कोई रहस्य नहीं है। पारसाल किसानों के गन्ने का दाम मिल मालिकों पर बाकी रहा और आज भी बाकी है। अगर किसान पर कुछ बाकी रह जाता है तो उसकी कुर्की होती है, लेकिन मिल मालिकों पर बकाये के लिये कोई कुर्की नहीं होती है। अगर मिल मालिक गन्ना किसान का दाम नहीं देंगे तो उनको उसके लिये कुछ सोचना पड़ेगा। किसानों के गन्ने का दाम उनको मिलना चाहिये। किसानों का गन्ने का दाम बाकी है यह बात प्रस्ताव में नहीं आई है। जितने सदस्य यहां आये हैं सभी लोग किसानों के हित की बात कहते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव से हम इतना समझते हैं कि मंत्री जी के कुछ गुट के आदमी छूट गये हैं इसलिये वह आदमी लेना चाहते हैं। वह यदि आदमी ले लेंगे तो उनका काम चल जायगा नहीं तो अगर किसान लोग चुनते तो बात दूसरी ही होती लेकिन यहां पर तो सरकार नामीनेट करेगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और....

श्री गंगासिंह (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य के भाषण के समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

श्री अधिष्ठाता---समझ का मेरे पास इलाज नहीं है। वैसे माननीय सदस्य आसान भाषा में बोलने की कृपा करें।

श्री किसुना---पश्चिमी जिलों के लोग जान लें कि हम बिहार की सरहद पर रहते हैं। छपरा की सरहद पर रहते हैं इसलिये उन लोंगो को हमारी बात समझने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है। लेकिन हम जो समझते हैं वह यह है कि उनके गुट के कुछ लोग छूट गये ह। जितने सदस्य बोले हैं और प्रस्ताव रखा है ओकर हम समर्थन करब और सरकारी पक्ष से जो प्रस्ताव आइल बा ओकर हम विरोध करब। दोसर बात ई है कि सरकार को चाहीं कि गन्ना बोर्ड के बैठक बुला दीं नाहीं ता किसान दोसर बात सोची और खुद अपने विचार करी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के माफिक और प्रवर समिति के संशोधन के खिलाफ मैं आपके सामने चन्द मिनटों में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक में दो छोटे से सवाल हैं। इस विधेयक में कोई राजनीति नहीं है। जो यह विधेयक की प्रतियां वितरित हुई है अगर इसको सम्मानित सदस्यों ने पढ़ा है तो जो यह बहस विरोधी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है, और प्रवर समिति की मांग पेश है, वह सम्मानित सदस्यों की समझ में आना बहुत कठिन नहीं है। हिन्दी की पुस्तिका मेरे पास नहीं है। यह अंग्रेजी की पुस्तिका है। अगर मैं इसकी दो लाइनें पढ़ कर सुना दं तो यह सम्मानित सदन इस विधेयक के मकसद को समझ जायगा।

[श्री जे० पी० मिश्र]

"With the mutual consent of the two Governments, this Board consists of 14 members from Uttar Pradesh and 10 from Bihar. It is now proposed to raise the existing strength of the Board from 24 to 25 in order to counterbalance the increase made in the Bihar Sugar Control Board by the inclusion of another member under the category of persons possessing technical knowledge in sugarcane or otherwise interested in the development of sugarcane and its products."

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया इसका अनुवाद कर दें।

श्री जे० पी० मिश्र---इसका मकसद एक लाइन में यह है कि बिहार में शुगर कंट्रोल बोर्ड में एक सदस्य लिया है। उसको बराबर करने का मकसद है। विरोधी पक्ष को यह खतरा है कि जो बहुमत दल है वही फिर उसमें कब्जा कर लेगा। खतरा वाजिब है। चुनाव के मोर्चे में यही खतरा, विधेयक प्रस्तुत करने में यही खतरा, और हर जगह यही खतरा कि बहुमत न लद जाय। विरोधी पक्ष की भावना बड़ी पवित्र है और उनका मकसद भी पवित्र है। कोई सरकारी कर्मचारी बढ़े तो विरोध, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बढ़े तो विरोध, कांग्रेसी सदस्य बढ़ें तो विरोध। लेकिन जब कोई रचनात्मक सुझाव होता है तो बात समझ में नहीं आती है। उनका विचार है कि इस बोर्ड में टेक्निकल एक्सपर्ट आने से, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, सरकारी नामिनी के जाने से, कुछ बहुमत दल की शक्ति बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्यों को चुनाव के बाद इतना खतरा नहीं महसूस करना चाहिये। ईमानदारी का सवाल है, अगर बिहार ने कुछ फैसला किया है और उसके बराबर लाने के लिये हम उत्तर प्रदेश में एक पवित्र विधेयक प्रस्तुत करें तो उसमें यह प्रश्न कहा उठता है कि इसमें गन्ना पैदा करने का प्रश्न है। गन्ना पैदा करने का प्रश्न दूसरा है। मेरी छोटी राय में उसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। इस पवित्र भावना को समझने के बाद यह सम्मानित सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि अगर उसमें कोई टेक्निकल जानकार बढ़ जाय और बैलेंस बराबर हो जाय बिहार और उत्तर प्रदेश का तो उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात बड़ा एतराज हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के रखे जाने पर। सम्मानित सदस्य सब जिला परिषदों के सदस्य हैं और अच्छी तरह से यह जानकारी रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के पास कोआर्डिनेशन होने से कितने महकमे बढ़ गये हैं, कितने महकमे मिला जुलाकर एक बना दिये गये हैं, उनका कार्य-संचालन, वही परिषद् को मुख्य अधिकारी, वही प्लानिंग आफिसर, उसी के मातहत तमाम ब्लाक्स, सारे कार्य-क्रम इत्यादि का देखना, हर विभाग को देखना उसी के मातहत है। दूसरा एक छोटा सा संशोधन रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई और दीगर अधिकारी उसमें नामजद कर दें। तो ऐसा करने से कांग्रेसी तो कोई उसमें बैठता नहीं, जिससे कि आपको खतरा हो। खतरा आपको हमसे हो सकता है कि हम वोट आपके खिलाफ देंगे, हम तादाद अपनी बढ़ायेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारियों से तो कोई खतरा आपको होना नहीं चाहिये इस जनतंत्र में। अगर उनसे आपको कोई खतरा दीखता है तो मैं समझता हूं कि यह थोड़ी सी आपकी कमजोरी का प्रदर्शन है। यह विधेयक महान् पवित्र और निर्दोष है। छोटे से दो सवाल हैं। एक में टेक्निकल एक्सपर्ट बढ़ाने की बात है और दूसरे में एक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के अलावा बढ़ाने की बात है। तो इस किस्म की बातों में विरोधी दल को खतरा नहीं दिखाई पड़ना चाहिये कि बहुमत की ओर से और ज्यादा बहुमत बनाया जा रहा है। इस विधेयक से कोई बहुमत नहीं बनाया जा रहा है। गन्ने का प्रश्न बिलकुल एक दूसरा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह---मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---उसका आपको अधिकार नहीं है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जे० पी० मिश्र---व्यवस्था की परेशानी है, माननीय अधिष्ठाता महोदय । जब बात का वाजिब और मुनासिब जवाब मिलता है तो तकलीफ होती है । मैं यह कह रहा था कि यह एक कानून का प्रश्न है । ऐक्ट की बात है, इसमें गन्ना जलने का, गन्ना पैदा होने का और विकास समिति का, इन सब चीजों का प्रश्न कहां से पैदा होता है । प्रवर समिति में अगर यह प्रश्न जाता है तो क्या वहां बैठकर आप यह तय करेंगे कि दस लाख मन गन्ना बचा है, यह जलेगा या बचेगा । उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ हद है । आप उसमें सिर्फ यह तय करेंगे कि एक मेंबर बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय । उसमें गन्ने की पैदावार, विकास, खाद डालना, जलाना, बचाना, यह सब तय होने वाला नहीं है । यह सब उसके स्कोप में नहीं है ।

(व्यवधान)

ठीक है, मेरी राय और आपकी राय में अन्तर हो सकता है, इसका आपको अधिकार है कि आप दूसरी राय रखें लेकिन मेरी छोटी सी राय में यह बिलकुल निर्दोष और पवित्र विधेयक है और दोनों बातें अलग अलग हैं । एक में एक टेकनिकल एक्सपर्ट रखने की बात है ।

क्या वह समिति आगे चल सकेगी जिसमें टेकनिकल राय देने वाले को आप अलग कर देंगे केवल हम और आप उसमें बैठेंगे तो सिवाय आपस में खींचतान होने के और क्या होगा । तो बगैर टेकनिकल राय वाले अधिकारियों को उसमें रखे, कमेटी का काम होने वाला नहीं है । यही मेरा निवेदन है। इसलिये इस विधेयक के समर्थन में और इसे प्रवर समिति में भेजने के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं और मुझे यही कहना है कि विरोधी दल के सम्मानित सदस्य इस विधेयक की भावना को पहले समझ लें और उसके बाद यह तमाम भाषण जो इर्रेलिवेंट भाषण हैं उसको लाने की कोशिश करें ।

श्री रामायण---मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जैसा मैंने सुना वक्ता महोदय का यह कहना है कि केवल उसमें सरकारी सदस्य नामिनेट होने वाला है । तो क्या किसी और बिल पर वह बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कोई और भी हो सकता है कि जो गन्ने के बारे में जानकारी रखता हो । वे इस संबंध में कोई और बिल के बारे में बोल रहे हैं या इसी बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री रामायण---उनको उद्देश्य और कारणों को सामने रखकर अपना भाषण करना चाहिये । यही व्यवस्था का प्रश्न इसमें उठता है ।

श्री जे० पी० मिश्र---मैंने अपनी राय, जो इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत की है, वह इस सदन से अलग नहीं है । सारा प्रश्न यह है कि किस किस्म के इंसान लिये जा सकते हैं । इसमें साफ है कि बाहर से आयें या सरकार से आयें । इसका अधिकार पहले इस सदन को है ....

श्री उग्रसेन---किस किस्म के इंसान लिये जायेंगे ।

श्री जे० पी० मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य को भी बोलने का मौका है । मैं उनके भाषण में कभी दखल नहीं देता । मैं भी दखल दे सकता हूं अगर उसके लिये इजाजत हो, किन्तु जैसा रिवाज इस सदन में डाला जा रहा है उससे कोई बहस इस सदन में चल नहीं पायेगी । मैं जो बातें इस सम्मानित सदन के सामने पेश कर रहा हूं उनको उसका जवाब देने का मौका मिलेगा । अन्त में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हुआ प्रवर समिति के संबंध में जो विरोधी पक्ष ने अपना संशोधन रखा है, उसका घोर विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि माननीय सदन इस विधेयक को एक राय से स्वीकार करेगा ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव पर काफी बहस हो चुकी है और इस समय, यदि इसके ऊपर, आगे बहस बन्द कर दी जाय तो अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि अभी लंच का समय है । इस समय वोटिंग इस पर नहीं होगी । इसलिये उचित यही है कि थोड़ी देर विवाद और चलता रहे और बाद में इस प्रस्ताव को लिया जाय ।

श्री रामायण—२ बजे तक कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है । जो कहना हो उसे जोर से कहिये ।

श्री अधिष्ठाता—वह प्रस्ताव कर रहे थे कि क्लोजर मूव किया जाय । तो इस पर मैंने यह व्यवस्था दी है कि अभी कुछ देर इसी प्रकार से विवाद चलता रहे ।

श्री रामायण—२ बजे तक इस विषय का कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—यही मेरी भी राय है ।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक पर काफी देर से विवाद हो रहा है और इस पर विवाद को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि मेम्बरों की नामजदगी की व्यवस्था न होती तो शायद माननीय सदस्यों को शंका करने की गुंजायश न होती । जनतंत्र को जीवित रखने के के लिये और उसको बढ़ावा देने के लिये नामजदगी की प्रथा को तो समाप्त कर देना ही चाहिये था और उसके स्थान पर चुनाव की प्रथा को प्रचलित करना चाहिये था । इसका महत्वपूर्ण जो आधार है वह यह है कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधित्व व्यवस्थित रूप से हो सकता है, लेकिन नामजदगी की प्रथा कायम करने से बहुमत लादने की बात की शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है । माननीय सदस्य, मैं चाहता हूं, इस बात पर विचार करें । गन्ने जैसे धंधे पर जिस पर सारे सूबे की आर्थिक स्थिति का काफी दारोमदार है सरकार द्वारा नामजदगी जैसी चीज न लाद कर, माननीय सदन उस काम को स्वयं अपने हाथ में ले ले और एक समिति का चयन करे जो उसकी देखभाल करे और किसानों की सुरक्षा का ख्याल करे ।

मान्यवर, इस विधेयक को ला कर सरकार ने अपने अधिकारों को बढ़ाने की बात की है । अधिकार प्राप्त करना दूसरी चीज है, कर्त्तव्य पालन करना दूसरी चीज है । अधिकार प्राप्त करके कर्त्तव्य का पालन न करना और उस से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करना सदन के लिये और इस प्रदेश की जनता, न कि सरकार के लिये शोभा नहीं देता है । जब मैं कर्त्तव्य पालन की बात करता हूं तो अधिष्ठाता महोदय, मैं उन किसानों की ओर अपनी नजर रखता हूं जिनको आये दिन हर तरह की परेशानी और मुसीबत भोगनी पड़ती है और अपमान भी सहना पड़ता है । मैं जौनपुर जिले से आता हूं । मेरे जिले में शाहगंज में एक शुगर मिल है । वहां के किसान गन्ना पैदा करते हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं बतलाऊं कि उन किसानों को आये दिन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है । उसे सुन कर आपको भी तकलीफ होगी और सदन के दूसरे सदस्यों को भी तकलीफ होगी । किसान अपना गन्ना गाड़ियों पर लाते हैं और मिल के पास आ कर उनको एक, दो और तीन तीन दिन तक खड़े रहना पड़ता है, रुक जाना पड़ता है और वे अपना गन्ना मिल में दाखिल नहीं कर पाते । उसके बाद, मान्यवर, जब वे वजन कराने के लिये जाते हैं तो गाड़ी का वजन का काट कर गन्ने के वजन की पर्ची उसे दे दी जाती है । लेकिन दूसरे दिन जब उसी गाड़ी पर जब वह अपना गन्ना दुबारा लाता है तो उसे अपनी गाड़ी के वजन में अन्तर मिलता है । मान्यवर, इतना ही नहीं, परची देते समय भी पक्षपात

किया जाता है । मिलों के अपने फार्म होते हैं, जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, और उनका गन्ना ट्रकों में भर कर पहले ही पहुंचा दिया जाता है और किसानों की गाड़ियां दो-दो दिन तक पड़ी रहती हैं ।

एक सदस्य ---बिल पर बोलिये ।

श्री केसरीप्रसाद-----मान्यवर, मैं किसानों की दिक्कतों के बारे में कह रहा था । अगर उनका ख्याल किया जाय तो यह नामजदगी की प्रथा हमेशा के लिये समाप्त करनी होगी । उन किसानों को जिन तकलीफों का मुकाबला करना पड़ता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार कर्त्तव्य पालन की ओर अधिक ध्यान दे । सरकार का परम कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह किसानों के जीवनयापन का विशेष ध्यान रखे जिनके बल पर वह यहां आयी है और जिनका प्रतिनिधि होने का वह दावा करती है । मेरी अपनी राय तो यह है कि विधेयक इस समय इस सदन में नहीं लाना चाहिये था । यह विधेयक प्रवर समिति को भी नहीं भेजना चाहिये, बल्कि इसे मंत्री जी को वापस ले लेना चाहिये और उसके पश्चात् उन्हें एक नया विधेयक लाना चाहिये जिसमें इस नामजदगी की व्यवस्था न हो, गन्ने की कीमत दो रुपये मन करने की व्यवस्था हो, जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने की व्यवस्था हो, और जिसमें मान्यवर, वह जो किसानों की बकाया रकम जिस के लिये उन्हें ठोकर खानी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है, जिल्लत भोगनी पड़ती है, उसकी अदायगी की यथाशीघ्र व्यवस्था हो । इस प्रकार का विधेयक यदि लाया जाय तो उससे सदन को सुविधा होगी और सरकार की मंशा समझने में किसानों को सुविधा होगी । वे आसानी से सरकार से इमदाद पा सकेंगे ।

मान्यवर, दूसरी बात डी० पी० ओज० के सिलसिले में कही गयी है । वह बात अपनी जगह पर कुछ अर्थ जरूर रखती है । यह सही है कि वह अपने कार्य भार से बहुत अधिक लदा हुआ है और परेशानी में है । यह चीज अधिक उपयुक्त होती अगर उसके स्थान पर किसी एग्रीकल्चरल आफिसर को रखने की बात कही जाती क्योंकि वह उस कार्य का पंडित होता है और पूरी जानकारी उसको उस कार्य की होती है । उसकी निगरानी में अगर यह काम हो तो अधिक सुविधाजनक होगा । यह चीज विचारने की और समझने की है कि उसमें ऐसे आदमी को रखा जाय जो किसानों की रोजाना की जिन्दगी से अपना सम्पर्क रखता हो । इसलिये इन्हीं थोड़ी सी बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस लेकर कोई ऐसा सुन्दर सा विधेयक इस सदन में लायें जिससे कि उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और किसानों का भी हित हो सके ।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)-----माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ बातें मैं आपके द्वारा इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं । मैंने जो विधेयक पारित करने के लिये यहां प्रस्तुत हुआ है उसके पक्ष में तथा उस पर माननीय विरोधी सदस्यों की तकरीर को बड़े गौर से सुना और विचार किया । प्रवर समिति की एक बड़ी महत्ता होती है और उसके सामने चीज जानी चाहिये जिससे कि किसी सिद्धांन्त पर वहां निर्णय लिया जा सके । इस समय जो प्रश्न है उसमें तो केवल एक सदस्य के बढ़ाने की बात है । यह कोई ऐसे महत्व का प्रश्न नहीं है जिसे प्रवर समिति में भेजना आवश्यक हो । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, इसकी जरूरत तो इसलिये हुई चूंकि बिहार सरकार ने बोर्ड में एक सदस्य बढ़ा दिया है और उसको बराबर करने के लिये एक और सदस्य बढ़ाने के लिये यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया है जो बिलकुल ही निर्दोष है और कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । ऐसे निर्दोष प्रस्ताव में यह स्वप्न देखना कि इसमें कोई दुर्भावना छिपी हुई है और इससे गन्ना उत्पादकों की हानि होने वाली है, ठीक नहीं है और यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती । चाहे यह सरकार हो, इसके

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

दल के लोग हों, या विरोधी दल के सदस्य हों, सभी यह समझते हैं कि उनका यह परम कर्तव्य है कि किसानों के लाभ के लिये इस सदन में कार्य करें और उनको लाभ पहुंचाने के लिये विधेयक बनाया जाय। सरकारी और विरोधी, दोनों दलों का एक ही मत है। फिर यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे समझा जा रहा है कि इस निर्दोष विधेयक के पीछे कोई दुर्भावना छिपी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो विधेयक सरकार की तरफ से यहां रखा गया है वह उचित है और जो संशोधन पेश किया गया है उसे न माना जाय।

इसमें जो दूसरा संशोधन है कि यदि वह अधिकारी खाली न हो तो उसकी जगह दूसरा कोई नामिनी रखा जाय, वह भी निर्दोष ही है। आप किसी को भी रखें, अगर वह अच्छा व्यक्ति है, तो उसको आप चाहे नामिनेट ही करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसे माननीय सदस्य पारित करेंगे।

श्री उग्रसेन—माननीय अधिष्ठाता जी, प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में हमारी ओर से जो संशोधन है कि उसे इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसे इस बात का अधिकार रहे कि चाहे तो वह इसकी परिधि बढ़ा सके, उसके समर्थन में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इस विधेयक में दो बातों की ओर कदम उठाया गया है। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो गन्ना बोर्ड है उसकी संख्या कुछ कम है उसमें एक सदस्य की और वृद्धि की जाय। इस बोर्ड की संख्या पहले बहुत कम थी लेकिन जैसा कि उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है, १९ से २४ कर दी गई। एक बार सरकार ने कहा था कि १९ की संख्या कम है, २४ कर दो, क्योंकि सरकार का हित साधन नहीं हो पाता है या यों कहा जाय कि जनता का हित साधन नहीं हो पाता है और इस बार सरकार कहती है कि अगर एक सदस्य की वृद्धि न की गई तो गन्ना किसानों का कल्याण नहीं होगा। मैं चाहता था कि मन्त्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालते, मगर जो विधेयक यहां आते हैं वह सूत्रवत आते हैं। उनमें बड़ी पोल रहती है और हमारा तो यही काम है कि उसकी धुलाई कर दें। पहले १९ से २४ हुये और अब सरकार कहती है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, एक की वृद्धि और कर दो।

दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जिला विकास अधिकारी रहते थे, उनका काम बहुत बढ़ गया है, सरकार को यह बात तीसरी पंच वर्षीय योजना में महसूस हुई। माननीय गेंदासिंह जी जानते हैं कि विकास अधिकारी क्या करते हैं। कहीं तो चुकन्दर बुवायेंगे और कहीं कुवां खुदवायेंगे और एक खाद का गड्ढा ६–६ जगह लिखा जायगा। तो इस तरह से उनके पास बहुत काम है। फिर भी मैं सरकार का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद। श्रीमन्, जरा देख लिया जाय कि सरकार ने उद्देश्य और कारणों में क्या शब्द लिखे हैं––"अन्य व्यक्तियों के साथ साथ, जिला नियोजन अधिकारी को विकास परिषद् में पदेन सदस्य के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किया जाता है। अनुभव से यह पता चलता है कि अनेक जिलों में जिला नियोजन अधिकारी को ऐसी कोई परिषदों की देखभाल करनी होती है और इसके अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।" तो श्रीमन्, यह गन्ना किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये विधेयक नहीं आया है बल्कि इसके उद्देश्य और कारणों से स्पष्ट है कि यह जिला नियोजन अधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये आया है।

एक उधर के माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि यह तो गन्ने के दाम की बात कह रहे हैं। इसमें तो केवल उत्तर प्रदेश और बिहार गन्ना बोर्ड के निर्माण की बात है। तो आधारभूत सिद्धान्त वही है, जब हम परिधि की बात करेंगे तो हम मांग करेंगे कि उसमें केन कमिश्नर और अनेक मन्त्री पदेन सदस्य क्यों बने हैं। आप, श्रीमन्, स्वयं शक्कर और खांडसारी की बात करते-करते इस सदन में थक गये, आपके भाषण में यह मांग दिखा सकता हूं कि खांडसारी यूनियन वालों को भी गन्ना बोर्ड में जगह दी जाय, लेकिन तदनुरूप गन्ना बोर्ड का निर्माण नहीं हुआ। केन कमिश्नर और मन्त्री लोग उसके पदेन सदस्य बनेंगे। मंत्रियों के लिये कोई

योग्यता लिखी नहीं है कि विकास की योग्यता होगी तभी यह विकास मंत्री होगा। मछली पालने का मन्त्री बना दिया, चाहे उसने मछली देखी भी न हो। क्योंकि मंत्री के लिये तो कोई योग्यता रखी ही नहीं गयी है।

श्री अधिष्ठाता—एक ही योग्यता है कि वह विधायक होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—एक योग्यता यह भी है कि वह किसी के सर्टिफिकेट में लिख सकत है कि उसका चाल चलन अच्छा है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जब इस आदरणीय सदन ने प्रस्ताव पास किया था कि गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, उनसे पूछा गया कि जो प्रस्ताव पास हुआ है क्या उसके समर्थन में सरकार ने कोई केन्द्र को चिट्ठी भी लिखी है तो उन्होंने बताया केन्द्रीय सरकार को उन्होंने बड़ी-बड़ी चिट्ठी लिखी कि गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना मन कर दिया जाय। माननीय गेंदासिंह जी भी उस समय गन्ना बोर्ड के मेम्बर थे, बड़ी मुश्किल से मीटिंग बुलाई गयी फिर उस मीटिंग में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय। इस प्रकार केन्द्र को प्रस्ताव गया। केन्द्र ने उसको मंजूर नहीं किया। आज आप कहते हैं कि सदस्यों की संख्या २४ से २५ कर दी जाय, क्यों नहीं ३० कर दी जाय, क्यों नहीं २३ कर दी जाय। अधिक और कमी की दोनों दलीलें हो सकती हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूरे गन्ने बोर्ड के संगठन का प्रश्न है। जब यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा तो वह गन्ना बोर्ड के पूरे संगठन पर विचार करेगी तथा उसके लिये कायदा कानून बनायेगी। लेकिन जब सरकार इस बात को नहीं मानती है तो मालूम पड़ता है सरकार की कहीं अवश्य कोर दबती होगी, इसी-लिये वह यह विधेयक लायी है। आजकल के गन्ना बोर्डों के संगठन में किसानों की बात नहीं सुनी जाती है और अगर कोई निर्णय ले भी लिया जाता है तो यहां उसको नहीं माना जाता है इसलिये मेरी मांग है उसके संगठन पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

दूसरी बात विकास परिषदों में नामांकन की है। अभी तक देखा जाता है कि कभी जिला-धीश किसी गन्ने विशेषज्ञ को उसका मेम्बर चुनता है तो यहां से कोई दूसरा ही लाद दिया जाता है। ऐसा आगे भी हो सकता है। सरकारी पार्टी के अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिनिस्टर नहीं हुए हैं उनको जरूर गन्ना परिषदों का सदस्य बना दिया जायगा। उनको किसी विकास परिषद् अथवा केन कमिश्नर के द्वारा बनवा दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—बिल में तो जिला नियोजन अधिकारी के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को किसी आफीसर को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है, जरा आप उस ओर ध्यान दें।

श्री उग्रसेन—मैंने उस को पढ़ लिया है। अगर जिला नियोजन अधिकारी से काम नहीं बन पायेगा तो दूसरे अधिकारी से बना लिया जायगा। यह कोई तरीका नहीं है। ये सब थोथी दलीलें हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है।

श्रीमन्, आप जरा बोर्ड के कांस्टीट्यूशन को देखें, उसमें ८ सदस्य होंगे, जिनमें से चीनी फैक्टरियों, गुड़ राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों तथा गन्ना उत्पादकों की सह-कारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में दो दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे, जिला नियोजन अधिकारी जो पदेन सदस्य होगा और एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे। आप चाहते हैं कि जिला प्लानिंग आफिसर की जगह कोई अन्य अधिकारी हो। अगर वह चुना हुआ गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधि हो तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी तो हमेशा नामजदगी का विरोध करती है। अब ऐसे अधिकारी उसमें आवेंगे तो गन्ना देखे तो जरूर होंगे। लेकिन उस की समस्या क्या है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के अन्तर्गत भेजा जाय ताकि वहां पर बैठ कर गन्ना बोर्ड के निर्माण पर और विकास परिषदों के निर्माण पर विचार किया जा सके तथा अन्य धारायें जो जोड़वाना चाहते हैं उनके जोड़वाने के ऊपर भी विचार हो सके।

कारागार राज्यमंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, इस विधेयक पर जो बहस हुई उसमें माननीय गेंदासिंह ने फरमाया कि सदन का समय बड़ा कीमती होता है और करीब-करीब ७०० रु० प्रतिमिनट व्यय होता है, इसलिये ज्यादा अच्छा है कि बहस कम की जाय। साथ ही इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द करने का एक प्रस्ताव भी आया।

श्रीमन्, एक प्रश्न तो यह है कि इस विधेयक के द्वारा इसकी संख्या २४ से बढ़ा कर २५ कर दी जाय। दूसरी बात यह है कि जिले में जहां एक से अधिक विकास परिषदें हैं, जहां कि बहुत सी फैक्टरीज हैं, और मौजूदा अधिनियम के अनुसार जिला नियोजन अधिकारी उसका पदेन सदस्य होता है, तो वहां चूंकि एक अधिकारी के लिये सब विकास परिषदों में जाना करीब-करीब नामुमकिन होता है, इसलिये इसकी व्यवस्था की गयी है कि जिला नियोजन अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट नामिनेट करे, वहां जा सकेगा। यदि यह विधेयक सदन के सामने पेश न किया जाता तो शिकायत यह होती कि इसको क्यों पेश नहीं किया गया। अब २४ सदस्य होते हैं। अब प्रश्न यह है कि उसके अन्दर जिला नियोजन अधिकारी के प्रतिनिधि को रखा जाय। अगर इसका इतना विरोध है कि इसको क्यों रखा जा रहा है तो संशोधन में इस तरह की बातें आनी चाहिये थीं, लेकिन आपने देखा कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर भी बड़े लम्बे चौड़े संशोधन दिये गये, उनके अन्दर भी कहीं इसकी चर्चा नहीं की गई। अगर कोई और गैर सरकारी प्रस्ताव सामने आता कि इस विधेयक को ही खत्म किया जाय तो बात कुछ समझ में आ सकती थी या इसके अन्दर यह कहा जाता कि जो मौजूदा विधेयक लाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसको रिपील किया जाय और इसकी जगह कोई दूसरा प्रस्ताव लाया जाय, तब हम समझ सकते थे कि विरोधी दल के लोग वास्तव में कुछ चाहते थे। परन्तु एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि इस बिल को ही वापस लिया जाय और इसकी जगह कोई दूसरा बिल लाया जाय। मान लिया जाय कि आज हम इस बिल को वापस ले लें तो भी उससे नतीजा क्या निकलेगा।

माननीय गेंदासिंह ने मौजूदा बिल की उपयोगिता को माना है। उनको शिकायत सिर्फ यह है कि मौजूदा जो बोर्ड है उसके सुपुर्द जो प्रश्न किया गया है, सप्लाई के प्रबन्ध करने का, या दूसरी व्यवस्था करने का, गन्ने की कीमत इत्यादि के बारे में सरकार को सिफारिश करने का वह समय से नहीं हो पाया। लेकिन उनका यह कहना नहीं है कि इस बोर्ड को तोड़ दिया जाय या बोर्ड की कोई उपयोगिता नहीं है और न उनका कोई ऐसा सुझाव है कि जो विकास परिषदें हैं वे उपयोगी नहीं हैं। विकास परिषदें रहनी चाहिये और यू० पी० तथा बिहार का जो हमारा ज्वाइंट बोर्ड है उसे भी रहना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने तो इस छोटे से बिल के ऊपर अपना पूरा प्रवचन ही जनतंत्र के ऊपर दे डाला कि इससे जनतंत्र का जनाजा निकल जायगा। इसके अन्दर सरकार को एक खतरे में डालना है एक सदस्य बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जब सरकार को नामिनेशन का अधिकार है तो सदस्य संख्या २४ ही रहे तो सरकार को क्या डर है और २३ हो जाय तो उसको क्या और जैसा कि माननीय समाजवादी दल के नेता कह रहे थे कि २३ या २२ कर दी जाय, तब भी सरकार को कौन सा खतरा पैदा होता है। इसमें केवल एक सदस्य की संख्या बढ़ाई गई है। मौजूदा बोर्ड में हमारी सदस्य संख्या २४ है। हमारा यह एग्रीमेन्ट था कि बिहार के १० सदस्य होंगे और हमारे १४ होंगे, लेकिन बिहार सरकार ने यू०

पी० सरकार से कहा कि आगे हमारे सदस्यों की संख्या ११ होगी। उसके कांस्टीट्यूशन का कोई सवाल नहीं था, वह ११ भेजना चाहते थे। अगर २४ रहते हैं तो यू० पी० के १३ ही रह जाते हैं। अगर अपनी पड़ोसी स्टेट के हम ११मान लेते हैं तो हमारे प्रतिनिधि १३ ही रह जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि यू० पी० के प्रतिनिधियों की संख्या कम कर दी जाय? यदि हम चाहते हैं कि बोर्ड में हमारा भी एक प्रतिनिधि बढ़ा दिया जाय, यह भी हम मान लेते हैं कि वह टेक्निकल आदमी हो, लेकिन इसके बढ़ने से जनतन्त्र पर कुठारघात कैसे होता है और वह किसानों के हित के खिलाफ कैसे बात करेगा? उसमें किसानों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और सरकार अपने पक्ष में से करेगी तो कोई मुसीबत आ रही है एक सदस्य के आने से? इसलिये यह चीज किसी तर्क की कसौटी पर नहीं ठहरती है।

अब प्रश्न कवल यह है कि २४ की जगह २५ प्रतिनिधि हो जायं या नहीं? जिलों में कार्य की सुविधा के लिये यह रखा है। गेंदासिंह जी का जिला है, गोरखपुर। जहां पर कई कई विकास परिषदें हैं, वहां पर प्लानिंग आफिसर तमाम परिषदों में नहीं जा सकते। यदि उन पर विश्वास किया जा सकता है, एक माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि अधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को भी नामिनेट किया जा सकता है। अभी तक तो उनको २४ सदस्यों के बारे में शिकायत नहीं है, प्लानिंग आफिसर की शिकायत नहीं है, लेकिन इस बिल के आते ही जनतन्त्र और उसकी सारी फिलासफी ही खतरे में पड़ गई। प्रश्न यह है कि आपको मौजूदा बोर्ड पर एतराज नहीं, अब आप चाहते हैं कि परिधि बढ़ाई जाय, लेकिन अगर आप का स्वयं कोई विचार होता तो आप इस प्रकार की शंका गवर्नर के अभिभाषण की बहस के समय करते। यदि आप समझते थे कि गन्ना यहां का एक प्रमुख उद्योग है, किसानों का जीवन इस पर निर्भर है तो उस समय इस सम्बन्ध में मैंने बहुत कम माननीय सदस्यों के सुझाव सुने। दूसरे माननीय सदस्य स्वयं इस प्रकार का बिल ला सकते थे जैसा कि वह कह रहे थे कि एक कम्प्रेहेंसिव बिल लाया जाय।

कुछ कहते हैं कि नामिनेटेड बोर्ड न हो कर एलेक्टेड बोर्ड हो। कैसे उसका एलेक्शन हो? यहां से हो या किसानों के प्रतिनिधि चुन कर भेजे जायं? एक निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि जब कभी हम चुनावों की चर्चा करते हैं तो दलीलों को एक रिडिकुलस एन्ड तक ले जाते हैं। हर जगह चुनाव कैसे किया जाय? जिलाधीश और सुपरिन्टन्डेंट पुलिस भी एलेक्टेड हों तो इस सिद्धान्त को कहां तक ले जाइयेगा? इस सदन की एक सावरेन पावर है, जनहित में निर्णय होते हैं, नियुक्ति करते हैं। इस तरह से जनतन्त्र और उसके जनाजे की बात करना बिल्कुल रिडिकुलस बात है और जब हम किसी चीज को इतनी दूर तक खींचते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उस सिद्धान्त का विरोध ही करते हैं। जब हम इस रिडिकुलस एन्ड तक जनतंत्र के सिद्धान्त को खींचते हैं तो इससे मालूम होता है कि वह स्वयं उसमें विश्वास नहीं रखते।

केवल एक सदस्य को बढ़ाने की बात है, इसमें जनहित का कोई विरोध नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा सदन का समय नष्ट होता है, ७००, रुपये प्रति मिनट के हिसाब से करीब २,२०० रुपया व्यर्थ हुआ। अतः जब आप सिद्धान्त को मानते हैं तो २४ के बजाय २५ सदस्य हो जाने में क्या आपत्ति हो सकती है। अन्य प्रश्नों पर और किसी दिन विवाद हो सकता था जैसे गन्ने की सप्लाई, उसकी कीमत के प्रश्न हैं। किस तरह से इस उद्योग को संरक्षण मिल सकता है, किसानों को संरक्षण मिले, इन सब बातों पर इस विधेयक के अलावा किसी दिन विवाद हो सकता था। अतः जो संशोधन विधेयक के द्वारा किया जा रहा है उसका लक्ष्य सीमित है कि हमारे प्रतिनिधि १४ हों, १३ न रहें। जिला परिषदों में जहां एक से ज्यादा फैक्टरीज हैं क्योंकि डी० पी० ओ० सब जगह जा नहीं सकता, हम चाहते हैं प्लानिंग अफ़सर हो या, जहां तक उसका जाना मुमकिन न हो वहां दूसरा आदमी नामजद कर दिया जाय। बस यही बातें इसमें हैं। पहले बिल को इस सदन ने स्वीकार किया, उसके विधान को स्वीकार किया, जो कार्य उसक सुपुर्द किये गये उनको स्वीकार किया गया, आज उनको क्वेश्चन नहीं किया जा

[श्री बनारसीदास]

रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जो विधेयक सदन में पेश किया गया है उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्षठाता—माननीय टम्बरेश्वरी प्रसाद जी, क्या आप कुछ उत्तर में कहना चाहेंगे? आप का जो संशोधन था उसमें आपको अधिकार है। यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद—मान्यवर, इस बात को अधिक कहा गया और मंत्री जी ने भी कहा कि हम लोगों ने सदन का समय बरबाद किया। मैं कहना चाहता हूं यदि सरकार समय की बरबादी को रोकना चाहती थी तो रोक सकती थी। आज ही आप ने देखा मंत्रियों वाला बिल एक मिनट में वापस हो गया जब कि उसके छापने में कितना रुपया खर्च किया गया। अगर सरकार इस तरह की बातें सोच समझ कर लावे, विरोधी दलों की बातें पहले से जानने की कोशिश करे तो काफी अच्छी बातें निकल सकती हैं। लेकिन सरकार ऐसा प्रयत्न नहीं करती। सरकार तो यही चाहती है कि जो वह कहें उसे किसी प्रकार से मान लिया जाय। लेकिन उस मानने में गन्ना किसान का अहित है इसलिये हम उसे मानने में असमर्थ हैं। इसीलिये इसकी परिधि बढ़ा कर हम आशा करते हैं कि सरकार अधिक से अधिक उन बातों का समावेश कर ले जो किसानों के हित में हैं। मैं मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन को मान लें।

***श्री कल्पनाथसिंह**—मान्यवर, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव और उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली बात पर पुनः गौर करें। मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि इससे सरकारी पक्ष का भी फायदा हो सकता है। आज उनको यह आवश्यकता महसूस होती है कि एक अधिकारी के स्थान पर 'अथवा' लगा कर दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर दी जाय। कल और लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, परसों किसी और शब्द के जोड़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आज जिला नियोजन अधिकारी, कल कृषि अधिकारी, परसों एस० डी० ओ० की बात हो जायगी नरसों ब्लाक अधिकारी की बात हो जायगी, न मालूम कितने-कितने अधिकारी जो रोजमर्रा बढ़ते जाते हैं और उनकी जो फौज इकट्ठा होती जाती है धीरे-धीरे उनके नामों को जोड़ने की कोशिश की जायगी।

आज यह चार्ज इस पक्ष के लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि हम लोगों ने सदन का समय और धन का दुरुपयोग करना शरू कर दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह का संशोधन उनकी ओर न आता कि एक नाम जोड़ना घटाना, शाब्दिक या व्यक्तिगत जो भी मान लें, तो हम लोगों को यह मौका न मिलता। अब अपव्यय कौन करता है इसको आप सोचें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति में इसको भेजने का प्रश्न प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इसको और हर बात को राजनीतिक दृष्टि से या पक्ष विपक्ष की दृष्टि से देखना अच्छा नहीं होता। यह तो सीधे किसानों का सवाल है। क्या आप किसानों का प्रतिनिधि परिषद् में भेज रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रवर समिति में सबके सब इसी पक्ष के लोग जायेंगे और उनके पक्ष के लोग नहीं होंगे। आप कम से कम अपने पक्ष के साथियों पर विश्वास करें, ट्रेजरी बेंचेज के लोगों पर विश्वास करें और अगर इतना अविश्वास माननीय मंत्री जी को इस सदन के सदस्यों पर हो जायगा तो कौन जाने जो दूसरे मंत्री बाद को आयेंगे वह कोई दूसरा संशोधन पेश कर दें, यह विधेयक भी तो किसी मंत्री द्वारा ही बनाया गया होगा। वह मंत्री ऐसा सोचते रहे होंगे, आप अब ऐसा सोच रहे हैं और कल जो मंत्री आयेंगे क्योंकि पांच साल में न जाने कितने मंत्री आते जाते हैं तो यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आने जाने वाले मंत्री हैं कल कोई और संशोधन पेश कर देंगे और फिर उस समय सदन के समय और जनता के धन का अपव्यय होगा और उसकी तोहमत हमारे सिर पर मढ़ी जायगी। इसीलिये मैं कहता हूं कि अभी प्रवर समिति को, इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार देकर सुपुर्द कर दो। क्या इसमें कुछ परेशानी है ?

कहा जाता है कि एक सदस्य को मनोनीत करके हम बिहार के बराबर लाना चाहते हैं। श्रीमन्, जब आप बोल रहे थे तो बड़े गौर से मैं आपके भाषण को सुन रहा था। आंशिक समर्थन तो इस हमारे प्रस्ताव को आपका मिला ही और मैं यह समझता हूं कि दिल से हर आदमी इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ बोल जाते हैं। कुछ तो ताव से बोलते हैं और कुछ बोलने के लिये बोल जाते हैं, लेकिन यह श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सदस्य की संख्या बढ़ानी है तो किसानों का प्रतिनिधि बढ़ा दीजिये नाले आइये संशोधन, मैं आपको अपना समर्थन दूंगा या मैं ले आता हूं, आप समर्थन करें। मंत्री जी ने कहा कि विधेयक अलग से क्यों नहीं ले आते ? मैं संशोधन उपस्थित करूं, मंत्री जी उसे स्वीकार करें। यह स्वस्थ परम्परा किसानों के हित में होगी, और इस सदन का विश्वास प्राप्त होगा अगर मंत्रीजी इस बात को कबूल कर लें कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाय। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं पुनः आपके द्वारा में पुनः सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का फैसला करें।

श्री अधिष्ठाता—जो प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें माननीय कल्पनार्थसिंह के प्रस्ताव को संशोधित रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है अतः मैं पहले उसको लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे और उसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—दूसरा संशोधन जो श्री टम्बेश्वरी प्रसाद का है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में इस सदन को प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ

पक्ष में—५७,
विपक्ष में—७०।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४ १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन।	२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अंक तथा शब्द "२० सदस्य" के स्थान पर शब्द "इक्कीस सदस्य" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—अब खंड २ पर विवाद आरम्भ होगा। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं खण्ड २ मेंनिम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं-

खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद (विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे एतद पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) को इस प्रकार कर दिया जाय-

(ख) उत्तर प्रदेश के गन्ना बोर्ड में चुने हुये २१ सदस्य होंगे उनमें से दो चीनी फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि, दो गुड़ या खंडसारी बनाने वाली इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सत्रह गन्ना उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे।"

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल पर काफी बहस के बाद एक ही बात सारांशतः विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष के लोगों के सामने है और वह यह कि गन्ना बोर्ड का गठन, अगर वह एक सदस्य बढ़ाने को भी कहते हैं या बिहार के अनुरूप अपने यहां की सदस्य संख्या लाने को भी कहते हैं तो मात्र इसीलिये कहते हैं कि प्रदेश के किसानों का हित कैसे होगा वरना वैसे अगर बिहार के २० सदस्य रहें और उत्तर प्रदेश के १० ही रहें तो भी कोई बात नहीं है। जो मूल उद्देश्य सरकार के सामने है उसमें यह बात मुख्य है कि गन्ना किसानों का हित कैसे होगा और उसके लिये दोनों ओर के सदस्य प्रयत्नशील हैं। अभी-अभी हम लोगों ने जब गन्ना किसानों की ओर से बात कही थी तो उसका उत्तर देते हुये मंत्री जी ने यह कहा कि हम लोग सदन का समय बरबाद करते हैं, यह छोटा सा बिल है। तो अगर वे मेरे इस संशोधन को मान लें तो हम लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी और कम से कम गन्ना बोर्ड के सामने तो यह समस्या ही खत्म हो जायगी कि और सदस्य भी कुछ कहें। जब उसमें आप किसानों के १७ प्रतिनिधियों को पहुंचा देंगे। तब तो किसान खुद ही वहां फैसला कर लेंगे और मंत्री जी की नामांकन वाली समस्या भी कम हो जायगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। अगर किसानों के १७ चुने हुये प्रतिनिधि हो जायं और ही संयुक्त बोर्ड में जायं तो मेरे ख्याल से जो टेक्निकल नालेज की आवश्यकता है वह भी नहीं होगी क्योंकि उनके सामने तो केवल एक ही समस्या है कि गन्ना किस तरह बेचा जाय और किस तरह उसका उपयोग हो। गन्ना बोर्ड उस उपयोग की समस्या को लेकर हमारी कुछ समस्यायें हल करता है। इसलिये गन्ना बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक संख्या में हो ताकि वे अपने उत्पादन किये हुये गन्ने का अच्छी तरह से उपयोग करा सकें और उसका उचित मूल्य ले सकें।

श्रीमन्, यह तबतक सम्भव नहीं है जबतक उसमें निर्वाचित सदस्य न हों। मान लीजिये आज चीनी मिल मालिक की बात आती है, वहां उनके प्रतिनिधियों ने कोई बात कही और उसको बोर्ड ने मान लिया और पांच नामांकित मेम्बरों को जो बाकी मेम्बर हों वे यह कह सकते हैं कि यह तो सरकार के पिछलग्गू थे जिनको सरकार ने नामांकित किया था और आम तौर से जनता का इन पर विश्वास भी नहीं होता है और जो बात वे कहते हैं उसके बारे में लोग समझते हैं कि यह जो ठीक नहीं कहते हैं, वैसे कभी-कभी उन्होंने अच्छे काम भी किये हैं। जब इनकी चुने हुये आदमियों के सामने आती है तो वे कहते हैं कि हम जनता द्वारा चुने हुये हैं इसलिये जो बात हम कहते हैं वह सही है। इसलिये बोर्ड न तो काश्तकारों का ही प्रतिनिधित्व करता है और न सरकार की बात ही करता है क्योंकि बोर्ड की बात मानना सरकार के लिये आवश्यक नहीं है। इसलिये ऐसी दशा में बोर्ड की आवाज को बल देने के लिये और गन्ना उत्पादकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये यह संशोधन जो मैंने सदन के समक्ष रखा है वही सही रास्ता है। सदन में जो यह सारी बहस हो रही है वह खत्म हो जायगी अगर बोर्ड इस तरह से गठित हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर सरकारी पक्ष नहीं रह जायगा। आप देखें, यदि २१ सदस्य हो जायेंगे तो सरकार की बात मानने वाले नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। इसमें उद्योग, कृषि और सहकारिता मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर का एक प्रतिनिधि भी है और उद्योग विभाग का सचिव या अन्य अधिकारी भी हो सकता है और जब चाहे राज्य सरकार उसको रख सकती है। गन्ना किसानों का वहां कोई नहीं है और रखे भी हैं तो वे नामीनेटेड हैं। वे गन्ना किसानों के हित में बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको सरकार की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि सरकार ने उनको नामिनेट किया है। जैसे यहां पर लोग आ जाते हैं और मंत्री जी ने कहा था कि तुमको किसने चुनकर भेज दिया। इसलिये उनके सामने यह बात रहती है कि हम नामजद हैं। इसलिये उनका सरकार से थोड़ा सा लगाव रहता है। इसलिये नतीजा यह होता है कि न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसी दशा में आपके द्वारा मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस संशोधन को मानकर नामांकित सदस्यों के बजाय निर्वाचित सदस्यों को ही भेजें।

*श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के गन्ना बोर्ड के कई सदस्य होंगे। उनमें से २ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि, २ गुड़ तथा खांडसारी बनाने वाले और १७ गन्ना उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे। हमारा खयाल है कि जो समिति बनेगी उसमें १७ गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि हो जायं क्योंकि वे गन्ना के किसानों के दुख को समझेंगे। इतना कहकर मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने रखा है इसकी एक ही भावना है कि उसके अन्दर उन लोगों का प्रतिनिधित्व हो जो जनता और गन्ना उत्पादकों द्वारा चुने जायं या उनकी सहकारी समितियों के सदस्य हों, तो वहां जा कर वे लोग अपनी बात अच्छी प्रकार रख सकेंगे। आज यह स्पष्ट दिखायी पड़ रहा है कि आप जिन मिलों को प्रोत्साहन दे रहे थे, वह मिलें अपने पैरों पर खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि वह फील्ड से भाग जायंगी। पहले वह १२० दिन गन्ना पेरा करती थीं, अब २०० दिन पेरती हैं। फिर भी गन्ना बच रहता है, गन्ने में आग लगाने की नौबत आ जाती है। जब हम बोर्ड का नवीन प्रकार से गठन करेंगे तो उसमें काश्तकार का गन्ना किस प्रकार बेचा जाय, क्या उसका मूल्य हो ये सारी बातें उसके सामने होंगी और केंद्रीय सरकार से मनवाने के लिये फिर इस सरकार से सहयोग की आवश्यकता होगी।

आज जब कि प्रदेश के अन्दर ओला, अतिवृष्टि, बाढ़ और अनावृष्टि से सारी फसलें मारी जाती हैं, केवल गन्ना ही काश्तकार का एक सहारा रह जाता है। अगर इस फसल का उचित ढंग से प्रबन्ध न करवा दिया गया तो इस प्रदेश का किसान बरबाद हो जायगा, वह उजड़ जायगा। जब कि किसान का गन्ना जून के महीने तक खड़ा रहता है और उसके गन्ने में आग लग रही हो, तो उससे किसान बरबाद होता है। अगर इस बोर्ड का गठन उस प्रकार हो जैसा कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने रखा है तो सारा का सारा झगड़ा निपट जाय। अगर यह कहा जाय कि इतनी देरी क्यों हुई है, तो अभी दो ही दिन बीच में गुजरे हैं महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद को अगर आज ले आये हैं तो देरी नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के संशोधन को मान लें।

श्री केसरीप्रसाद---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मैंने जो शब्द पहले कहे थे नामिनेशन की प्रथा समाप्त कर दी जाय, और चुनाव की प्रथा अपनायी जाय, इस संशोधन में वह बात अच्छे ढंग से लायी गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केसरीप्रसाद]

किसी भी जनतांत्रिक पद्धति के लिये चुनाव बहुत ही आवश्यक चीज है । चुनाव के जरिये उन सारे तत्वों का प्रतिनिधित्व हो जाता है जिनका होना उचित है । लेकिन नामजदगी के कारण उन तत्वों का प्रायः अभाव हो जाता है और सुन्दर प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती है । मैं माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि यदि वह चुनाव की प्रथा को मान लें तो यह काम सरल हो जाय और किसी को इस पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं होगी । दूसरी चीज यह है कि किसान स्वयं अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो जायगा ।

जहां तक इसमें संख्या का प्रश्न है उस पर मैं अपनी राय नहीं देता हूं । लेकिन फिर भी मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पर किसानों का सवाल है उसमें छोटे और बड़े दोनों होते हैं । बड़ा किसान अपने बड़प्पन के कारण मिलों से सुविधा प्राप्त कर लेता है, लेकिन छोटे किसान को सुविधा नहीं मिल पाती । इसलिये यदि यह संख्या निर्धारित की जाय तो यह जरूर खयाल रहे कि जो छोटे किसान होते हैं, उनकी रक्षा के लिये समुचित प्रतिनिधित्व उनका उसमें अवश्य हो । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह चुनाव प्रथा को अपना लें और नामजदगी की प्रथा को हमेशा के लिये तिलांजलि दे दें । यह जनतंत्र के हित में होगा, उनके हित में होगा और किसानों की सुरक्षा के हित में होगा ।

*श्री कल्पनाथसिंह---अधिष्ठाता महोदय, श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन के बाद एक मेरा भी संशोधन है । उसे जब मौका आयेगा तो पेश करूंगा ही, लेकिन इस समय जो आपने मुझे हुक्म दिया तो मैं उन्हीं के संशोधन का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करना चाहता हूं । जो कुछ बातें वहां हुईं उनसे आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि इस बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व कम है, जो अधिक होना चाहिये । आपने तो बोर्ड की बैठक में देखा होगा, हम लोगों ने तो सुनी सुनाई बातों से या थोड़ा बहुत अखबारों से मालूम किया है या उन लोगों के अधकचरे अधूरे या अपरिपक्व फैसलों से किसानों के ऊपर जो कुछ मुसीबतें आयीं उससे जो हमने अन्दाजा लगाया तो इस नतीजे पर हम पहुंचे कि आज जो नामजद सदस्य होते हैं वह और सरकारी पक्ष और मिल मालिकों का पक्ष यह सब इकट्ठा हो जाते हैं तो किसानों के प्रतिनिधि अकेले पड़ जाते हैं । कभी कभी उनको भी यह अवसर प्राप्त हो जाता है कि वे उनकी बराबरी पर तो नहीं, लेकिन उनके नजदीक तक पहुंच जायं, यह कभी कभी नौबत आ जाती है । लेकिन सही मानों में अगर किसानों के हितों की रक्षा करनी है तो यह निर्विवाद है कि उस बोर्ड में किसानों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी चाहिये । श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इस प्रदेश में और बिहार में भी गन्ने के किसानों ने गन्ने की कीमत बढ़वाने के लिये बहुत सी लड़ाइयां लड़ीं । कई बार उनको लड़ना पड़ा । उत्तर प्रदेश में तो दो आदमी इसी में शहीद भी हो गये और यह बोर्ड जो किसानों का प्रतिनिधि होने का दावा करता है, और बातों को तो छोड़ दीजिये, किसानों की इस लड़ाई के लिये, उनकी हमदर्दी में उसने कभी उन्हें धन्यबाद भी न दिया होगा । धीरे-धीरे इस प्रदेश के किसानों की आस्था इस बोर्ड पर से घटती जा रही है । उस आस्था को बढ़ाना पड़ेगा । किसान का मन धीरे-धीरे बैठता जा रहा है । उसकी आत्मा दुखी होती जा रही है । वह कराह रहा है श्रीमन् । उसके मन में विश्वास तब पैदा होगा, चित्त में दृढ़ता तब आयेगी जब उसके सही प्रतिनिधि, उसके चुने हुये प्रतिनिधियों की संख्या बढ़े और उसको अपनी बातचीत करने का मौका मिले, उसको अपने सौदे की पूर्ति करने का मौका मिले, दूसरी चीजों पर विचार करने का मौका मिले और उसको दूसरे सम्मानित सदस्यों को अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिले तब इस प्रदेश के गन्ना किसानों का भला हो सकेगा । यह बात दूसरी है कि किसी माननीय मंत्री जी को या किसी दूसरे माननीय सदस्य को जो उस पक्ष में बैठता हो, उनको यह बात अच्छी न लगती हो, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि मेरे विचार से उनके मन में भी यह बात जरूर उठती होगी, किस हद तक उठती है यह बात दूसरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इस बात पर मंत्री जी सदन के समय का दुरुपयोग करने का प्रश्न मन में नहीं लायेंगे क्योंकि यह किसानों की सुविधा और लाभ का प्रस्ताव है ।

मेरा ऐसा खयाल है कि केंद्रीय सरकार गन्ने की कीमत तय करती है और इस सदन ने भी प्रस्ताव पास किया है । उसके ऊपर बोर्ड ने भी प्रस्ताव पास किया है, लेकिन केंद्रीय सरकार आज तक उस फैसले पर नहीं पहुंची जिस फैसले पर उसको पहुंचना चाहिये था । जब चीनी खरीदने का सवाल आता है, जब उनकी जेब को लूटने का सवाल आता है, तब उनके सामने दूसरी बात होती है । उस समय गन्ने की कीमत कम और चीनी की कीमत ज्यादा होती है। वह बोर्ड, जिसमें मिलमालिकों के प्रतिनिधि बैठते हों, सरकार के पक्ष के भी बैठते हों और किसानों के पक्ष के भी आदमी बैठते हों तब किसानों के हित में विचार विनिमय कर सकते हैं । जब किसानों के प्रतिनिधि अधिक तादाद में उस बोर्ड के अन्दर बैठेंगे तभी सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में किसानों के हित की बात हो सकेगी । ६९–७० आदमियों के प्रतिनिधि ५ और १८,२० लाख आदमियों के प्रतिनिधि भी ५ हों यह कहां का इंसाफ है ? न मालूम सरकार इस इंसाफ को कैसे बरदाश्त करती है ? कैसे ऐसे बोर्ड को बनाती है और कैसे इस तरह के काम करती है ? मैं इस निश्चित मत का हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपकी राय हो उनके प्रतिनिधि कुछ कम हो जायं या उसके मुकाबले में दूसरे पक्ष की तादाद कुछ बढ़ा दें । यह हो सकता है कि सब से ज्यादा उनको लें । इस संशोधन में माननीय मंत्री जी को यह व्यवस्था तो करना ही चाहिये । संशोधन रोज ब रोज नहीं आया करते हैं । उनके लिये जो बढ़ाने का संशोधन आया है उसको आप स्वीकार करें । किसानों ने माननीय मंत्री जी का क्या बिगाड़ा है ? अगर उन्होंने माननीय मंत्री जी का कुछ बिगाड़ किया हो तो वे कसूरवार हैं । अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ टर्म्स में बात चलती हो तो बात दूसरी है । उस बात को भी इस सदन के सामने आना चाहिये उस पर सोचा जा सकता है, किन्तु मैं समझता हूं कि मंत्री जी का कोई अहित किसानों ने नहीं किया है । अगर मंत्री जी का कुछ अहित किया है तो इसकी संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये । इसके एवज में अगर सरकारी पक्ष बढ़ाया जा रहा है, मिल मालिकों के पक्ष को भी बढ़ाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वह बात सफाई से सामने आनी चाहिये । वजह क्या है कि एक तरफ सरकारी पक्ष को बढ़ाने के लिये इस प्रकार की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ किसानों की बातों को आगे उठाने के लिये सरकारी पक्ष का एक भी सदस्य किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं रख सका । मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैंने यह संशोधन इस अधिनियम में देखा और निराशा के साथ-साथ बड़ी शंका भी हुई । वह भी दोहरी शंका, कि एक तरफ तो किसान मारा जायगा और दूसरी तरफ नामजदगी के जरिये प्रजातंत्र का गला घोंटा जायगा । इस गलाघोंटू व्यवस्था को आप श्रीमन्, बन्द कराइये । मेरा नम्र निवेदन है आप से और सदन के सदस्यों से कि सरकार के इस जनतंत्र के खिलाफ बढ़ते हुये कदम को रोका जाय ।

श्री बनारसीदास—एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय एक क्लाज पर बहस हो रही है, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं है । मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—बहुत ठीक तरह से व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपने को विषय तक ही सीमित रखें ।

श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद—मैं जानकारी के लिये पूछ रहा हूं कि किस चुनाव की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य ने जिस चुनाव की ओर संकेत किया उसी की बात वह कह रहे हैं ।

श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद—वह गलत समझ रहे हैं ....

श्री कल्पनार्थासिंह—मैं स्वयं हैरत में पड़ गया । बाद में मैंने यह जरूर महसूस किया कि उनको तजुर्बा कुछ कड़वा मालूम पड़ता है और इसलिये चुनाव की बात कुछ दूसरी तरफ लग गयी होगी । मैं इसके लिये उनसे क्षमा चाहूंगा । मेरा इशारा किसी दूसरी तरफ

[श्री कल्पनाथसिंह]

नहीं है, यह मैं स्पष्ट कर दूं और अगर किसी को उसके लिये शुभा हो तो मैं उसे साफ कर देना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि इस नामजदगी की प्रथा को समाप्त करके दूसरे ढंग अपनाये जायं। अगर सदस्यों को बढ़ाना ही है, नामजदगी करनी ही है तो दोनों पक्षों को संतुलित करके आप चलें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्रीमन् यह मामूली सवाल नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा किसानों का सवाल है और इसके साथ-साथ अपने पड़ोसी प्रदेश बिहार के किसानों का भी यह सवाल है। मंत्री जी तो बिहार से जरा दूर पड़ते हैं, जब हम बिहार के किसानों से मिलते हैं और जब वे सुनते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोग इस संबंध में क्या कर रहे हैं, यहां की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तो वे हैरत में पड़ जाते हैं। इसका एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार की विधान सभा ने सबसे पहले दो रुपये मन गन्ने का दाम बढ़ाने की बात की। वहां के लोग इस प्रांत के विधायकों से कहा करते थे कि आपकी विधान सभा कम से कम देखादेखी ही क्यों नहीं चला करती। क्या वजह है, श्रीमन्, कि बिहार के लोग इस बारे में आगे चले गये जब कि उत्तर प्रदेश आज तक हर काम में आगे रहा है? केंद्र में मंत्रियों के बनाने का सवाल हो तो आगे रहे इस सदन में मिनिस्टरों की तादाद बढ़ाने की बात हो तो आगे रहे, लेकिन अगर गन्ने के प्रतिनिधियों को बढ़ाने की बात हो तो पीछे हटने की बात करने लगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

आखिर सोचें आप। चाहे दाम की बात हो, चाहे नीति की बात हो, चाहे संख्या बढ़ाने की बात हो, हर चीज के लिये आपको सोचना पड़ेगा। यदि किसानों में अविश्वास बढ़ता गया तो उससे न केवल किसानों का ही अहित होगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का और सारे भारतवर्ष का अहित होगा। चीनी एक ऐसी वस्तु है जिससे हमको विदेशी मुद्रा भी मिलती है। यह ऐसी चीज है जिसका किसान से लेकर प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार तक सबका संबंध है। जो किसान रा मैटीरियल दे, गन्ना पैदा करे, उसको आप इतना पीछे ढकेलते जायं, इतनी कटौती करें उसके हिस्से में से, उसके प्रति उदारता की भावना न रहे, तो यह गाड़ी चलने वाली नहीं है। एक लाइन पूंजीपतियों की है और दूसरी लाइन किसानों की है। जब आप उन दोनों लाइनों को एक साथ, पैरलल रखकर, चलायेंगे तभी आपकी गाड़ी चल पायेगी वरना नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार करने में माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बनारसीदास जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये और विरोधी दल क माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन आया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री रामायण—श्रीमन्, यह विधेयक सरकार की तरफ से प्रस्तुत है या श्री बनारसीदास जी की तरफ से, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है?

श्री अधिष्ठाता—कोई भी प्रस्ताव यहां पर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत नहीं करते।

श्री जे० पी० मिश्र—मैं, जो संशोधन विरोधी दल के माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। मुझे यह निवेदन करना है कि इस सम्मानित सदन में ४३० सदस्य चुन कर आये हैं और....

श्री रामेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, आपने अभी रूलिंग दी थी कि चुनाव की बात यहां पर इस समय न हो, वह असंगत है, और फिर माननीय सदस्य ४३० सदस्यों के चुनाव पर बोल रहे ह, तो मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य चुनाव के संबंध में बोल सकते हैं, इस समय, इस संशोधन पर।

श्री अधिष्ठाता—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने कोई अभी रूलिंग नहीं दी थी। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री जे० पी० मिश्र—जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मुझे यह कहना है कि जो माननीय सदस्य विरोधी दल के इस कमेटी के निर्माण की बात करते ", मेरा ऐसा विचार है कि जो अंग्रेजी में बुकलेट है उसमें साफ तरीके से प्रतिनिधियों के संबंध में कहा जा चुका है। ५ प्रतिनिधि होंगे शुगर फैक्टरीज के, ५ प्रतिनिधि होंगे गुड़, राब और खांडसारी के, और ५ प्रतिनिधि होंगे गन्ना पैदा करने वालों के और गन्ने की सहकारी समितियों के। हम सभी ने चुनाव लड़े हैं। हममें से बहुत से चुनकर आये हैं गन्ना आन्दोलन को लेकर, बहुत से चुनकर आये हैं मजदूर आन्दोलन को लेकर, और हम में से करीब-करीब सभी जो यहां बैठे हैं, किसान और मजदूर का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। अगर हममें से चुने हुये प्रतिनिधियों की नामदजगी सरकार करती है तो क्या हम प्रतिनिधि नहीं हैं। हमारा प्रतिनिधि होने का दावा आप इस संशोधन से खत्म करना चाहते हैं। वास्तव में जो असली खतरा है और ईमानदारी का खतरा है उसे आपको सफाई से कहना चाहिये कि यह सरकार हमको भी उसमें प्रतिनिधित्व दे। इन संशोधनों के पीछे असली प्रश्न यही है कि विरोधीपक्ष के सम्मानित सदस्य अपना दावा पेश करना चाहते हैं कि उनको भी उसमें लिया जाय।

एक चुनाव की फजीहत हमने तीन दिन पक्षपात के नाम पर भुगती। आखिर इस देश में कितने चुनाव होंगे? पांच वर्षों में, किन-किन कमेटियों के चुनाव होंगे? गन्ना कमेटी है, उद्योग कमेटी है, प्लानिंग कमेटी है, जिला परिषद् है, आखिर आप कितने चुनाव चाहते हैं, इस सम्मानित सदन को और सम्मानित सरकार को कितने चुनावों में फंसाना चाहते हैं और कितने चुनावों में फंसाने के बाद कितने दिन यह बात कहने के लिये एलाट कराना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुये? आप फिर कहेंगे कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं किये गये। एक तरफ तो आप चुनाव की बात पेश करते हैं और दूसरी तरफ विरोध में कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुये। मेरा अपना विचार यह है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि उसमें सम्मानित विरोधी दलों के सदस्यों की तादाद कितनी हो। उनको सिर्फ यही खतरा है कि कहीं उनके प्रतिनिधि न रह जायं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुमकिन है कि वह गलत हो, कि संशोधन के पीछे विरोधी दल का यही मकसद है कि कहीं सरकार अपने आदमियों को ज्यादा नामजद न कर दे। शुगर मिलों के ७०–७५ प्रतिनिधि में से ५ और हम ४३० सभी किसान मजदूर के प्रतिनिधि हैं, अगर हम लोग नामजद होते हैं तो क्या चुने हुये प्रतिनिधि नहीं कहलायेंगे और क्या बाहर जो राजनीतिक संगठनों में किसान मजदूरों का हित लेकर चलते हैं उनमें से नामजद किये जायेंगे तो क्या वह चुने हुये प्रतिनिधि नहीं कहलायेंगे? मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष को सरकार से स्पष्ट निवेदन करना चाहिये कि हमको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मैं भी सम्मानित सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब नामदजगी आप करें तो विरोधी पक्षों का भी ध्यान रखें।

दूसरी बात यह है कि बार-बार हर कमेटी में चुनाव की बात लाना समय को बरबाद करना है और बिला मकसद हर विधेयक का विरोध करने से समय नष्ट होता है। आपको हृदय से इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि आप मानते हैं कि यहां पर जितने भी हम लोग प्रतिनिधि इकट्ठा हैं वह चुने हुये हैं तो आपको विरोध नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश हुआ है उसको मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन ज्यों का त्यों स्वीकार करेगा।

***श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता जी, अभी मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें सामने रखीं जिनसे मुझे यह विश्वास हो गया कि मैंने अपने पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

भाषण में जो इस बात का संकेत किया था कि सरकार का जनतंत्र प्रणाली में विश्वास घटता जा रहा है और जनता का विश्वास उसमें बढ़ रहा है, यह बात बिलकुल सही मालूम पड़ती है। आज खुल कर यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी कि सरकार अब नामजदगी में विश्वास करती है और जनतंत्र प्रणाली में जो चुनाव का सिद्धान्त है उसको नजर अन्दाज करना चाहती है और सरकार का कदम धीरे-धीरे डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है।

जहां तक गन्ने की समस्या का सवाल है तीन-चार साल से मैं भी गन्ना उत्पादकों की ओर से प्रतिनिधि चुना जा रहा हूं और इसलिये गन्ने के महकमे का थोड़ा बहुत अनुभव है। निर्वाचित सदस्यों पर बहस करते हुए पूर्व वक्ता महोदय ने नामजदगियों का पक्षपात किया और यह बताया कि ऐसे काम में नामजदगी होने में कोई हर्ज नहीं है और कहा कि बहुत जगह चुनाव कराया जाता है और बहुत सी जगहों पर चुनाव नहीं कराया जाता। लेकिन गन्ने का जहां तक ताल्लुक है डेवलपमेंट कौंसिल का चेयरमैन सरकार के द्वारा नामजद किया जाता है, हमारे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को भी सरकार नामजद करती है। गन्ने के जहां तक विभाग का सम्बन्ध है वह नामजदगियों से भरा पड़ा है। चाहे वह फेडरेशन हो, चाहे गन्ना बोर्ड हो, चाहे समिति के डायरेक्टर्स हों, चाहे डेवलपमेंट कौंसिल का बोर्ड हो। ये नामजदगियां इस बात की सूचना देती हैं कि सरकार उन पर अपना कन्ट्रोल रखना चाहती है और गन्ना उत्पादक के प्रतिनिधियों को कम करना चाहती है।

आज भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और डेवलपमेंट कौंसिल के जो निर्णय होते हैं वे सरकारी कर्मचारियों से ही गाइड होते हैं। उनके ऊपर उन लोगों का बहुत प्रभाव होता है। मैंने देखा है कि इन्हीं कारणों से गन्ना उत्पादकों और मिल मालिकों में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गयी है। गन्ना उत्पादकों का मिल मालिकों में कोई विश्वास नहीं रह गया है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि सरकार बजाय गन्ना उत्पादकों के हित को देखने के, मिल मालिकों के हितों को ही देखती है। इस समस्या का एक ही हल है कि हम नामजदगी के तरीके को छोड़ कर चुनाव का तरीका अपनायें। लेकिन सरकार इस बात को चाहती नहीं है। उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि गन्ना उत्पादकों का बहुमत हो जाय और सरकार ने जो पालिसी फ्रेम की है उसका अन्त हो जाय, इसीलिये वह हर जगह नामजदगियों का ढोल पीट रही है। मैं कहता हूं कि यह जनतांत्रिक प्रणाली का उपहास है। आज सरकारी पक्ष के जो भाषण हुए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश डिक्टेटरशाही की ओर बढ़ रहा है। अगर सरकार की इसी प्रकार की जहनियत रही तो धीरे-धीरे डिसेंट्रेलाइजेशन के बजाय सेन्ट्रेलाइजेशन हो जायगा और हुकूमत में भी थोड़े आदमियों का बोलबाला होगा। असेम्बली में भी ४३० के बजाय २५ या ३० आदमी रह जायेंगे अथवा ७ आदमियों की कौंसिल से ही काम चला लिया जायगा, जिस प्रकार कि अंग्रेजों के जमाने में होता था। इन शब्दों के साथ मैं माननीय ईश्वरीप्रसाद के संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वह संशोधन माना जायगा और जो गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं उन सब को इसमें स्थान मिलेगा।

श्री ऋदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन सरकारी बेंच की तरफ से एक माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात चुनाव के सम्बन्ध में कही जिससे मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी इस सवाल के ऊपर कुछ कहूं। उनका तर्क यह है कि अगर नामजदगी के तरीके से प्रतिनिधियों को रखा जाता है तो क्या वह चुनाव नहीं कहा जा सकता है ? उनका कहना यह भी है कि हमारे देश में चुनाव इतने हो रहे हैं कि क्या अब यही काम रह गया है कि सब जगह, सब जगह के लिये चुनाव ही चुनाव हो ? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह तर्क बहुत ही गलत है तथा प्रजातंत्र के लिये बहुत ही दुखदायी भी है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि ५ प्रतिनिधि तो चीनी मिल मालिकों की तरफ से हों, ५ खांडसारी व राब वालों की तरफ से हों और ५ किसानों की तरफ से हों। श्रीमन्,

आप देखें कि किसानों की संख्या को देखते हुए उनके प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम रखी गयी है। अभी हाल ही में ८–१० रोज पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पास कर के मुख्य मंत्री जी के पास भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिखा है तथा उनसे मांग की है कि गन्ने का जो रोजगार है अब घाटे का रोजगार हो गया है, इसलिये सरकार को गन्ना सेस में से दो तिहाई छूट देनी चाहिये और वह छूट दे वरना अगले सीजन में सारी की सारी मिलें बन्द कर दी जायेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सी मांगे हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। तो आज माननीय सदस्य जिस तरह से बातें कर रहे हैं इससे मुझे आगे के लिये खतरा मालूम हो रहा है और वह खतरा यह है कि अगर इस बोर्ड में चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधि बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच गये तो आप समझ लें कि यह अगले सीजन के लिये बड़े खतरे की बात होगी। क्योंकि जो धमकी आज चीनी मिल मालिक दे रहे हैं कि हमारी मांग नहीं मानी गयी तो हम चीनी मिल बन्द कर देंगे, मैं समझता हूं कि इस काम में चीनी मिल मालिक सफल हो सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। जहां तक चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधत्व का प्रश्न है, अगर सरकार ५ रखना चाहती है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जगह किसानों के प्रतिनिधि १० की तादाद में होने चाहिये ताकि गन्ना किसानों व मजदूरों के प्रति मिल मालिकों की मनमानी रोकी जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकारी बेंच के माननीय सदस्य ने चुनाव के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया उसका विरोध करता हूं। साथ ही चेतावनी के रूप में उनसे में कहना चाहता हूं कि आप की यह भावना प्रजातंत्र के बिलकुल विपरीत है तथा इससे जनतंत्र कभी फलफूल नहीं सकता। हमारे यहां की एक परम्परा रही है कि हर जगह चाहे गांव के लेविल पर चुनाव हो, चाहे ब्लाक के लेविल पर चुनाव हो, सबमें हमने चुनाव के महत्व को स्वीकार किया है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो गन्ना विधेयक के सम्बन्ध में खंड २ पर माननीय टम्बरेश्वरीप्रसाद जी ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने का कारण यह है कि उसमें उन्होंने २१ सदस्यों में २ फैक्टरीज के प्रतिनिधि, २ गुड़ तथा खांडसारी वालों के प्रतिनिधि और बाकी १७ गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि रखने की चर्चा की है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विशेष कर मूल अधिनियम में जो लिखा है कि उसमें गन्ना उत्पादन में विशेष रुचि रखने वाले या गन्ने के विकास के सम्बन्ध में टेक्निकल नालेज रखने वाले व्यक्तियों का जो समावेश रखा है उससे उन को विरोध है और उनको अपने संशोधन में उन्होंने हटा दिया है।

मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश जो गन्ने के सम्बन्ध में एक प्रमुख उद्योग का केन्द्र है वहां पर जो शकर का प्रतिशत बैठता है वह दक्षिण की अपेक्षा शेष भारतवर्ष में बहुत कम है। ऐसी अवस्था में हम जबकि परिषद् का निर्माण कर रहे हैं तो उसके अन्दर यदि टक्निकल ज्ञान रखने वाले या गन्ना उत्पादन या विकास क सम्बन्ध में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों का सहयोग नहीं लेंगे तो जो मन्शा प्रकट की गई है कि गन्ने को यह हानि होती है या शकर का उत्पादन ठीक तरह से नहीं होता और गन्ना किसानों को लाभ नहीं होता, गन्ने का सही उपयोग नहीं होता, ऐसी हमारी सारी शिकायतें दूर नहीं होंगी और मन्शा पूरा न होगा। ऐसी अवस्था में उसमें विशेषज्ञों का रहना नितान्त आवश्यक है।

दूसरे, यदि आप इस खंड के रूप को देखें तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना बोर्ड में चुने हुये २१ सदस्य होंगे उनमें से दो चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि, दो गुड़ या खांडसारी बनाने वाले इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सत्रह गन्ना उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे। यदि इस रूप में ही हम इस खंड को मान लें तो मूल अधिनियम बड़ा भ्रामक हो जायगा, क्योंकि जहां मल अधिनियम में यह दिया गया है कि २५ मेम्बर स्टेट गवर्नमेन्ट

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

नामजद करेगी, उस से यह स्पष्ट है कि २१ सदस्य सरकार द्वारा नामजद होंगे। परन्तु यदि उसकी जगह यह संशोधन मान लेते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि वे २१ चुने हुये मेम्बर होंगे। उसके लिये यह साफ नहीं है कि वे किनमें से चुने जांयगे या कैसे चुने जांयगे, कौन खड़ा हो सकेगा, या यही इसमें जोड़ा होता कि चुनाव के तरीके की व्यवस्था आगे की जायगी; लेकिन वह भी नहीं किया गया और इसका कोई जिक्र भी नहीं किया गया है। इसलिये अगर यह ऐसा रखा जाता है तो मूल अधिनियम भ्रामक हो जायगा और सही रूप से काम नहीं चल सकेगा और बोर्ड की मंशा ही खत्म हो जायगी।

तीसरे, किसानों का प्रतिनिधित्व रखने और उनको लाभ पहुंचाने की बात की जाती है वहां ऐसा भ्रम पैदा करना कि गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि, ज्यादा जायं उचित नहीं है। जब माननीय गेंदा सिंह जी जैसे गन्ने का विशेष ज्ञान रखने वाले जाते हैं जिन्हें मैं सन् ५२ से देख रहा हूं कि गन्ने के सम्बन्ध में वह अपना एक विशेष दावा रखते हैं, यदि ऐसे प्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि हैं और खास तौर से जो गन्ने के क्षेत्र से आते हैं उनका सरकार द्वारा नामिनेशन होता है तो उससे गन्ना उत्पादकों का अधिकार समाप्त नहीं होता और न उनका प्रतिनिधित्व ही समाप्त होता है। लेकिन उनका इसमें विश्वास नहीं और कहा यह जाता है कि किसानों का इससे लाभ नहीं होगा और सरकार इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। मैं, अधिष्ठाता महोदय, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे मित्रों को इस बात की शंका नहीं होना चाहिये कि चुनाव से यह सरकार घबड़ाती है। यह सरकार उस संस्था की सरकार है जिसने विदेशी पंजों के अन्दर जकड़े हुये गुलाम मुल्क को आजाद करा कर देश के अन्दर चुनाव प्रणाली चलायी। इसलिये चुनाव से इसे भय नहीं है। चुनाव से घबड़ाने का परिणाम मेरे मित्र देख रहे हैं जो विरोध में बैठे हुये हैं। भले ही हाथ उठाने में एक मत हो जायं, लेकिन जब कम्युनिस्ट दल और जनसंघ का प्रश्न आता है तो दोनों में पूर्व और पश्चिम का अन्तर है। लेकिन इधर बैठने वाले एक मत से हाथ उठाते हैं। एक संगठन है। इसलिये चुनाव प्रणाली के भय का दावा करना गलत है।

हां, एक बात जरूर है। जिन गन्ना उत्पादकों के कल्याण की भावना का प्रदर्शन किया जाता है, मैं कह सकता हूं कि उन गन्ना उत्पादकों के अन्दर चुनाव की प्रथा पैदा कर के चुनाव अखाड़ा बनाया जायगा और उससे राजनीतिक हितों की पूर्ति की जायगी। यह नहीं लिखा है कि उसके अन्दर उन गन्ना उत्पादकों के अन्दर ही लोग खड़े होंगे, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिये यदि इस संशोधन को मान लिया जाता है तो मेरे विचार से मूल अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और जिस प्रकार मूल अधिनियम रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, जो संशोधन टम्बरेश्वरी प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। वास्तव में यह विधेयक इस सदन में पहले-पहल आया था और लोगों को आशायें थीं कि सरकार जो इस बात का दम भरती है कि वह अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करेगी, उसका कुछ लक्षण जाहिर होता। मगर इसके देखने से लगता है आज सरकार और भयभीत हो गई है और धीरे-धीरे अपने हाथ में सब अधिकार रखना चाहती है अनुमान लोगों का यह था कि जो लोग इस गन्ना व्यवसाय में हैं वे समझते थे कि उनके प्रतिनिधि ही, जो वास्तव में उनके प्रतिनिधि हैं, वे ही इसमें पहुंचेंगे। आप देखें, कहा गया कि गन्ना पैदा करने वालों के ५ प्रतिनिधि होंगे। इसकी एक संस्था कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट फ़ेडरेशन है जो चुनकर आयी हुई संस्था है। अगर सरकार वास्तव में चाहती थी कि वास्तविक प्रतिनिधि इसमें हों तो सरकार उसी को अधिकार देती कि वह नामजद करे न कि सरकार अपने हाथों से नामजद करे। आज हम देखते हैं कि नामजदगी की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है, जब सरकार समझती है कि कोई संस्था सरकार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वोटों से बाहर जा रही है, उसकी मंशा के मुताबिक चलने को तैयार नहीं हैं तो उसमें नामजदगी करके अपने हाथ में रखना चाहती है। पिछले दिनों अंतरिम जिला परिषदों के चुनाव में ऐसे वाकिये हुये हैं कि सरकार ने आखिरी दिन तक नामजदगी करके वास्तविक बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया है। इसलिए लोगों को भय होता है। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि जो गन्ना उत्पादक हैं उन को लाभ हो, उन्हीं के प्रतिनिधि आवें, तो उनको आगे बढ़ाने में सरकार को क्या भय है? और चुनाव के शब्द से जैसा लोग कहते घबड़ती हैं, उसमें घबड़ाने की क्या बात है।

अभी माननीय बसन्त लाल जी के पहले जो माननीय सदस्य बोले थे उन्होंने कहा था कि आपको चाहिये कि सरकार से अनुरोध करें कि हमारे प्रतिनिधि बढ़ा दें। यह प्रजातन्त्र राज्य है, हमें सरकार की खुशामद नहीं करनी है। हम सरकार से कोई रियायत नहीं चाहते हैं, हम अपना हक चाहते हैं और उस हक के लिये हम इस प्रजान्तत्र में लड़ने और मरने के लिये भी तैयार रहेंगे। यह जनता की वास्तविक मांग है कि उसके प्रतिनिधि उसके द्वारा चुन कर वहां जायें तभी उसे संतोष होगा कि उसकी बातें वहां कही जा सकती हैं।

अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार जो यह ढोंग रचती है समाजवाद का कि हम कोआपरेटिव बनाने जा रहे हैं और उनके जरिये ही सारा काम करने जा रहे हैं, तो क्या उस समाजवादी समाज की यही रूपरेखा होगी कि नामजदगियां बढ़ा-बढ़ा कर सरकार अपनी मनमानी करे? आस्ट्रेलिया ऐसे देश में जो एक बड़ा देश है वहां ऐसे बोर्ड बिल्कुल स्वतंत्र बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसका अध्यक्ष होता है और गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि और मिल मालिकों के प्रतिनिधि बराबर तादाद में रखे जाते हैं और उसका निर्णय अन्तिम होता है और वह सरकार को मान्य होता है। वहां पर गन्ना उत्पादक और मिल मालिक, दोनों को संतोष रहता है। बजाय ऐसा वास्तविक कदम उठाने के, सरकार चाहती है कि वह अपने कुछ पिट्ठुओं को नामजद करके भेजे। इस तरह से जनता के हकों का हनन होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय टम्बरेश्वरीप्रसाद जी के संशोधनों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों और गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि यहां चुन कर आये हैं वे ठंडे दिल से इसको सोचेंगे और इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)---अधिष्ठाता महोदय, जो विषय सदन के सामने हैं उसको दोनों पक्षों ने भली भांति समझ लिया है। अब इस विषय को आगे चलाना सदन के मूल्यवान समय को नष्ट करना है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अब यह विषय समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय?

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, अभी हमारे पक्ष का तो भाषण हुआ नहीं है। एक मौका और दे दें, यह तो खंडों पर विवाद चल रहा है।

श्री रामायण---जिनका संशोधन है उन्होंने जवाब भी नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता---जवाब तो बाद को देंगे।

श्री रामायण---इस पर हम सभी लोग राय देना चाहते थे। मैं समझ रहा था कि माननीय बद्रीप्रसाद जी बोलने के लिये खड़े हुये हैं, लेकिन उन्होंने अचानक क्लोजर मूव कर दिया।

श्री अधिष्ठाता---अब मैं सदन के समक्ष प्रश्न रख चुका और मैं समझता हूं कि वाद-विवाद भी काफी हो चुका।

श्री नेकराम शर्मा---एक, दो और सदस्यों के बोलने के बाद फिर प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है। तो फिर प्रस्तावकर्ता अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री बद्रीप्रसाद---वैसे तो आपकी जो आज्ञा होगी उसका पालन किया जायगा, मुझे आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरा एक नम्र निवेदन है कि जहां तक दोनों पक्षों के दृष्टिकोण का संबंध है उसकी भली-भांति चर्चा हो चुकी है, अब समय नष्ट करना है। लिहाजा मैं तो क्लोजर मूव करता हूं वैसे जो आपकी आज्ञा हो।

श्री अधिष्ठाता---एक माननीय सदस्य और बोल लें उसके बाद अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न उपस्थित करेंगे तो मैं सदन की राय ले लूंगा।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---मैं संशोधन के समर्थन में बोल रहा हूं। बड़ी सीधी सी बात है कि गन्ना काश्तकार हमारे देश में बहुसंख्यक के रूप में हैं और यह उनकी बहुत सरल मांग है कि उनका परसेंटेज बोर्ड में ज्यादा होना चाहिये। आप देख रहे हैं कि उसकी हालत बड़ी दयनीय है जब कि गन्ना पेरने वालों की हालत १० गुनी अच्छी हो गयी है। जब उसके प्रतिनिधि बोर्ड में अधिक रहेंगे तभी वह इस बात पर जोर दे सकेंगे कि गन्ने पर क्या लागत लगती है, मजदूरी लागत आदि सब खर्च जोड़ कर गन्ने की कीमत रखनी चाहिये तभी देश के किसानों की हालत ठीक हो सकती है। किसान में मिल वाला भी है। वह अपने फार्म्स रखता है। उसके पास ज्यादा गन्ना है और उसका गन्ना पहले पिर जाता है और छोटे किसान का गन्ना आखिर तक सूखता रहता है, उसकी स्थिति खराब होती रहती है। तो क्यों नहीं उसके प्रतिनिधि उससे ज्यादा रखे जायं और मिल वालों के प्रतिनिधि कम रखे जायं ? आज आप लोग देखते हैं कि हम लोग बार-बार चिल्लाते हैं कि गन्ना प्रति एकड़ बढ़ना चाहिये, लेकिन गन्ना काश्तकार की जब तक मनोवृत्ति ज्यादा पैदा करने की न हो तब तक गन्ने की पैदावार ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिये हमारा यह सुझाव है कि यह जो गन्ना किसानों का प्रतिनिधि रखने की बात है इसे मंत्री जी मान लेंगे।

यह भी कहा गया कि विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि हमारे लोग रखे जायं। अगर ऐसा समझा जाता है और गन्ने के किसानों में यही लोग ज्यादा हैं तो उनको रखने में मंत्री जी को क्या आपत्ति होगी ? इस मुल्क की भलाई के लिये, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो टम्बरेश्वरीप्रसाद जी का प्रस्ताव है इसे अवश्य स्वीकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं टम्बरेश्वरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा यह मांग की गयी है कि २१ सदस्यों का चुनाव हो जिसमें किसानों के प्रतिनिधि १७ हों। जो मूल विधेयक सन् १९५३ में पास किया गया था और बोर्ड को जो अधिकार दिये गये थे, वास्तव में वे एडवाइजरी थे और मुख्य काम इसका सरकार को सलाह देना था। जो कार्य बोर्ड को करना है और जिन मसलों पर सलाह देनी है वे ये हैं :—

१---फैक्टरी को गन्ने की सप्लाई और खरीद के संबंध म नियंत्रण करना।

२---किस प्रकार का गन्ना उपयुक्त है या अनुपुक्त है, फैक्टरीज के लिये।

३---फैक्ट्रीज के प्रबन्धक, गन्ना उत्पादक, गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटीज, केन डेवलेपमेंट कौंसिल, पर्चेजिंग एजेन्ट्स आदि के बीच में अच्छे संबंधों को कायम रखना या अन्य विषय जिनको निर्धारित किया जाय।

वह सरकार को परामर्श देने के लिये है। फिर यह सरकार तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। जो सलाह दी जायगी बोर्ड की तरफ से उस पर सरकार विचार करेगी। बोर्ड को किस लिये कांस्टीयूट किया गया था ? इसलिये कि शकर उत्पादकों का मामला जैसे गन्ना किस किस्म का होगा, उसकी कास्ट प्राइस क्या होगी, कास्ट प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब टेक्नीकल विषय हैं, उन पर सलाह लेने के लिये। कुछ माननीय

सदस्यों ने इसमें जनतंत्र की हत्या दखी। डमोक्रेसो और डिक्टेटरशिप कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी चर्चा बहुत होती है और राजनीतिक भाषा में जब तर्क समाप्त हो जाते हैं और किसी को गाली देना होता है तब यह कहा जाता है कि 'डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप होगी'।

श्री ऊदल—यही तो चुनाव में आपने भी कहा था।

श्री बनारसीदास—अभी चुनाव के वातावरण से हमारे माननीय सदस्य लौटे हैं इसलिये बार-बार चुनाव की ही चर्चा किया करते हैं। वास्तव में जनतंत्र का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि चुनाव ही चुनाव हो। जनतंत्र का जो मूलाधार है, जैसा गांधी जी ने कहा था, एक दूसरे के पक्ष को समझने का प्रयत्न करना, यह नहीं कि हर बात पर विभाजन की आवश्यकता हो, यह नहीं कि बारबार उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति हो।

इसमें यह कहा गया है कि २१ आदमियों का निर्वाचित बोर्ड हो और उनम १७ किसानों के प्रतिनिधि हों। जो इस तरह की एडवाइजरी कमेटीज होती हैं वहां कितने ऐसे अवसर आते हैं जब डिवीजन होता है। यदि यह मान भी लिया कि वहां पर डिवीजन या मतदान आदि हों तो भी सरकार के सामने उसके निर्णय आयेंगे। सरकार चुनकर के आई है और जनता और इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह ठीक है कि जिन लोगों को उन सीटों पर बैठकर बोलने का मौका मिला है, जनता ने उनको भी चुन करके भेजा है, किन्तु आप इससे इन्कार नहीं कर सकते कि हम लोगों को भी उतना ही अधिकार है क्योंकि उन्हीं किसानों ने हमें भी चुनकर भेजा है और बहुमत में भेजा है। गवर्नमेन्ट जो निर्णय ऐडवाइजरी बाडी की सलाह से करती है उसमें गवर्नमेंट के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि हम उसकी राय मानें ही, अगर उसकी राय किसानों के हित में नहीं होगी तो सरकार उसे ठुकरा देगी।

एक सदस्य ने अभी कहा भी था कि चुनाव की प्रणाली क्या होगी? स्वतंत्र पार्टी के नेता जी ने फरमाया कि वह केन कोआपरेटिज के जरिये होगा, इस सदन के द्वारा होगा, या फिर तमाम किसानों का एक एलेक्टोरल कालेज होगा। चुनाव से सरकार घबडाती नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं रेखा खींचनी पड़ेगी कि कहां चुनाव किये जांय और कहां पर उनको समाप्त किया जाय। हम तो चुनाव में विश्वास करते हैं, अगर चुनाव में हमारी आस्था न होती तो जैसा पड़ोसी देशों में हो रहा है शायद यहां पर भी होता। लेकिन जनतंत्र के माने यह नहीं होते कि हर छोटी-छोटी बातों पर चुनाव हुआ करे। अगर ऐसा होता तो फिर तो खाना क्या बनेगा इसके लिये भी चुनाव हो। कपड़ा किस किस्म का पहना जाय, इसके लिये भी चुनाव हो। किस वकील का रखना जनहित में होगा इसके लिये भी चुनाव हो। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिये यह कहा जाय कि जहां कहीं नामजयदगी हुई नहीं और बस डिमोक्रेसी का हनन हो गया, यह तो एक फोबिया होगा, एक ऐलर्जी पैदा हो जायगी। तो यह ऐलर्जी क्या आवश्यक है जनतंत्र के लिये? मैं समझता हूं कि ५ साल के लिये हम एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ते हैं और एक मेन्डेट लेकर सदन के अन्दर आते हैं। जनता ने हमें एक मेन्डेट दिया है और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम यहां हैं। जो जनता के हित में विधेयक हैं वे सदन के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। इसलिये मुझे खेद है कि जो संशोधन मननीय टम्बरेश्वरीप्रसाद जी ने रखा है उसे मैं मानने में असमर्थ हूं।

पहले यह व्यवस्था थी कि सरकार २१ आदमी नामजद करे उसके स्थान पर वे चाहते हैं कि यह चुने हुये आदमी हों। इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि कोई विशेषज्ञ न हो। खांडसारी वालों के २, फैक्ट्रियों के २ और १७ आदमी किसानों के हों। कहने के लिये तो यह कहा जा रहा है कि वे किसानों के हित में ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन संख्या बढ़ाने से किसानों का हित नहीं होगा। जहां पर सलाह देने का सवाल हो वहां मेम्बरों की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बल्कि क्वालिटी बढ़ाने से काम चलेगा, ज्ञान से काम चलेगा। अगर ५ विद्वान आदमियों के बजाय २० आदमी वैसे हों जायं तो कोई हित नहीं हो सकता है और अगर ५ आदमी किसानों के हों और दूसरी तरफ २० आदमी हों तब भी किसानों का कोई अहित नहीं हो

[श्री बनारसीदास]

सकता है । इसलिये इसमें संख्या का सवाल नहीं है । यह तो एक सलाहकार कमेटी है मान लीजिये एक विद्वान आदमी है और उसकी बात मानने के काबिल है तो वह ठीक है । एक जमाने में लेबर फील्ड में यह बात प्रचलित हो गयी थी कि मजदूर नेता वह जो सब से ज्यादा मजदूरों का दम भरे । लेकिन अब वह बात खत्म हो गई है । किसान सभा बनाई जाय । इसके लिये कौन मना करता है । लेकिन यह तो एडवाइजरी कमेटी है और गवर्नमेंट यह भी कर सकती थी कि एडवाइजरी कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यह रहे । अब तक २० आदमी गवर्नमेंट नामजद करती थी अब २१ करना चाहती है । इसमें क्या फर्क पड़ता है ? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि २१ आदमियों के रखने का एक ही मतलब था कि हमारे १४ आदमी थे, १४ ही रहें । अगर एक की संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो १३ ही रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त और कोई मंशा नहीं है । इसलिये मुझे खेद है कि जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसको मानने में असमर्थ हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को सदन के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है ।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से तीन प्रमुख दलीलें पेश की गई हैं और उनमें से मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी की दलील को मिलाकर भी कोई ऐसी दलील नहीं थी जिसने मुझे कंविन्स किया हो कि मैं अपना संशोधन वापस ले लूं । मंत्री जी के पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि विरोधी दल के सदस्य ऐसा चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व बांट लें । इस समय वे उपस्थित नहीं है । हम यह नहीं चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व बांट लें । हम यह चाहते हैं कि गन्ना बोर्ड का जो गठन हो उसमें राजनीति का कोई हाथ न हो । कम से कम सरकार को निष्पक्ष राय मिल सके । मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड बनाया होता या न बनाया होता तो क्या होता । मैं कहता हूं कि भगवान जाने क्या होता । लेकिन जब आपने बनाया है और आप राय जानना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके पास ऐसी राय पहुंचे जिसमें राजनीति की कोई गंध न हो । यह हो सकता है कि विरोधी दल के सदस्य अपनी राजनीतिक राय रखें और वे छोटी सी समस्या को बड़ी कर दें । लेकिन गन्ना उत्पादकों के जो प्रतिनिधि आयेंगे तो उनसे यह आशा करना कि वे किसी छोटी समस्या को बड़ी करके रखेंगे, ठीक नहीं है । उनके सामने यह दृष्टिकोण नहीं होगा कि वे गन्ने की समस्या को बढ़ा कर के रखें । उस सदस्य की राय के पीछे राजनीतिक मनोवृत्ति नहीं होगी । वह तो मात्र इसलिये होगा कि वह गन्ना उत्पादक है और अपनी राय ले कर आया है और बोर्ड के सामने उसे रख रहा है ।

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह बोर्ड सप्लाई और परचेज को रेगुलेट करता है, मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों के बीच की गुत्थियों को सुलझाता है ।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

इतने समय तक जो भी माननीय सदस्यों ने कहा उसका एक ही आशय था कि जो गन्ने की सप्लाई में दिक्कतें हैं उनके बारे में सही राय कैसे पहुंचे । अगर बोर्ड में चुने हुये व्यक्ति होते तो शायद पहले से हल्ला मचाते कि हमारी अगले वर्ष की सप्लाई क्या होगी । लेकिन चूंकि आपके नामजद सदस्य थे, इसलिये वह चीज नहीं आयी । जब आप नामजदगी करते हैं तो होता यह है कि चार-पांच ऐसे लोग जिनकी पहुंच इस सरकार तक है उनके नाम आपकी तरफ से ले लिये जाते हैं । ठीक है उसमें माननीय गेंदासिंह जी भी आगये । सरकार ने वह कड़वा घूंट भी पी लिया । लेकिन गन्ना उत्पादकों का हित तभी हो सकता है जब कि उसमें निर्वाचित सदस्य आयें । यह एक सिद्धांत की बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने यह नहीं बताया कि यह चुनाव कैसे होगा। मुझे दुख है कि गांव सभा से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव कराने वाले सदस्यों की समझ में यह नहीं आता कि इतने छोटे से चुनाव के लिये कैसे नियम बनाये जायं। आप इस संशोधन को मान लें। चुनाव की नियमावली को अगर सरकार न बना पायेगी तो इधर के सदस्य बना देंगे। अगर मेरे पास अधिक समय होता तो समझता देता कि इस चुनाव की यह प्रणाली होगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमने मिल मालिकों के भी दो प्रतिनिधि रखे हैं और खांडसारी उद्योग के भी दो प्रतिनिधि रखे हैं और किसानों के १७ प्रतिनिधि रखे हैं। हमने इसमें यह ध्यान रखा है कि इसमें प्रतिनिधित्व जो हो वह संख्या के अनुपात से हो। कोई भी वर्ग अपने हितों का संरक्षण करने के लिये ऐसा न कर सके कि सरकार द्वारा अपने मनोनीति सदस्यों की संख्या अधिक करवा ले और दूसरे सदस्यों की संख्या कम हो जाय।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हम चुनाव से डरते नहीं। कितनी बार यह बात कही गयी जिससे यह शंका होती है कि कहीं उधर के लोग चुनाव से डरते तो नहीं हैं। अगर वह चुनाव से डरते नहीं हैं तो उसमें भी वह चुनाव करवा कर दिखला दें कि हमारी शंका निर्मूल है।

माननीय मंत्री जी को इस बात का बड़ा खेद है कि ऐसा अमेंडमेंट आ गया। वास्तव में यह खेद की बात है कि वह एक काश्तकार को यह भी मौका नहीं देना चाहते कि वह एक एडवाइजरी बोर्ड में जिसको कोई अधिकार नहीं है कि अपनी बात मनवा सके, बैठकर अपनी राय दे सके। यह अधिकार आप उस को नहीं देना चाहते। उससे ज्यादा कोई खेद की बात हो ही नहीं सकती। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर आग्रह करूंगा और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जिन काश्तकारों ने यहां उनको सर्वाधिकार दिया है वहां यह इतना अधिकार काश्तकारों का न छीनें कि वह चुनकर अपनी राय भी न दे सकें। यह बहुत ही अप्रजातांत्रिक होगा कि यह चुनी हुई सर्वाधिकार प्राप्त संस्था काश्तकारों को इतना भी हक न दे कि अपनी राय तो दे सकें, उसे मनवाना तो दूर रहा।

श्री बनारसीदास––श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। माननीय टम्बरेश्वरी प्रसाद जी ने जो अपने संशोधन के पक्ष में उत्तर दिया है उसमें कोई ऐसी नयी बात नहीं कही है कि जिसके आधार पर मुझे अपना विचार तब्दील करने की जरूरत हो।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे एतद्पश्चात् मल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) को इस प्रकार कर दिया जाय––

'(ख) उत्तर प्रदेश के गन्ना बोर्ड में चुने हुये २१ सदस्य होंगे उनमें से दो चीनी फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि, दो गुड़ या खांडसारी बनाने वाली इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सत्रह गन्ना उत्पादकों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे'।"

(प्रश्न उपस्थित किय गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनार्थसिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्ताव करता हूं इस विधेयक के खंड २ की पंक्ति ३ में प्रस्तावित शब्द "इक्कीस सदस्य" के स्थान पर "छब्बीस सदस्य" रख दिये जायं तथा मूल अधिनियम की उक्त धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अंक व शब्द "५ गन्ना उत्पादकों" के स्थान पर "१० गन्ना उत्पादकों" रख दिये जायं,

श्रीमन्, इस सिलसिले में सैद्धांतिक दृष्टि से तो काफी वादविवाद हो चुका है। लेकिन यह संशोधन उपस्थित करने की मेरी मंशा यह है कि पांच गन्ना उत्पादकों के जो प्रतिनिधि इस बोर्ड में हैं उनको अगर दस कर दिया जाय तो न तो सरकारी पक्ष के लोगों को हटाने का सवाल पैदा होता है, न मिल मालिकों के पक्ष को हटाने का सवाल पैदा होता है, न उसे कम करने का

[श्री कल्पनाथ सिंह]

सवाल पैदा होता है। बल्कि सवाल यह है कि अगर संशोधन पेश है तो किसानों के प्रतिनिधियों को बढ़ा दिया जाय। मेरा ऐसा खयाल है कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके पहले मिल मालिकों या और दूसरे प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम करने की बात कही गई थी। लेकिन इस संशोधन में किसी की संख्या कम करने की बात नहीं है। अलबत्ते यह जरूर है कि ७० आदमियों के पांच प्रतिनिधि और इतने बड़े किसानों के पांच प्रतिनिधि, यह स्वयं सोचने की बात है। तो अगर किसानों के प्रतिनिधियों की संख्या ५ के स्थान पर १० कर दी जाय तो मेरा खयाल है कि न तो मिल मालिकों का ही कोई हर्ज है, न टेक्निशियन्स के ऊपर कोई आक्षेप आता है तथा उनकी सेवा से भी वह वंचित नहीं होते और न किसी दूसरे पक्ष की बात आती है। यह तो श्रीमन्, सिर्फ किसानों के प्रतिनिधियों की तादाद को बढ़ाने की बात है और यह एक अच्छा मौका है कि जब सरकारी पक्ष ने यह संशोधन उपस्थित किया है। वैसे तो गन्ने के किसान यह महसूस कर रहे थे कि बोर्ड में प्रतिनिधियों की संख्या कम है। अगर सरकारी पक्ष किन्हीं कारणों से यह संशोधन लाना चाहे तो किसानों के साथ यह न्याय होगा। यदि उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाती है तो उनके साथ यह उचित व्यवहार होगा और उनके हकों की रक्षा होगी। यह तभी हो सकता है कि जब उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाती है।

मैं इस माननीय सदन का ज्यादा समय न लेकर पुनः निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि इस संशोधन पर जरूर विचार होना चाहिये। अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री जी या सरकारी पक्ष कबूल कर सके तो मेरा ऐसा खयाल है कि इस प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि जिस भावना के चलते गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन और दूसरी प्रदेश की समस्याओं का, जो उत्पादन से संबंधित हैं, उनका समाधान होने में कुछ सहायता मिल सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यह सदन और माननीय मंत्री जी यह संशोधन अवश्य स्वीकार करें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र कल्पनाथसिंह जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह पांच की संख्या यदि बढ़ा दी जाय तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, जो संशोधन पेश किया गया है उसमें कठिनाई यह है कि जैसा पहले जब हम विचार कर रहे थे तो बतलाया था कि यह बोर्ड यू०पी० और बिहार दोनों का सम्मिलित बोर्ड है। उनसे हमारा एग्रीमेंट है और इसमें दोनों के प्रतिनिधि इस प्रकार से होते हैं। शुगर उद्योग यू० पी० के ३ प्रतिनिधि और बिहार के २ प्रतिनिधि। खंडसारी उद्योग यू० पी० के ३ प्रतिनिधि और बिहार के २। गन्ना उत्पादक यू० पी० के ३ प्रतिनिधि और बिहार के २। टैक्नीकल परसोनेल यू० पी० के ३ और बिहार के प्रतिनिधि २ और अब उनके एग्रीमेंट द्वारा २ की जगह ३ टैक्नीकल परसोनेल हैं। तो जैसा हमारा एग्रीमेंट है उसके अनुसार संख्या २५ हो जाती है। तो अगर अब हम इनके संशोधन को मान लें और ५ की संख्या को बढ़ा दें तो उसमें हमारा बिहार के साथ जो एग्रीमेंट है वह नहीं रहता है। वह बात सिद्धांत की नहीं रहती है। पहले संशोधन पर जब हम विचार कर रहे थे तो उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि यह एडवाइजरी बोर्ड है। उस एडवाइजरी बोर्ड में संख्या के कम या ज्यादा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इस बात से पड़ता है कि एक बात कितनी सैद्धांतिक है, कितनी तथ्य पूर्ण है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि गेंदासिंह जी हो गये।

जहां तक राजनीत का संबंध है उसमें हमारे दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण का क्षेत्र है उसमें यह बात नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से कोआपरेटिव क्षेत्र है जिसमें हमारा दृष्टिकोण भिन्न नहीं हो सकता है और न हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में राजनीति को लाया जाय। गांव पंचायत में या किसानों के क्षेत्र में इस प्रकार के दृष्टिकोण की बात करना या सोचना उचित नहीं है। इसी प्रकार से यदि यह विचार किया जाय कि कोई समाजवादी है या कम्युनिस्ट है या जनसंघी है, उसका किसी

पार्टी विशेष से संबंध है, उसको इस वजह से वंचित किया जाय यह उचित नहीं होगा। हमारे आपस के एग्रीमट से वह बोर्ड चलता है और मूलतः मैं यह देखता हूं कि इससे किसानों का कोई हित होने वाला नहीं ह। इस संशोधन द्वारा संख्या बढ़ाने से उनका मकसद पूरा नहीं होता इसलिये इसको स्वीकार करने में कठिनाई है।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि ५ प्रतिनिधि बढ़ जाने से कोई बड़ा हित किसानों का होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा होने से भले ही हित न हो, हम लोगों को बड़ा संतोष हो जायगा। इसके पहले मंत्री जी ने दलील देते हुये कहा था कि चुनाव की बात मत करो। उससे बड़ा बखेड़ा होगा। कुछ सदस्यों ने पूछा भी कि किस का चुनाव, कैसा चुनाव। लेकिन इस संशोधन में चुनाव की कोई बात नहीं है। बिहार ने अपनी संख्या बढ़ा दी और वह बढ़ गयी। अगर मंत्री जी कोशिश करेंगे तो उनकी संख्या भी बोर्ड में बढ़ सकती है, मेरे खयाल से काश्तकारों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा देने से गेंदासिंह जी जैसे लोग कुछ वहां पहुंच सकते हैं और उससे किसानों का कुछ भला ही होगा, उनको कोई नुकसान न होगा। तो अगर सरकारी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है और उससे हमारा भला होने वाला है, तो इस से अच्छा इसके लिये दूसरा कोई अवसर उनको न मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं कल्पनार्थासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री कल्पनार्थासिंह—श्रीमन्, इस संशोधन पर मैंने मंत्री जी का कथन ध्यान से सुना, लेकिन उससे संतोष नहीं होता। श्रीमन्, उनसे लोगों को बड़ी आशायें हैं और खासतौर से गन्ना किसानों को। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सरकार का स्थान उनके लिये द्वितीय परमात्मा का है। अगर सरकार और खासतौर से गन्ना किसानों के भाग्य विधाता एडवाइजरी बोर्ड में भी गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों को बढ़ाने को तैयार नहीं है तो श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सोचा जा सकता है कि किसानों के दिल पर क्या गुजरेगी। यह एक ऐसा विश्वास है कि लोग यह समझते हैं कि सरकार अवश्य उनके फायदे की कुछ बात करेगी। लेकिन जिस दिन यह बात किसानों के सामने जायगी कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की बात यहां की गयी और मंत्री जी ने उसे कबूल करना उचित नहीं समझा तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि इन बातों पर विचार करके मंत्री जी इस संशोधन को कबूल कर लें। इससे उनका यश बढ़ेगा। इधर के बैठने वाले लोगों की कोई बात नहीं है, यह तो किसानों की बात है। उनकी हालत बुरी है, अतः इस बात को मानने से उनकी प्रतिष्ठा बढेगी....

श्री अध्यक्ष—यह सब तो आप पहले कह चुके लेकिन उनका दिल नहीं पिघला।

श्री कल्पनाथ सिंह—मैं आपके द्वारा पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका दिल पिघलेगा, मेरा ऐसा खयाल है। मैं समझता हूं कि मनुष्य, मनुष्य होता है और उसे अगर ठीक ढंग से बात कही जाय तो वह मान सकता है। यह मैं अपनी कमजोरी मान सकता हूं कि मैं उस तरह से अपनी बात रख नहीं पाया कि जिस तरह से वह मान सकते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस दिन वह किसानों की इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और यह खुशखबरी किसानों में जायगी कि मंत्री जी ने उनके प्रतिनिधियों की संख्या बोर्ड में बढ़ा दी है, वे उनकी जयजयकार के नारे लगायेंगे। तो मेरा यह खयाल है कि माननीय मंत्री जी शायद इसे मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी कुछ और कहना चाहेंगे।

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड २ की पंक्ति ३ में प्रस्तावित शब्द "इक्कीस सदस्य" के स्थान पर "छब्बीस सदस्य" रख दिये जायं तथा मूल अधिनियम की उक्त धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अंक व शब्द "५ गन्ना उत्पादकों" के स्थान पर "१० गन्ना उत्पादकों" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

उत्तर प्रदेश अधि नियम संख्या २४ । ३---मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

१९५३ ई०की धारा ५ का संशोधन ।

"(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) या जिले में नियोजन विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नामांकित करे"

***श्री कल्पनार्थसिंह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खंड ३ को खंड ३ के उपखंड (२) के रूप में पुनरंकित कर दिया जाय तथा निम्नलिखित को खंड ३ के उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय---

"(१) मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (क) को निम्न प्रकार रख दिया जाय---

(क) गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य अथवा चीनी मिल का प्रतिनिधि नहीं होगा ।"

श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि जब चीनी मिलों के मैनेजर या उससे संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति को नामजद कर दिया जाता है तो उससे उसके डेमोक्रेटिक स्वरूप में लोगों को अविश्वास सा हो जाता है और यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इससे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जिससे गन्ने का किसान या उससे संबंधित दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर जा सकेगा । जो अब तक की कार्य-पद्धति है, जो काम करने का तरीका है और जो अधिनियम है, उसको देखते हुये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यह संशोधन, आपके द्वारा, इस सदन में लाया जाय और मेरा खयाल है कि सरकारी पक्ष इसको स्वीकार करने में नहीं हिचकिचायेगा । क्योंकि इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती कि जिससे मिल मालिकों को कोई परेशानी हो । या दूसरे लोगों को कोई परेशानी हो । हां, कुछ लोगों का विश्वास अवश्य बढ़ेगा और मेरा खयाल है कि सदन के सम्मानित सदस्यगण इस संशोधन की अहमियत को समझते हुये इसे कबूल करेंगे ।

श्री बन्नारसीदास---श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अभी जो संशोधन पेश किया है, मैं नहीं समझता कि उससे कोई लाभ होने वाला है । उसका असल मकसद तो है किसानों का हित करना या विकास करना उसमें इस प्रतिबन्ध के लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और जितने भी प्रश्न होते हैं सभी सरकार के सामने आते हैं । इसलिये इस संशोधन को मानने में मैं असमर्थ हूं ।

***श्री गेंदासिंह**---श्रीमन्, विकास परिषदों की कारगुजारी का कुछ ज्ञान मुझे भी है । उनका गठन एक डेढ़ वर्ष पहले किस प्रकार हुआ है उसकी भी मुझे कुछ जानकारी है । इसलिये माननीय कल्पनाथ जी का जो संशोधन है उसको मान लेने से विकास परिषदों और किसानों का भला होगा । मैं खुद भी राजनीतिक प्राणी हूं और मालूम नहीं कितने लोग राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं । खेतीबारी भी करते हैं और राजनीतिक दलों से संबंध भी रखते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन कहीं-कहीं पर अगर इसका प्रयोग न किया जाय तो मैं समझता हूं अच्छा हो होगा। इससे विकास के काम में दूसरे लोगों के लिये भी गुंजाइश होगी।

हम लोगों को कुछ देखने का भी मौका मिलता है। विकास परिषदों के पास कुछ सम्पत्ति भी है जिसको खर्च करने का उनको अधिकार होता है। जीप गाड़ियां भी उनके पास हैं। इस सूबे में लगभग १०० काउंसिलें होंगी, जिनके पास जीप गाड़ियां भी है। किसी किसी काउंसिल को लाख दो लाख रुपया भी मिलता है जिससे वह पुलिया या सड़क बनायें और अच्छा बीज दें। सरकारी ग्रांट और कमीशन से उनको पैसा मिलता है। मैंने देखा है कि जीप गाड़ियां भी काफी झगड़े की चीज बन जाती हैं कि उनका किस प्रकार से इस्तेमाल हो, किस काम के लिये कौंसिल को उन्हें इस्तेमाल करना चाहिये। अगर उस इलाके का कोई ग्रहस्थ आदमी है और वह उनका इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा झगड़े नहीं खड़े होंगे और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम ही लोग हैं। कहीं तो ऐसी जगह हो जिस जगह राजनीति में दखल न रहने वाला अकलमन्द समझा जाय। अब यह बात तो है कि राजनीति में रहने वाला अकलमन्द समझा जाता है, लेकिन एक जगह मैं ऐसा सोचता हूं कि गांव की बात है, जो अच्छी पैदावार करने वाला किसान हो उस प्रकार का अगर कोई आदमी विकास परिषद् का अध्यक्ष होगा तो उसका ध्यान केवल गन्ना विकास में ही रहेगा। राजनीति के विकास में भी हम अपना ध्यान रखते हैं। कल्पनाथ जी के संशोधन का इस दृष्टि से मैं समर्थन करना चाहता हूं। सरकार को नामांकन करने का अधिकार रहेगा ही। लेकिन श्रीमन्, कानून में कुछ उल्टा है। फाइनल एथारिटी केन कमिश्नर होगा, सरकार उसके पास नाम रिकमेन्ड करेगी। इस तरह की शब्दावली मैंने जल्दी में और कहीं नहीं देखी। लेकिन यहां है। पिछले साल, साल भर तक झगड़ा चलता रहा कि केन कौंसिल का चेयरमैन कौन हो। असल में गन्ने वाले महकमे को हर आदमी खींचने की कोशिश करता है। पिछली बार दो मंत्रियों में काफ़ी खींचातानी रही। इसका नतीजा यह रहा कि गन्ने के विकास में काफ़ी गड़बड़ रही। उद्योग मंत्री जी के पास नाम होंगे कि उनके चेयरमैन कौन-कौन हैं। उससे पता चल जायगा कि किस प्रकार के लोग वहां हैं। जहां कहीं बहुत झगड़े हुए तो कलेक्टर को ही वहां का चेयरमैन बना दिया गया। कहीं और भी बहुत झगड़े हुए तो यह तय हुआ कि इन राजनीति वालों से काम नहीं चलेगा मिल मलिक को ही उसका चेयरमैन बना दिया जाय। बहुत सी जगह ऐसे लोग भी हैं हैं जिनका गन्ने की काश्त से कोई संबंध नहीं है, केवल राजनीति की खेती अच्छी करते हैं। मेरा विचार है कि अच्छा हो कि तजुर्बे को शुरू किया जाय कि केन कौंसिल के सभापति गन्ने के विकास को जानने वाले लोग हों। इससे हम बहुत से झंझटों से छूट जायेंगे। मैं समझता हूं बनारसीदास जी को इसका अनुभव होगा क्योंकि बुलन्दशहर के पास गन्ना पैदा होता है। अगर वे इस तजुर्बे से लाभ उठायेंगे तो उनका भी बोझ हलका हो जायगा।

आज भी अगर वे विकास परिषदों की कार्यकुशलता को देखें तो उनको तकलीफ होगी। उन्हें मालूम होगा कि उनका काम ठीक नहीं हो रहा है। इसलिये मेरी राय है कि कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और नयी कौंसिलों में इस प्रकार से रख दिया जायगा।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--अध्यक्ष महोदय, कल्पनार्थसिंह जी का यह प्रस्ताव कि राजनीति के लोगों का सम्बन्ध इससे न रहे इतना सुन्दर है कि बिना उसके समर्थन किये मैं रह नहीं सकता। चुनाव के नाम से मंत्री जी चौंक जायेंगे। लेकिन, अभी-अभी सभी लोग चुनावों से आये हैं, वे सब जानते हैं कि डेवलपमेन्ट कौंसिल और अंतरिम जिला परिषद् आदि दो चार इंस्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जिनकी जीपों का दुरुपयोग किया गया है। अन्तरिम जिला परिषदों में तो कहा जा सकता है कि यह नामुमकिन है कि वहां राजनीतिक आदमी न हों, लेकिन इन गन्ना परिषदों को राजनीतिक आदमियों से जरूर अलग कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री टम्केश्वरी प्रसाद]

जहां तक मिल मालिकों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से अवगत हैं कि मिल मालिक को कहां इतना अवकाश है कि वह गन्ने के विकास को भी देख सके। दूसरी बात यह है कि मिल मालिक के पास नीचे स्तर का गन्ने का काश्तकार तो जा भी नहीं सकता। वह अपने विकास के सुझावों को उसके सामने नहीं रख सकता। मिल मालिक को जो थोड़ा बहुत शौक होता है वह इसलिये कि अपने नाम के पीछे सभापति शब्द का लगना उसको अच्छा लगता है। बाज वक्त यह भी देखा गया है कि किसी एरिया में ४–५ मिल मालिक होते हैं उनमें आपस में चेयरमैन बनने की होड़ लग जाती है उस खींचतान में यह निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौंसिल का प्रेसिडेंट हो, कौन विकास परिषद् का चेयरमैन बनाया जाय। फिर भी यह कह देना भी शायद बहुत अनुपयुक्त न होगा कि चुनाव का चन्दा निश्चित करता है कि किस मिल मालिक को डेवलपमेन्ट कौंसिल का चेयरमैन बनाया जाय। हालांकि चुनाव से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो लोग क्षेत्र में हैं और जिन्होंने विकास परिषदों को देखा है वे जानते हैं कि मिल मालिक किस तरह से उस पद के लिये लालायित रहते हैं। मैं अपने जिले के एक दो मिल मालिकों के बारे में जानता हूं जिन्होंने पिछली बार वहां के केन कमिश्नर को बड़ा एप्रोच किया कि वे डेवलपमेन्ट कौंसिल के प्रेसीडेंट हो जायं। इसमें उनका कोई विशेष हित नहीं है लेकिन शौकिया वे इस पोस्ट को लेना चाहते हैं।

अब हम अगर डेवलमेंट कौंसिल की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि वह इसीलिये है कि उससे गन्ना काश्तकारों का हित हो। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे काश्तकारों के हित के बजाय अहित हो जाय। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि मिल मालिकों का हित कहां से शुरू होता है और कहां से नहीं शुरू होता है। आज मिल मालिक का अधिक से अधिक हित उसी में है कि गेट पर ही उसे अधिक से अधिक गन्ना पहुंच जाय। गेट से दूर जो सेंटर्स होते हैं उनमें उसकी विशेष रुचि नहीं होती है। गन्ना उत्पादन के हिसाब से ही योजनायें बनायी जाती हैं तथा रिजर्व्ड एरिया भी बना होता है, लेकिन वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक गन्ना उनको गेट पर आ जाय। आज हम देखते हैं कि बहुत सी शुगर फैक्टरीज ऐसी हैं जिनके अपने फार्म्स होते हैं जहां का १०–१५ लाख मन गन्ना तो वे लेती ही हैं और उसी की वजह से बाहर का गन्ना वे कम क़ीमत पर भी ले लेती हैं। इस तरह से उनका हित हर तरह से सुरक्षित रहता है।

अगर उस परिषद् में कोई किसानों का प्रतिनिधि होता है तो उससे किसानों के लिये भी एक सिक्योरिटी की बात होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय कल्पनाथसिंह का जो संशोधन है कि किसी राजनीतिज्ञ को या मिल मालिक को गन्ना विकास परिषद् का चेयरमैन होने का हक़ न हो उसे माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये। इसलिये कि यह जो सुझाव है वह अधिक से अधिक काश्तकारों के ही हित में है।

श्री केसरीप्रसाद––अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर विवाद सुनने के बाद मुझे माननीय गेंदासिंह के जरिये एक रहस्य का पता लगा। श्रीमन्, अब तक तो तरीक़ा ऐसा था कि नीचे के अधिकारी सरकार को सिफारिश करते थे और सरकार उस पर अन्तिम निर्णय लिया करती थी। लेकिन अब कुछ ऐसा तरीका मालूम होता है कि सरकार सिफारिश करती है और उस पर अधिकारी अन्तिम निर्णय लिया करते हैं। यह एक अजीबोगरीब सी चीज है जो जनतन्त्र के लिये बहुत ही घातक सिद्ध होगी। जो इतने विवाद का विषय हो चुका है वह नामजदगी की बात है। इस सम्बन्ध में बात करते हुये मैंने चुनाव का जिक्र किया था, मैं यह कहना चाहता हूं और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नीचे आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो कम से कम ऊपर जहां २१ सदस्य होंगे उनको अधिकार दें कि जनतांत्रिक तरीके से वह अपना प्रेसीडेंट चुन लें। इसमें सुविधा होगी। इसमें राजनीतिक दल या सरकारी दल का प्रश्न नहीं है। ऐसी व्यवस्था होगी तो काम सुगम हो जायगा, यदि वह ऐसा नहीं मानते तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह नामजदगी के सम्बन्ध में इस प्रकार विचार कर लें कि

केन-कमिश्नर गन्ना उत्पादकों में से और विशेषकर उन छोटे गन्ना उत्पादकों में से ही किसी को नामजदगी कौंसिल के सभापति के लिये करें, जिससे कि छोटे किसानों का हित सुरक्षित रहे और उनको सुखसुविधा प्राप्त हो सके। इतनी बात कह कर मैं श्री कल्पनाथ जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि मौजूदा विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है उसका सम्बन्ध तो केवल मूल ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) से है लेकिन जो संशोधन प्रस्तुत है जिस पर कि विवाद चल रहा है वह खंड ५ के उपखंड (३) के अंश (क) जहां लिखा है कि "राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति", इस को बदलना चाहता है। इसलिये यह अवैध है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---जब भाषण हो रहे थे तब क्या मंत्री जी सो रहे थे?

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं मैंने आप का नाम नहीं पुकारा।

(कुछ ठहर कर)

श्री कल्पनार्थसिंह जी कुछ कहेंगे क्या?

श्री कल्पनार्थसिंह---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---एक वैधानिक प्रश्न आया है। मैं अभी अपने मन में इस पर मत स्थिर नहीं कर सका हूं। मैं बता दूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है वह खंड ३ में इस प्रकार दिया हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

> "(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) या जिले में नियोजन विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नामांकित करे।"
>
> अब जो वर्तमान खंड ५, उपखंड (३) का (ख) (२) है वह इस प्रकार है कि
>
> "जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) जो पदेन सदस्य होगा।"

अभी तक जो कुछ विवाद इस सदन के समक्ष हो रहा है वह ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन हो रहा है उस पर कोई आपत्ति न सदन को है और न श्री कल्पनाथ सिंह जी को है। इस संशोधन को तो आपने स्वीकार कर लिया और उसके अलावा आप एक नया प्रस्ताव रख रहे हैं कि उसके अंश (क) को संशोधित किया जाय। यह सूरत है। मैं समझता हूं कि श्री कल्पनार्थसिंह जी की यही मंशा है। (श्री कल्पनार्थसिंह जी से) आप समझे? मतलब यह है कि जो संशोधन इस विधेयक द्वारा हमारे समक्ष रखा गया है वह तो मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) से सम्बन्धित है और वहां लिखा है कि "जिला नियोजन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर जो पदेन सदस्य होगा" उसके स्थान पर जो संशोधन प्रस्तुत है वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफ़सर या जिले में नियोजन विभाग में कोई अन्य अधिकारी जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नामांकित करे। उसके स्थान पर यह शब्द रखना चाहते हैं। तो जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति है नहीं, और आप के द्वारा एक नया प्रस्ताव रखा जा रहा है इस सदन के सामने। तो मंत्री जी कहते हैं कि जो संशोधन इस विधेयक द्वारा मूल अधिनियम का हो रहा है उस मूल अधिनियम की केवल धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) का हम संशोधन कर रहे हैं। उसके सम्बन्ध में जो कुछ आप को कहना हो कहिये। उसके बाहर अगर आप जाते हैं तो आप का एक नया प्रस्ताव है। आप चाहते हैं अपने इस संशोधन द्वारा जो मूल अधिनियम है उसकी धारा ५, खंड ३ के उपखंड (क) का संशोधन किया जाय। और (क) का संशोधन सरकार द्वारा रखा नहीं गया। तो मंत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार से जिस विषय के सम्बन्ध में कोई संशोधन इस सदन के सामने नहीं है उससे बाहर आप संशोधन रखते हैं। यह प्रश्न है। इसके ऊपर आप प्रकाश डालियगा।

श्री केसरीप्रसाद--अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव एक नया हो सकता है। लेकिन सदन ने इस पर बहस कर के इसको स्वीकार सा कर लिया है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव मान लिया जाना चाहिये और इसको मंत्री जी को मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--कोई ग़लत काम कर के सही नहीं हो सकता है। इसके ऊपर एक वधानिक दृष्टिकोण पूछना चाहता था, अन्यथा मैं स्वयं ठीक कर दूंगा।

श्री केसरीप्रसाद--जो इतना समय नष्ट हुआ....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के बैठें। माननीय मंत्री जी, इसको मैं इस वजह से स्वीकार कर रहा हूं कि धारा ५ के संशोधन के लिये सरकार के द्वारा यह विधेयक है। वह यह कहते हैं कि जो संशोधन विधेयक द्वारा हो रहा है उस को अगर स्वीकार किया जाता है तो हमारा यह भी संशोधन उसके साथ स्वीकार किया जाय, यह उसका अंग माना जाय।

श्री कल्पनार्थासिह--अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अभी बहुत से माननीय सदस्य इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, अगर आप उन्हें अवसर प्रदान करें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, इसमें एक और परेशानी होगी कि कौन राजनीतिक है और कौन गैर राजनीतिक है। मैं यह देखता हूं आम तौर से आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी होते हैं जब चुनाव का वक्त आता है तो जरा देर में राजनीतिक हो जाते हैं। आजकल राजनीति की परिधि में इतने लोग आ गये हैं, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--इंडिपेंडेंट्स भी तो राजनीतिक दल में हैं।

श्री बनारसीदास--जी हां। मुमकिन है इसमें झगड़े हों, रिट्स हों। तो हम यह परम्परा क्यों न मानें कि जो लोग राजनीतिक दलों से भी हैं उनका एक नैतिक स्तर होना चाहिये। जिस जगह वह जायेंगे वहां जा करके वे अपना राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक किसान की हैसियत से वे विकास का दृष्टिकोण पेश करेंगे। अतः इस संशोधन को मैं वास्तविक नहीं समझता इसलिये इसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ को खंड ३ के उपखंड (२) के रूप में पुनरंकित कर दिया जाय तथा निम्नलिखित को खंड ३ के उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय --

"(१) मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (क) को निम्न-प्रकार रख दिया जाय--

'(क) गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य अथवा चीनी मिल का प्रतिनिधि नहीं होगा'।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री कल्पनार्थासिह का नाम पुकारने पर।)

श्री बनारसीदास--श्रीमन्, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खंड ३ की उपधारा (२) पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये यदि आप इस को ले लें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, मैंने रूलिंग दे दी है इसलिये उसे ही चलने दें।

*श्री कल्पनाथसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया है। संशोधन इस प्रकार है :---

"निम्नलिखित को खंड ३ के उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

(३) मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के भाग (३) में शब्द 'अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'व्यक्ति जो चीनी मिल से सम्बन्धित हो' रख दिया जाय।"

यह मैं निवेदन करूंगा कि संशोधन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गयी है कि "सम्बन्धित हो" उसके स्थान पर "सम्बन्धित न हो" कर दिया जाय तो उपयुक्त होगा। श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि इन विकास परिषदों में या गन्ना बोर्ड में अधिकारी लोग हों तभी काम चले। उसमें किसी दूसरे गैरसरकारी आदमी को या किसी दूसरे भी व्यक्ति को रखने की गुंजायश हो सकती है इसलिये मेरा यह खयाल है कि यह शब्द "अधिकारी" के स्थान पर "व्यक्ति जो चीनी मिल से सम्बन्धित न हो" यह अगर उसमें कर दिया जाय तो उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, उसमें तो लिखा है कि "कोई अधिकारी" और यह तो उसमें लिखा नहीं है कि चीनी मिल से सम्बन्धित कोई अधिकारी होगा। थोड़ा भरोसा तो करना चाहिये कि लोग इसी तरह की नामजदगी ही करेंगे। "अधिकारी" से मतलब 'सरकारी अधिकारी' से ही है, किसी मिल के अधिकारी से नहीं है। मैं इसे रिडन्डेन्ट समझता हूं "कि चीनी मिल से सम्बन्धित न हो" क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। होती है क्योंकि कोई अधिकारी जिसकी नामजदगी की जायगी वह सरकारी अधिकारी ही होगा ऐसी बात नहीं है, इसलिये इसको स्वीकार करना ठीक नहीं होगा।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष---आपके यहां भी गन्ना मिलें क्या बहुत हैं?

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---जी नहीं, मैं स्वयं एक गन्ने का काश्तकार हूं।

श्रीमन्, (ख) में एक निश्चित बात है कि गुड़ या खांडसारी के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य होंगे। तो यह बात वहां साफ़ हो जाती है, लेकिन अब खंड (३) के रूप में आपने यह रख दिया है कि जिससे जब जी चाहे आप अन्य अधिकारी रख लें। आप इसके स्थान पर और इसको रख सकते थे कि जिससे लोगों को पता चलता कि आप की क्या मंशा है। "अधिकारी" तो किसी जगह का भी अधिकारी हो सकता है, मिल का भी अधिकारी आ सकता है, किसी प्राइवेट संस्था का अधिकारी हो सकता है। आप इसके स्थान पर कोई निश्चितता ला सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक नाम उस में रख देने के लिये कोई न कोई तरकीब यह बनायी गयी है और अगर उस योजना में कोई निश्चितता न लाकर हम केवल ऐसा ही रख देते हैं कि जिससे इतनी बड़ी योजना सरकार की सफल हो जाय तो उसमें ऐसा न हो कि उसमें किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व न हो और मिल मालिक ही आ जायं। इसलिये खंड (३) को इतना वेग नहीं होना चाहिये। सच तो यह है कि इतने हितों के रहते हुये उसमें ऐसे एक अधिकारी को या गन्ना अधिकारी को या किसी नामांकित अधिकारी को रख दिया जाना ठीक नहीं है और न माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इसकी सफाई ही दी। कुछ तो कहते कि एक अन्य अधिकारी इसलिये ला रहें हैं कि कोई जो भूमि के विषय में टेक्निकल नालेज रखता हो या फसल में जो कीड़ा लग जाता है उसके विषय में, तब तो हम उसका विरोध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरी प्रसाद]

न करते, लेकिन कुछ पता नहीं। अधिकारी के माने तो यह है कि वी० एन० डब्ल्यू० से ले कर ऊपर तक जिसको जब चाहें रख दें। मंत्री जी को कहना चाहिये कि एक अन्य अधिकारी से तात्पर्य उनका यह है। हमारे दिमाग में यह इसलिये आता है कि आप किसी मिल मालिक को लाना चाहते हैं क्योंकि किसी परिषद् में अगर आप २० सदस्य रखते हैं तो कहते हैं कि १० मिल-मालिक होंगे। इसलिये आप यह निश्चित रूप से कह दें कि एक अन्य अधिकारी से मतलब फलां अधिकारी से है। इससे हमारी भी सुरक्षा हो जायगी और आपका मतलब भी हल हो जायगा।

श्री केसरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, 'एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करें', इस पर जो बहस चल रही है और जो शंकायें उत्पन्न हो गयीं उनके समाधान के लिये आवश्यक है कि हम अपनी राय सदन के सामने प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि कल्पनाथजी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन में 'व्यक्ति' शब्द काफी व्यापक है। व्यक्ति शब्द रख देने से इसका स्कोप बढ़ जाता है और 'अधिकारी' रख देने से इसका स्कोप सीमित हो जाता है। सीमित स्कोप से कार्य करने में सचमुच बड़ी कठिनायी होगी और यदि इसका व्यापक स्कोप होगा तो निश्चय ही कमिश्नर महोदय को भी सोचने और समझने का मौका मिलेगा और संभव है कि अनरेप्रेजेन्टेड इन्टरेस्ट जो हैं उनको इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय। ऐसी स्थिति में 'व्यक्ति' शब्द का रहना नितान्त अवश्यक है। जहां तक, 'जो चीनी मिल से संबंधित न हो' यह जो वाक्य आता है यह गौण वाक्य है, यह प्रधान वाक्य नहीं है। प्रधान शब्द 'व्यक्ति' ही है। इसलिये 'व्यक्ति' शब्द को यदि आप रख दें तो गौण वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता है, यह निकाला जा सकता है। लेकिन इस संशोधन को व्यापक बनाने में अनरेप्रेजेन्टेड इंटरेस्ट्स को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में 'व्यक्ति' शब्द अत्यन्त सहायक होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री हरीशकुमार गंभवार**---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह फिर एक ऐसा प्रश्न आ गया है जैसा कि हमारे ऊपर सरकारी पक्ष द्वारा कभी कभी यह लांछन लगाया जाता है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता और आपोजीशन फार अपोजीशन सेक किया जाता है, उसी प्रकार यह मामूली सा संशोधन है जो निहायत ही साधारण है और जिसकी बड़ी महत्ता है, इसको अगर स्वीकार नहीं किया जायगा तो हमें भी आज यह मान लेना पड़ेगा कि सरकारी पक्ष 'यस फार यस सेक' करता है और उसके दिल में थोड़ी सी भी गुंजायश नहीं है कि कोई सच्ची बात भी वह मान ले।

जहां तक डेवलपमेंट कौंसिल्स की वर्किंग का संबंध है, मैं उससे अच्छी तरह से परिचित हूं और यह जो नामिनेशन की प्रणाली चलायी है डेवलपमेंट कौंसिल्स में तो सभी नामिनेटेड ही होते हैं। और मिलें कुछ रुपया डेवलेपमेंट कौंसिलों को डेवलपमेंट वर्क के लिये देती हैं जो गेट एरिया पर खर्च किया जाता है। ऐसी सूरत में जो अधिकारी हैं वे सब के सब मिल द्वारा गाइड होते हैं। मुझे यह कहने मे कोई हिचक नहीं है कि हमारे यहां जो डेवलपमेंट कौंसिल बनी हुई है उसमें भी मिल का प्रभुत्व रहता है। वे बार बार इस बात को कहते हैं कि यह पैसा यहां खर्च किया जाना चाहिये वहां खर्च किया जाना चाहिये इस तरह से हमारा पैसा वास्तव में जहां खर्च किया जाना चाहिये था वहां नहीं खर्च किया जाता है क्योंकि मिल मालिकों की पैसे की अपनी शक्ति होती है और वे अधिकारियों को इंफलुएन्स कर लेते हैं और मन चाहा कार्य करवा लेते हैं। हमारे यहां जो नामजद सदस्य हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि बरेली में डेवलपमेंट कौंसिल बनी हुई है, उनकी वर्किंग देखा जाय....

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्वाइंट के बाहर जा रहें हैं। यहां पर सवाल यह है कि वह अधिकारी हो जो मिल से संबंधित न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठे नहीं हैं और मंत्री जी ने बोलना शुरू कर दिया ।

श्री अध्यक्ष---देखिये इस तरह से समय समाप्त हो जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---श्रीमन्, ठीक है । जो संशोधन रखा गया है उसका मतलब यह है कि ऐसे लोग लाये जायं जिनका मिल से संबंध न हो और अधिकारी का क्लैरीफिकेशन कर दिया जाय । उन्होंने कोई उसमें बड़ी बात नहीं कह दी है । केवल एक स्पष्टीकरण कर देना है और सरकार उसको मान ले तो ठीक होगा । वैसे मंत्री जी जबानी स्पष्टीकरण दे रहें हैं । कानून में, लिखा पढ़ी में आ जायगा तो और अच्छा रहेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों से और खास तौर से मंत्री जी से दो शब्द जरूर निवेदन करना चाहूंगा । मंत्री जी ने जो सफाई दी है वह अपनी जगह पर ठीक है । लेकिन श्रीमन्, एक बात जरूर है कि "दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक फूंक कर पीती है" । शुरू से ही हर क्लाज में नामजदगी शब्द का प्रयोग हुआ है और जितने संशोधन आये उनमें यही बात चलती रही इसलिये यह स्वाभाविक था, श्रीमन्, कि इस तरह की शंका उत्पन्न होती । आखिर यह शब्द जो रखा गया है उसका इंटरप्रिटेशन किस रूप में होगा और कहां तक क्या होगा और कौन क्या करेगा, इसका क्या ठिकाना था और आज भी मंत्री जी इस शब्द की अहमियत कबूल कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है । इतनी बात जरूर है श्रीमन्, कि मेरे अतिरिक्त इस सदन के अन्य सदस्यों ने ऐसी ही शंका प्रकट की है । इससे यह बात उपस्थित होती है कि मैं ही इस राय का नहीं हूं बल्कि इस सदन के और भी सम्मानित सदस्य इस राय के हैं ।

श्री अध्यक्ष---अब समय हो गया । अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मिश्रा
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२ अप्रैल, १९६२ ।

डी० एस० यू० पी० ए० पी०—३६ एल० ए०—१९६२—८४५ ।